मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा — चतुर्थ सत्र

दिसम्बर, 2014 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014

(21 अग्रहायण, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 4] — [अंक- 5]

मध्यप्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014

(21 अग्रहायण, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

विशेष उल्लेख

भारत के प्रधान मंत्री के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की घोषणा.

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) -- अध्यक्ष महोदय, कल का दिन हमारे देश के लिये अत्यन्त गौरवशाली दिन था. कल संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की घोषणा की है. यह भारत के लिये बहुत गौरव का दिन है. हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने 27 सितम्बर,2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव रखा था कि योग दिवस मनाया जाय, क्योंकि योग ऐसी विधा है, जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है. हमारे प्रधान मंत्री जी की पहल पर, इस प्रस्ताव को 175 देशों का समर्थन मिला, 175 देशों ने समर्थन किया और 90 दिन के अन्दर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला 21 जून को कर लिया. हम सब जानते हैं कि भारत अत्यन्त प्राचीन और महान राष्ट्र है. भारत ने हमेशा यह कल्पना की है, विश्व का कल्याण हो, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो. योग उस कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली विधा है, जिसको दुनिया ने स्वीकार किया है. भारत के विचार को, हमारी संस्कृति के विचार को आज सारे विश्व ने स्वीकार किया है. इसके लिये मैं हमारे महान प्रधानमंत्री, श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी, जिनकी पहल पर यह अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ है, उनका मैं अभिनन्दन करता हूं. (सदन में मेजों की थपथपाहट) संयुक्त राष्ट्र संघ को हम सब धन्यवाद

देते हैं, अपनी ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से और 175 देश जिन्होंने समर्थन किया कि अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिये, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं.हमारे प्रधान मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनन्दन और मध्यप्रदेश में योग शिक्षा को अब हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का काम करेंगे. धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय -- यह सदन माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना से सहमत है. निश्चित ही अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना भारत वर्ष के लिये गौरव की बात है.

(मेजों की थपथपाहट)

10.34 बजे **तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर,**

भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति

1. (*क्र. 649) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि.अता. प्रश्न संख्या-86 (क्रमांक 3764) दिनांक 18 जुलाई 2014 के उत्तर की कंडिका (क) में बताया गया था कि लोक निर्माण विभाग से विस्तृत प्राक्कलन एवं प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण प्रकरण प्रशासकीय स्वीकृति हेतु स्थायी वित्त समिति में प्रस्तुत नहीं हो सका है, तो क्या सिविल अस्पताल ब्यावरा के भवन निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार करने के लिये सर्वेक्षण करने स्वास्थ्य विभाग का एक दल माह सितंबर 2014 में ब्यावरा आया था ? यदि हां, तो उक्त दल द्वारा शासन अथवा विभाग को पालन प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट सौंपी गई ? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या अस्पताल भवन का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब तक उक्त प्रकरण में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां । जी हां । ब्यावरा में 100 बिस्तरीय अस्पताल का कंसेप्ट प्लान तैयार कर दिनांक 20.11.2014 को संचालनालय में प्रस्तुत किया गया है । (ख) जी नहीं । कंसेप्ट प्लान के परीक्षण उपरांत प्राक्कलन तैयार किया जायेगा । जिसके आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य कराने की कार्यवाही की जायेगी । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

श्री नारायण सिंह पँवार -- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजगढ़ जिले के ब्यावरा में जो सिविल अस्पताल है, उसके 100 बिस्तर के

अस्पताल की मध्यप्रदेश शासन ने आज से 11 वर्ष पूर्व 2003 में घोषणा की थी, लेकिन दुर्भाग्य से 11 वर्ष पश्चात् भी अभी भी ब्यावरा में 30 बिस्तर के अस्पताल के रुप में कार्यरत् है. ब्यावरा दो राष्ट्रीय राजमार्गों के संगम पर है. नेश्नल हाइवे क्र.3 और नेश्नल हाइवे क्र. 12. ब्यावरा के आस पास सौ डेढ़ सौ किलोमीटर के एरिये में इधर भोपाल उधर इन्दौर के बीच में कोई भी बड़ा चिकित्सालय नहीं है. ऐसी स्थिति में ब्यावरा के चिकित्सालय को प्रोन्नत करने, उसको 100 बिस्तर में मूर्त रुप देने के लिये मैंने प्रार्थना की थी. जुलाई माह के विधानसभा सत्र में भी मैंने प्रश्न के माध्यम से मंत्रीजी से पूछा था. माननीय मंत्रीजी का जो उत्तर आया है कि अभी हमने सितम्बर माह में कॉन्सेप्ट प्लान तैयार कराया है और नवम्बर में वह कॉन्सेप्ट प्लान तैयार कराकर संचालनालय को भेज दिया गया है और आगे उस पर विचार किया जायेगा. माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से मेरी यह प्रार्थना है कि कॉन्सेप्ट प्लान अतिशीघ्र मूर्तरुप ले और इसकी प्रशासकीय स्वीकृति के लिए पहल की जावे. ब्यावरा अत्यंत संवेदनशील जगह है. दो राष्ट्रीय राजमार्गों से संबद्ध है. मेरी प्रार्थना है कि ब्यावरा में 100 बिस्तरों के अस्पताल भवन को सम्पूर्ण सुविधाओं से युक्त करके अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जावे ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके.

डॉ नरोत्तम मिश्र—अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य ने ठीक बात उठायी है. वह एनएच पर स्थित है. कॉन्सेप्ट प्लान का उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि हमने तैयार कर लिया है. **प्रशासकीय स्वीकृति भी अतिशीघ्र कर लेंगे और हम आने वाले बजट सत्र मतलब डेढ़ महीने- दो महीने बाद उसे बजट में भी शामिल कर लेंगे और आपका काम कर देंगे.**

श्री नारायण सिंह पंवार—बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री बाला बच्चन—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है...

डॉ नरोत्तम मिश्र—अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता.

अध्यक्ष महोदय—प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता. साढ़े 11 बजे बात रखें.

श्री बाला बच्चन—बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. खाद की कालाबाजारी पर आपने चर्चा ली उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. लेकिन यह किसानों और प्रदेश हित का मुद्दा है.

अध्यक्ष महोदय—कृपया प्रश्नकाल चलने दें.

श्री बाला बच्चन—माननीय मुख्यमंत्रीजी को इस पर वक्तव्य देना चाहिए. हम यह चाहेंगे कि जिस समय चर्चा हो उस समय मुख्यमंत्रीजी यहां पर बैठें और हमारी बात को भी सुने.

अध्यक्ष महोदय—चर्चा का समय तो आने दीजिए. आप प्रतिपक्ष के नेताजी हैं. प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता. (व्यवधान)

श्री बाला बच्चन—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में ला देता हूं. यहां संसदीय कार्य मंत्रीजी और बहुत से वरिष्ठ मंत्रीगण बैठें हैं. बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्रीजी यहां पर बैठें विधायकों को सुनें और खाद की जो कालाबाजारी और खाद की कमी हो रही है जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्रीजी से इस पर वक्तव्य दिलवाया जाये.

अध्यक्ष महोदय—आप कृपया बैठ जायें. प्रश्नकाल तो होने दीजिए.

श्री लाल सिंह आर्य (राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन)—बाला बच्चन जी किसानों के संबंध में (XX) यह म.प्र. की सरकार है जो किसानों के साथ सदैव खड़ी है. (व्यवधान)

श्री बाला बच्चन—हमारी बात सुनना चाहिए. जो खाद की कमी और कालाबाजारी हो रही है... ये(XX).(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपया प्रश्नकाल चलने दें. उस पर चर्चा जारी है. प्रश्नकाल बाधित करना सर्वथा अनुचित है. चर्चा के समय अपनी बात रखेंगे तो अच्छा होगा. (व्यवधान) चर्चा जारी है. अभी उसका समय नहीं आया है. आप प्रि-मेच्योर डिमांड कर रहे हैं.

श्री सोहनलाल बाल्मीक—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी को सदन में रहना चाहिए.

श्री बाला बच्चन—हमारा अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्रीजी खाद से संबंधित बात को सुनें. खाद की जो कालाबाजारी हो रही है उस पर रोक लगायें और किसानों को खाद उपलब्ध करायें.

श्री सोहनलाल बाल्मीक—अध्यक्ष महोदय, खाद का बड़ा गंभीर विषय है.

अध्यक्ष महोदय—चर्चा के लिए मनाही कहां है. किसी भी समय कोई सा भी विषय उठायेंगे क्या? आप प्रश्नकाल में ही चर्चा करना चाहते हैं.

श्री सोहनलाल बाल्मीक—अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के शब्द सुनिये.(XX)? आज किसानों की हालत क्या हो रही है. (XX).

एक माननीय सदस्य—किसानों के लिए घड़ियाली आंसू नहीं है. पूरे प्रदेश का किसान तबाह हो गया है.(व्यवधान)

श्री सोहनलाल बाल्मीक—यह सरकार गंभीर नहीं है. किसानों के लिए खोखली बात करती है. थोथी घोषणा करती है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आपने मेरा विनम्र अनुरोध है कि प्रश्नकाल चलने दें. श्री वाल्मिकी जी आज क्या बात है.बैठ जाईये.प्रश्नकाल होने दीजिए. उनका भी महत्वपूर्ण प्रश्न है.

चिकित्सक के विरूद्ध कार्यवाही

2. (*क्र. 1308) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 02.05.2013 को रीवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों गंगेव, मनगवॉं व अन्य सभी के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य म.प्र. शासन ने किन-किन चिकित्सकों को दण्डित किया, सूची उपलब्ध कराएँ ? (ख) क्या दिनांक 13.05.08 को थाना मनगवॉं में दर्ज एफ.आई.आर. के अपराधी व्यक्ति श्री तीरथ यादव को डॉ. सी.एम. मिश्रा द्वारा दिनांक 12.05.08 से दिनांक 17.05.08 तक फर्जी तौर से सिविल अस्पताल मनगवां में भर्ती कराया गया था ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में दिनांक 01.07.12 से 31.10.12 तक सी.एस.सी. मनगवॉं द्वारा किए गए एम.एल.सी. की सूची दर्ज रजिस्टर पंजी की प्रति उपलब्ध करावें ? (घ) प्रश्नांश (ग) के पीड़ितों के एम.एल.सी. थाने के रिकार्ड से मिलान न होने की स्थिति में अपराधी डॉ. सी.एम. मिश्रा के खिलाफ शासन को कौन-कौन से शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं और आज दिनांक तक

क्या कार्यवाही हुई तथा यह भी बताएँ कि ऐसे चिकित्सक के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - अ अनुसार । (ख) जी हॉ, डॉ. सी. एम. मिश्रा द्वारा दिनांक 12/05/2008 से दिनांक 17/05/2008 तक श्री तीरथ प्रसाद यादव जो बुखार, उल्टी, दस्त की बीमारी से पीड़ित था का उपचार सिविल अस्पताल मनगवॉ में भर्ती कर किया गया । (ग) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ब अनुसार । (घ) विभाग स्तर पर इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्रीमती शीला त्यागी –माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का जवाब आया है सही है लेकिन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारी मनगवां विधान सभा एवं गंगेव में पदस्थ डॉ. सी एम मिश्रा आपराधिक किस्म के व्यक्तियों को बचाने के लिए गलत एमएलसी रिपोर्ट तैयार करके एवं उनको फर्जी तरीके से एडमिट करके उनको बचाने का प्रयास करते हैं. ऐसे कृत्यों के लिए उनको पूर्व में भी दण्डित किया गया है लेकिन फिर भी उनकी इस आदत में सुधार नहीं आया है. मैं माननीय मंत्री जी से यह ही निवेदन करती हूं कि क्या ऐसे चिकित्सक के प्रति कोई ठोस कार्यवाही करेंगे.

डॉ. नरोत्तम मिश्र – माननीय अध्यक्ष महोदय सम्मानित सदस्या ने 6 – 7 साल पहले का किसी पेशेंट को भर्ती करने का कोई प्रकरण बताया था. चूंकि इनका कहना है कि वह आपराधिक किस्म का व्यक्ति था. अस्पताल में तो कोई भी व्यक्ति अगर बीमारी की हालत में आयेगा तो डॉक्टर का काम है उसका उपचार करने का बाकी अन्य का काम जो भी हो पुलिस का काम होगा अपराधी को पकड़ने का लेकिन डॉक्टर का काम मूल रूप से इलाज करने का है. माननीय सदस्य का कहना है कि वह इ स तरह के व्यक्ति हैं जिनकी अनेक शिकायतें हैं अभी बहन मेरे को कोई भी शिकायत देंगी तो उस पर मैं ठोस कार्यवाही करूंगा, ठोस जांच कराऊंगा.

श्रीमती शीला त्यागी – माननीय अध्यक्ष महोदय क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बहुत सारी शिकायतें की गई हैं गलत एमएलसी रिपोर्ट तो तैयार ही करते हैं. अभी उन्होंने अपने नौकर को जो कि यादव था उसने 13 तारीख को 307 धारा का अपराध करने की कोशिश की और उनको

बचाने के लिए 12 तारीख में उसको एडमिट कर लिया . माननीय अध्यक्ष महोदय क्षेत्रीय लोगों द्वारा भी बार बार शिकायत की जा रही है. मेरे द्वारा जो जानकारी चाही गई है मेरा पूरक प्रश्न है कि एमएलसी रिपोर्ट की जो फोटो कापी है जो कि मुझे डॉ. सी एम मिश्रा के द्वारा प्रदान की गई है. एमएलसी रिपोर्ट करने के हस्ताक्षर इन्द्राज नहीं हैं किंतु एक आरटीआई कार्यकर्ता है उसके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है वह भी पूरी तरह से फर्जी है यदि डॉक्टर मिश्रा ने एमएलसी की है तो एमएलसी रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर होंगे. मैं कहना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ऐसे लापरवाह चिकित्सकों के प्रति जो कि बार बार शासन के द्वारा दण्डित होने के बाद में भी किसी तरह से उन पर कोई असर नहीं हो रहा है. बार बार वह भ्रष्टाचार करते जाते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी लगाम लगाने की कोशिश करेंगे.

डॉक्टर नरोत्तम मिश्र – अध्यक्ष महोदय बिल्कुल लगाम लगाने की कोशिश करेंगे.

प्रश्न क्रमांक 3—

चिकित्सकों की पदस्थापना

3. (***क्र. 1254**) **पं. रमेश दुबे :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र चौरई जिला-छिंदवाड़ा में कौन-कौन से स्वास्थ्य केंद्र कहां-कहां पर संचालित हैं ? इन स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत पदों की जानकारी पदनाम सहित तथा स्वीकृत पदों पर पदस्थ और कार्यरत चिकित्सकों व अन्य शासकीय सेवकों की जानकारी उनके नाम, पद व निवास का पता सहित दें ? (ख) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरई एवं इसके अंतर्गत आने वाले 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों के्के कुल 12 पद स्वीकृत हैं किंतु केवल एक चिकित्सक पदस्थ है ? इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुआ एवं इसके अंतर्गत आने वाले 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत कुल 12 पदों के विरूद्ध केवल 03 चिकित्सक पदस्थ हैंं ? (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरई एवं बिछुआ में चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं होने से चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ नागरिकों को नहीं मिलने, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने के संबंध में क्या प्रश्न कर्ता ने पत्र क्रमांक 2220 दिनांक 20/10/2014 मा. लोक स्वास्थ्य मंत्री को, पत्र क्रमांक 2226 दिनांक 21/10/2014 आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. को एवं पत्र क्रमांक 2227 दिनांक 21/10/2014 संचालक लोक स्वास्थ्य

एवं परिवार कल्याण म.प्र. को प्रस्तुत कर चिकित्सकों की पदस्थापना किये जाने का निवेदन किया है ? (घ) यदि हां, तो चिकित्सकों की पदस्थापना किये जाने के संबंध में किस स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या शासन शीघ्र सार्थक पहल कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरई एवं बिछुआ व इनके अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की शीघ्र पदस्थापना करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्न भाग की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार । (ख) जी हां, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई एवं इसके अंतर्गत 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 01 चिकित्सा अधिकारी पदस्थ है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछुआ एवं इसके अंतर्गत 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 04 चिकित्सा अधिकारी पदस्थ है । (ग) जी हां । (घ) विभाग, चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है । वर्तमान में विशेषज्ञों की अत्यंत कमी है, विशेषज्ञों के पद पदोन्नति से भरा जाना है । पदोन्नति की कार्यवाही निरन्तर जारी है । द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के पदो की पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है । चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर प्रश्न में उल्लेखित स्वास्थ्य संस्थाओं पर चिकित्सको की पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री नानाभाऊ मोहोड (पं. रमेश दुबे)—माननीय अध्यक्ष महोदय विधान सभा चौरई में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई और आने वाले पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए चिकित्सकों के कुल 11 पद स्वीकृत हैं. लेकिन केवल एक ही चिकित्सक पदस्थ है. पूरी स्वास्थ्य सेवाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं. माननीय मंत्री जी बतायें कि कब तक चिकित्सकों की पदस्थापना कर दी जायेगी.

श्री बाला बच्चन – माननीय अध्यक्ष महोदय लगाम वाले मुद्दे पर बात हो रही है आज सभी अखबारों में लगाम वाली बात लिखी है अगर वह लगाम नहीं लगी और उस पर अमल नहीं हुआ, जो रात की मीटिंग में हुआ है. सरकार पर पूरी तरह से नियंत्रण आसंदी का भी और मुख्यमंत्री जी का भी समाप्त हो जायेगा और जिस डाल पर बैठे हैं उस डाल को काटने वाली बात इस लगाम वाली बात में नहीं आयेगी.

डॉ. नरोत्तम मिश्र – माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने चौरई विधान सभा में डॉक्टरों को पदस्थ करने का कहा है हमारे विभाग ने 1271 पद डॉक्टरों की भर्ती के लिए पीएससी के माध्यम से कार्यवाही कर रहे हैं, फरवरी तक हो जायेंगी जैसे ही भर्ती हो जायेगी हम चौरई में पदस्थ कर देंगे.

श्री नानाभाऊ मोहोड --- मंत्री जी धन्यवाद्.

विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त आवंटन

4. **(*क्र. 280) श्री रामलाल रौतेल :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 2014 तक अनूपपुर जिले में योजनावार, शीर्षवार कितना आवंटन प्राप्त हुआ है ? त्रैमासिक प्राप्त आवंटन के विरूद्ध कितनी राशि आहरित की गई है, तथा कितनी राशि व्यय की गई ? व्यय राशि का विवरण, किस-किस संस्था/फर्म को कितनी राशि का भुगतान किया गया ? (ख) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अनूपपुर के नाम से कितने बैंक खाते हैं ? खाते का प्रकार, बैंक का नाम, खाता नम्बर की जानकारी प्रदान करें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"एक"** अनुसार है। (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"दो"** अनुसार है।

श्री रामलाल रौतेल – माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अनूपपूर के दो खाते हैं इन दो खातों के अतिरिक्त इन्होंने 3 खाते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनूपपुर में खाते खोले हैं यह क्यों खोले गये हैं अगर खोले गये हैं तो क्या वित्त विभाग से अनुमति ली गई है यदि नहीं लिया है तो क्या माननीय मंत्री जी दण्डित करेंगे.

श्री ज्ञान सिंह – माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला अनूपपुर में सहायक आयुक्त के नाम से भारतीय स्टेट बैंक में खाता 10724462517 में राशि 2661000 दूसरा सेण्ट्रल बैंक में संचालित खाता क्र. 3324193931 में राशि 277200 उपरोक्त खाते दिनांक 29-1-2014 को बंद कर राशि खजाने में जमा की जा चुकी है.

श्री रामलाल रौतेल - अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि एक तो नोडल खाता होता है, दूसरा छात्रवृत्ति का खाता होता है. शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में इसके अतिरिक्त 3 खाते खोलने की क्या आवश्यकता है? अगर उन्होंने खाते खोले हैं तो वित्त विभाग से अनुमति ली है कि नहीं ली है, मैं यह जानना चाहता हूं?

अध्यक्ष महोदय - इसमें 2 खाते ही तो हैं, तीसरे खाते की जानकारी कहां है?

श्री रामलाल रौतेल - अध्यक्ष महोदय, मैं जांच चाहता हूं. तीन खाते और हैं, जिसको सहायक आयुक्त ने यहां प्रतिवेदन में भेजा नहीं है मैं चाहता हूं कि उच्च स्तरीय जांच हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैक अनूपपुर में 3 अन्य खाते हैं, जिनकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है. मैं चाहता हूं कि भोपाल स्तर के अधिकारियों से उसकी जांच करा ली जाय.

श्री ज्ञान सिंह - अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, जो प्रश्न किया है, उसकी जांच करवाएंगे, जांच में अगर जिस तरह की बात वह व्यक्त कर रहे हैं, वह पाई गई तो कार्यवाही होगी.

श्री तरुण भनोत - माननीय मंत्री जी जांच के बाद उसको नोबल नहीं दे देना.

जिला परियोजना समन्वयक कीकी नियुक्ति संबंधीधी योग्यता

5. (*क्र. 446) **श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग में जिला परियोजना समन्वयक के पद में नियुक्ति हेतु क्या-क्या आवश्यक योग्यता है, इस पद पर किन व्यक्तियों को पदस्थ किया जा सकता है ? (ख) क्या जिला परियोजना समन्वयक के पद पर संविदा के कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो म.प्र. में कहॉ-कहॉ संविदा के कर्मचारी इस पद पर पदस्थ है ? (ग) निर्धारित योग्यता न रखने वाले इन अधिकारियों को कब तक पद से हटा कर निर्धारित योग्यता धारण करने वाले अधिकारियों को इस पद पर पदस्थ किया जावेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जिला परियोजना समन्वयक के पद हेतु योग्यता/अर्हता संबंधी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है। वर्तमान में स्कूल शिक्षा/आदिवासी विकास विभाग के सहायक संचालक/प्राचार्य, हायरसेकेण्ड्री/प्राचार्य, हाईस्कूल संवर्ग के अधिकारियों को जिला परियोजना समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1994 से 2001 तक जिला परियोजना समन्वयक के पद पर संविदा आधार पर कर्मचारियों का नियमानुसार चयन किया गया था, जिनमें से वर्तमान में 04 कर्मचारी कार्यरत है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार। (ग) उत्तरांश क अनुसार, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – "एक"

श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक - अध्यक्ष महोदय, बैक बेंचेस के सदस्य जब बोलने खड़े होते हैं तो कैमरा पहुंचने में 60-70 सेकण्ड लगा देता है. (हंसी) मैंने यहां से जानकारी प्राप्त की तो शुरू में बताया गया था. मैंने यहां के कंट्रोल से जब बात की..

अध्यक्ष महोदय - आप कृपया प्रश्न करें. यह बात वहां कर लेंगे.

श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक - अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में यह आया है कि 4 कर्मचारी कार्यरत् हैं, उनमें से कोई कर्मचारी क्या छतरपुर में नियुक्त है और उनकी योग्यताओं का क्या परीक्षण हुआ है, यह मैं जानना चाहता हूं?

राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा (श्री दीपक जोशी) - अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि छतरपुर में 4 कर्मचारियों में से 1 कर्मचारी जरूरत पदस्थ है. लेकिन माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उनको वहां से हटा दिया गया है.

श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक - अध्यक्ष महोदय, अयोग्यता पर भी जिनको नियुक्त किया गया था, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या माननीय मंत्री जी कुछ कार्यवाही करेंगे, जिन्होंने ऐसी नियुक्ति की है?

श्री दीपक जोशी - अध्यक्ष महोदय अयोग्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है. क्योंकि हमारे यहां जो परियोजना समन्वयक के पद है, उस पद के विरुद्ध हमारे यहां अर्हता रखने वाले व्यक्ति नहीं होने के कारण समय-समय पर संविदा आधार पर या अन्य आधारों पर उनकी नियुक्ति करते हैं.

छात्रावासों, आश्रमों एवं स्कूलों में मरम्मत कार्य

6. (*क्र. 494) **श्री मधु भगत :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी सहायक आयुक्त बालाघाट को वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक छात्रावासों, आश्रमों, प्राथमिक, माध्यमिक हाईस्कूल हायर सेकेण्डरी स्कूलों के मरम्मत कार्य, फर्शीकरण, बाउण्ड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष, मूत्रालय, शौचालय तथा अन्य कार्यों के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) उक्त राशि से क्या-क्या और कौन-कौन से कहां-कहां निर्माण कार्य कराये गए हैं ? (ग) क्या उक्त निर्माण कार्य के लिए विभागीय सहायक यंत्री, उपयंत्री से कार्यों का प्राक्कलन सत्यापन एवं कार्य की आवश्यकता अनुसार ही कार्य स्वीकृत किये गए हैं ? कार्य की पूर्णता के आधार पर विभागीय उपयंत्री एवं सहायक यंत्रियों से मापांक कराया गया होगा तो कराये गये निर्माण कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी देते हुए यह भी बतायें कि भुगतान प्रक्रिया में भुगतान राशि चेक द्वारा दिए गए हैं या पूर्णावंटित है या केश दिया गया है ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांकित अवधि में वर्णित कार्यों के लिये प्राप्त राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है । (ख) **परिशिष्ट** के कॉलम में उल्लेखानुसार निर्माण कार्य कराये गये हैं । (ग) जी हाँ । प्रश्नांश "क" में वर्णित कार्यों का प्राक्कलन/सत्यापन विभागीय उपयंत्री/जनपद पंचायत के उपयंत्री द्वारा कराया गया है । कार्य पूर्णता के आधार पर भुगतान किया गया है । कार्यवार भुगतान प्रक्रिया का विवरण **परिशिष्ट** के कॉलम—12 में दिया गया है

श्री मधु भगत - अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राप्त आवंटन 56 लाख 63 हजार रुपए के विरुद्ध किस एजेंसी से कार्य कराया गया और कितनी राशि उसको दी गई? दूसरा, वर्ष 2012-13 में ही केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत 7 लाख 40 हजार रुपए से किया गया निर्माण किस एजेंसी से और कब कार्य कराया गया?

श्री ज्ञान सिंह - अध्यक्ष महोदय, छात्रावास आश्रमों में मरम्मत के कार्य की राशि बहुत कम होती है. आवश्यकतानुसार के वहां के अधीक्षक उस मरम्मत के कार्य को कराते हैं.

श्री मधु भगत - अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में परसवाड़ा, चंदा, खुरमंडी, भिड़ी, कोमादेही, बोधा, डोरा आदिवासी छात्र-छात्राओं के छात्रावास हैं जिनमें भोजन सुविधा सही नहीं है. हर चीज अव्यवस्थित है. अगर वहां देखा जाय तो पूरी अव्यवस्थाओं का दौर है. मेरा क्षेत्र जबकि एक नक्सलाईट क्षेत्र है और आदिवासियों से कम से कम 50 प्रतिशत भरा हुआ है. क्या इनके लिए जो इतनी दुर्दशा है, उसको आप व्यवस्थित करेंगे?

श्री ज्ञान सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना उचित नहीं है क्योंकि विगत वर्षों से अपना विभाग पूरा प्रदेश में छात्रावास,आश्रमों और अन्य संचालित संस्थानों में गुणवत्ता के लिए प्रयत्नशील है. जहां तक बालाघाट के परसवाड़ा क्षेत्र जिसके बारे में माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है वहां की स्थिति को देखते हुए पूरे प्रयास किये जायेंगे, विभाग की ओर से हम परीक्षण करायेंगे, वहां पर आश्रमों में और छात्रावासों में जैसी आवश्यकता होगी व्यवस्था कराने के प्रयास किये जायेंगे.

श्री मधु भगत—अध्यक्ष महोदय, वहां पर चादर,पर्दे,गद्दे, पलंग, खाने की व्यवस्था अगर आप देखेंगे..

अध्यक्ष महोदय—आप उनकी जानकारी में ला दें. उन्होंने आश्वासन दिया है.

श्री मधु भगत—मैं पूरी स्थिति उनकी जानकारी में ला दूंगा. हम चाहते हैं कि आदिवासी छात्र छात्राओं को अमानवीय जिन्दगी जीने की स्थिति न बने , वे मानवीय जिन्दगी जीना चाहते हैं.

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी आपसे सहमत हैं. वे कह रहे हैं कि हम व्यवस्था कर देंगे.

श्री मधु भगत—मंत्री जी, मैं पूरी लिस्ट बना कर सौंप दूंगा तो क्या मेरा विधान सभा क्षेत्र व्यवस्थित हो जाएगा? मंत्री जी इस बात का आश्वासन दे दीजिए, मैं पूरी लिस्ट आपको दे देता हूं. आप पूरा सुधार कार्य करवा दें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है.

अध्यक्ष महोदय—आप उनको दे दीजिए, मंत्री जी प्रयत्न करेंगे.

श्री बाला बच्चन- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं,मंत्री जी आप भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं , सरकार एक नर्णय करने जा रही है कि प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं का सम्पूर्ण कार्य शिक्षा विभाग को सौंपने जा रही है.

अध्यक्ष महोदय—यह प्रश्न इससे उद्‌भूत नहीं होता. वे कैसे उत्तर देंगे.

श्री बाला बच्चन – बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा. माननीय मंत्री जी सरकार से ऐसा निर्णय क्यों करवा रहे हैं.अध्यक्ष महोदय, 89 जनपद हैं जिनमें माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं का संचालन आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा हो रहा है. यह बहुत अनर्थ और गलत हो जायेगा.आपके होते हुए कितना गलत काम करने जा रहे हैं आप. आदिम जाति विभाग की शालाओं को आप शिक्षा विभाग को सौंप रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—यह डिस-अलाऊड है. आप वरिष्ठ सदस्य हैं ,मंत्री रह चुके हैं ,यह प्रश्न ही उद्‌भूत नहीं होता इसका आप उत्तर कैसे चाहेंगे? कृपा करके बैठ जायें, माननीय सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण आप भी करें. आपकी बात आ गई पर वह प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता.

विभाग द्वारा कराये गये कार्य

–

7. (*क्र. 61) **श्रीमती उमादेवी खटीक :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विगत 2012 से 2014 तक कराये गये कार्यों सी.सी. निर्माण, विद्युतीकरण के कार्य, कूप निर्माण, सामुदायिक भवन एवं विभाग द्वारा संचालित समस्त प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या बतावें ? (ख) क्या दमोह जिले में अनुसुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की शिकायतें क्षेत्रीय भ्रमण उपरान्त जनता द्वारा प्राप्त हो रही हैं। जिनकी जांच जिला स्तरीय समिति द्वारा करायी जाना आवश्यक है। यदि हाँ, तो जांच समिति द्वारा कार्यों की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/ठेकेदारों पर कार्यवाही की समय-सीमा बतायें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1** तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2** अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्रीमती उमादेवी खटीक- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आपके विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की जांच समिति बना कर अपूर्ण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाएं, गुणवत्ताहीन कार्य होने पर अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर कार्यवाही की जाय. मंत्री जी, क्या आप जांच समिति बनायेंगे?

श्री ज्ञान सिंह- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने दमोह जिले के , विशेष कर उनके विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बस्ती विकास के माध्यम से जो निर्माण कार्य जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से कराये जाने चाहिए थे उनके बारे में जानकारी चाही थी , वांछित जानकारी उपलब्ध करा दी गई है. उनका दूसरा प्रश्न यह भी था कि पंपी ऊर्जीकरण में लाभान्वित व्यक्तियों की सूची दी जाय,.वह सूची बता दी गई है, जैसा कि सदस्य महोदया शंका व्यक्त कर रहीं हैं , कहीं अगर

गड़बड़ियां हुई हैं तो अवश्य उसकी जांच करायी जाएगी और जांच के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी.

श्री बाला बच्चन- मंत्री जी मेरी बात का भी उत्तर दे दीजिए. आपने मेरी बात को स्वीकार किया है कि ऐसा हो गया है, या होने जा रहा है, उस बात का भी आप उल्लेख हाऊस में कर दीजिए.

अध्यक्ष महोदय—सदस्य को तो अपना प्रश्न पूछने दें.

श्रीमती उमादेवी खटीक—अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जो छात्रावास चलाये जा रहे हैं उनमें पदों की पूर्ति नहीं हुई है और एक अधीक्षक के पास तीन तीन छात्रावासों का प्रभार है ,उनके पदों की क्या पूर्ति की जायेगी?

श्री ज्ञान सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आश्रमों और छात्रावासों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो कमी है उसके लिए हमने प्रयास किये हैं, आने वाले जुलाई सत्र में ऐसा कोई आश्रम और छात्रावास नहीं रहेगा जहां पर सभी जगह पदों की स्वीकृति लेकर उनकी पूर्ति की जायेगी.

मरीजों का समुचित ईलाज न होना

8. (*क्र. 515) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिला चिकित्सालय द्वारा 1 अप्रैल, 2010 से प्रश्न दिनांक तक कितने मरीजों को इलाज के अभाव में रिफर किया गया ? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में ऐसे कितने मरीज हैं जिनकों रिफर किया गया और उनकी रास्ते में इलाज के अभाव से या समय पर इलाज न मिल पाने के कारण मृत्यु हो गई ? नाम सहित बतायें ? (ग) उक्त अवधि के कितने ऐसे मामले हैं जिसमें इलाज के अभाव से मरीज की मृत्यु होने के कारण चिकित्सकों की शिकायतें प्रशासन से की गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला चिकित्सालय सिवनी से प्रश्नांकित अवधि में 2387 मरीजों को रिफर किया गया है। (ख) रिफर किये गये किसी भी मरीज की रास्ते में ईलाज के अभाव से या समय पर ईलाज न मिल पाने के कारण मृत्यु नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश "ख" के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाएं एवं स्टाफ

श्री दिनेश राय 'मुनमुन' – माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं माननीय मंत्री जी से इस प्रश्न का जवाब मांगने से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि हमारे जिले में पहली बार एक बड़ा काम मेडिकल कालेज का आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से होने जा रहा है.

श्री सोहनलाल बाल्मीक – अध्यक्ष महोदय, यह विषय से बाहर की बात है. मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है. जो बात हमको कहनी चाहिए. मेडीकल कालेज की बात मैंने उठाई है, छिंदवाड़ा जिले में मेडीकल कालेज पहले स्वीकृत हुआ था और सरकार की गलत नीतियों के कारण मेडीकल कालेज सिवनी में परिवर्तित किया जा रहा है (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय – आप प्रश्न कर दें. यह उनका प्रश्न है यह आपका प्रश्न नहीं था. आपका प्रश्न था क्या ?

श्री सोहनलाल बाल्मीक – अध्यक्ष महोदय, मेडीकल कालेज की बात क्यों ले आए ? (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय – उसमें मेडीकल फेसिलीटीज़ के लिए तो प्रश्न लगाया है उन्होंने.

श्री सोहनलाल बाल्मीक – उनकी बधाई का हम विरोध करेंगे. (व्यवधान) ... मुनमुन भाई, यह छिंदवाड़ा में सेंक्शन था माननीय कमलनाथ जी के मार्फत. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय – आप प्रश्न पूछें. कोई दूसरे माननीय यदि प्रश्न कर रहे हों तो कृपा करके इस तरह से विरोध करना उचित नहीं है. आप अपनी बात करें पर एक-दूसरे का विरोध सदन में नहीं करें. कृपा करके नई परंपराएं नहीं डालें. आप कृपया बैठ जाएं, उनको प्रश्न करने दें, उनका नाम यहां लिस्ट में है. आपका नहीं था. आप बोलिए.

श्री दिनेश राय 'मुनमुन' – माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उसमें 2387 मरीज रिफर किए गए हैं और एक भी मरीज मृत नहीं हुआ है. मेरा निवेदन है कि कहीं न कहीं यह असत्य जानकारी है, क्योंकि जो सिवनी में एंबुलेंस है, सन् 2010 में चालू थी और अब वर्तमान 2014 में 108 है, बीच के गेप में हमारे क्षेत्र के मरीज प्राइवेट गाड़ियों में अधिकांश गए हैं, तो कहीं न कहीं यहां पर यह जानकारी नहीं दी है. हमारे यहां पोस्ट-मार्टम तत्काल न होना, डॉक्टरों की लापरवाही होना, इसलिए जानकारी गलत दी गई है. मैं चाहूंगा कि इनकी जांच कराएं और उचित कार्यवाही हो. मेरे पास कुछ जानकारी है, 4 मई, 2014 को नवाब भाई, जो मंगोड़े वाले हैं, जो भगत सिंह वार्ड के हैं, इनको हॉर्ट-अटैक आया, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, डॉक्टर नहीं आया. ऐसे 2-3 मरीजों की मैंने लिस्ट रखी है.

अध्यक्ष महोदय – आपने प्रश्न पूछ लिया, अब वे उत्तर दे रहे हैं.

डॉ. नरोत्तम मिश्र – माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने जैसा बताया, उन्होंने अपने खाने में देखा नहीं है, मरीजों की संख्या जो बताई है वह 2387 नहीं है, टंकण की त्रुटि को हमने संशोधन करके भेजा है, वह 10756 है. जहां तक एंबुलेंस का सवाल है, एंबुलेंस में किसी को

मृत घोषित नहीं किया जाता है, मृत तो डॉक्टर ही घोषित करता है जो अस्पताल में मृत होते हैं. अभी हमारे पास वहां पर 25 जननी वाहन हैं, 108 की 12 गाड़ियां हैं, और 1 अन्य एंबुलेंस भी है. 108 की और जहां सुविधा कहेंगे, कर देंगे. डॉक्टरों की कमी की पूर्ति के लिए भी कल ही हमने वहां पर डॉक्टर की पदस्थापना कर दी है. जहां तक सम्मानित सदस्य ने जांच का कहा है, वे जो भी लिखित में शिकायत कराएंगे, हम उसकी जांच कराएंगे.

श्री दिनेश राय 'मुनमुन' – माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, धन्यवाद।

चिकित्सयालयों में उपलब्ध सुविधाएं एवं स्टाफ

9. (*क्र. 1238) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा 100 बिस्तर के अस्पताल में कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध करायें जाने का प्रावधान हैं ? इन अस्पतालों में कितने विशेषज्ञ चिकित्सक/अन्य कर्मचारी संवर्गवार, पदवार पदस्थ किये जाने का प्रावधान हैं ? (ख) जिला जबलपुर अंतर्गत कहॉ-कहॉ 100 बिस्तर के अस्पताल संचालित हैं ? इनमें प्रश्नांश (क) अनुसार उपलब्ध सुविधायें एवं स्टाफ की अस्पतालवार विवरण उपलब्ध करावें ? यह भी बतायें कि जिन अस्पताल में प्रश्नांश (क) अनुसार सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं/अमला पदस्थ नहीं हैं कब तक पदस्थापनायें कर दी जावेंगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्नांश भाग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है । (ख) जिला जबलपुर जिला चिकित्सालय, पुलिस हॉस्पिटल, विक्टोरिया अस्पताल के अतिरिक्त कहीं भी 100 बिस्तर अस्पताल संचालित नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्रीमती नंदनी मरावी – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र का और माननीय राज्यमंत्री श्री शरद चंद्र जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने 60 बिस्तर के हॉस्पिटल को 100 बिस्तर में उन्नयन करके और व्यवस्थाएं दी हैं, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और साथ में कुछ अपेक्षाएं और भी रखती हूँ कि कुछ स्टाफ की व्यवस्थाएं और कुछ मशीनों की व्यवस्थाएं माननीय मंत्री जी कराने की कृपा करेंगे क्या ?

राज्यमंत्री,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण(श्री शरद जैन)—अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है कि सिहोरा में 100 बिस्तर का हॉस्पिटल 30 अक्टूबर को लोकार्पित हो चुका है. इसके साथ ही सीहोरा हॉस्पिटल में 5 नये डाक्टरों और 5 स्टॉफ नर्सों की पदस्थापना भी की गई और वहां पर एक्सरे मशीन की अत्यन्त आवश्यकता थी तो 300 एमएम की एक नयी वहां पर एक्सरे मशीन दी गयी. आगे जो माननीय विधायक जी से विचार-विमर्श कर लेंगे, जो उनकी अपेक्षा होगी, चर्चा करके उन बातों का समाधान करेंगे.

श्री तरुण भनोत- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राज्यमंत्री, स्वास्थ्य शरद जैन जी जबलपुर से आते हैं, मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान मेडीकल कालेज की हालत की ओर भी दिलाना चाहता हूँ.

अध्यक्ष महोदय—आपका प्रश्न उद्भूत नहीं होता.

श्रीमती नंदनी मरावी—मेरे प्रश्न का उत्तर तो आ जाने दो.

अध्यक्ष महोदय—आपका आ गया उत्तर.

श्रीमती नंदनी मरावी—प्रश्न पूछने का अधिकार तो हर विधायक को है.आप प्रश्न लगाओ न. आप लोग जब बोलते हैं तो हम लोग तो बीच में कभी नहीं टोकते हैं. जब हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उस विषय का उत्तर तो कम से कम आने दें आप.

अध्यक्ष महोदय—आप दोनों माननीय सदस्य बैठ जाएं. भनोत जी आपका प्रश्न उद्भूत नहीं होता.

श्री शरद जैन—अध्यक्ष महोदय, जो सिहारा हॉस्पिटल का उन्नयन हुआ है, वह क्षेत्रीय विधायक की सक्रियता का परिणाम है.

श्री तरुण भनोत—25-30 साल से आपके विधायक थे. मेडीकल कालेज क्षेत्र का नहीं है,जबलपुर संभाग का है.

श्रीमती नंदनी मरावी—बहुत बहुत धन्यवाद.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा- माननीय सदस्य का यह तरीका ठीक नहीं है.

अध्यक्ष महोदय—हां, उचित नहीं है.

स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकीय सुविधाऐं

10. (***क्र. 1003**) **श्री नीलेश अवस्थी :** क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितने सामुदायिक, प्राथमिक एवं मिनि स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं ? सूची देवें एवं इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर क्या-क्या चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित सामुदायिक स्वा. केन्द्र, प्राथ. स्वा. केन्द्र एवं मिनि स्वा. केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं, केन्द्रवार सूची देवें ? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पदों में कौन-कौन, कब से पदस्थ हैं एवं कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं, सूची देवें ? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित पदों को भरने हेतु शासन स्तर पर कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) पाटन विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरिया एवं कंटगी संचालित है। शेष भाग की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है । (ख) प्रश्नांश भाग की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** में अंकित है । (ग) प्रश्नांश भाग की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** में अंकित है । (घ) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है । निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं ।

परिशिष्ट – "तीन"

श्री नीलेश अवस्थी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे पाटन विधानसभा क्षेत्र में ग्राम स्तर पर नहीं, उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर नहीं कम से कम तहसील स्तर पर डाक्टर की पूर्ति होनी चाहिए क्योंकि पूरा ग्रामीणजन के जीवन का सवाल है, मरीजों के स्वास्थ्य लाभ लेने का सवाल है. मेरा निवेदन है कि हमारे पाटन तहसील में, मैं सूची बताना चाह रहा हूँ जिन जिन चिकित्सकों की जरुरत है, उनकी पूर्ति अभी वहां नहीं हुई है. एक शिशु रोग विशेषज्ञ पाटन उप स्वास्थ्य केन्द्र में नहीं है, एनेस्थेसिया

वाला डाक्टर नहीं है,, हड्डी रोग और नाक कान गला विशेषज्ञ नहीं है.मेरा निवेदन है कि जनता के स्वास्थ्य लाभ के लिए और उनके जीवन के लिए कम से कम तहसील स्तर पर पूर्ण स्टाफ देने की कृपा करें.

डॉ. नरोत्तम मिश्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है. डाक्टरों की कमी और मैंने जैसा अभी बताया था कि 1271 हमारे फरवरी तक हो जाएंगे, एक महीना बीच में है और हम उसमें प्राथमिकता आपके पाटन क्षेत्र को देंगे.

श्री नीलेश अवस्थी—धन्यवाद.

श्री कमलेश्वर पटेल—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है

अध्यक्ष महोदय—नहीं.

श्री कमलेश्वर पटेल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बिलकुल संरक्षण नहीं देते.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, कोई बात ही नहीं है, हर प्रश्न में आप पूरक प्रश्न करेंगे?

श्री कमलेश्वर पटेल—स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ..

अध्यक्ष महोदय—स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं, उस प्रश्न से उद्भूत होना चाहिए. आप कृपा करके नियम पढ़ें.

श्री कमलेश्वर पटेल—संबंधित विभाग का पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं.

अध्यक्ष महोदय- विभाग का नहीं पूछ सकते. प्रश्न से उद्भूत पूछ सकते हैं.

श्री नीलेश अवस्थी—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जबलपुर क्षेत्र का जो मेडीकल कालेज हैं उसमें पूरे संभाग के लोग आते हैं लेकिन मेडीकल कालेज की बहुत दयनीय स्थिति है वहां भी कम से कम सुधार किया जाए.

श्री कमलेश्वर पटेल—अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न था उससे उद्भूत ही है, आपका संरक्षण चाहिए.

इन्जी प्रदीप लारिया—पटेल साहब, आप हर बार ऊ उठ जाते हैं .

श्री कमलेश्वर पटेल—हर बार नहीं उठ रहे हैं, क्षेत्र की समस्या है.

अध्यक्ष महोदय—आपका क्षेत्र नहीं है. अब उसमें कहां उद्भूत हो रहा है भाई, आप कृपा करके नियम पढ़िये. आपको मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूँ.

शासकीय हाई स्कूल भैंसा को संकुल प्रभार का दर्जा दिया जाना

11. (*क्र. 461) **इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय हाई स्कूल भैंसा को संकुल प्रभार का दर्जा प्राप्त है ? (ख) यदि हां, तो शासकीय हाई स्कूल भैंसा को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन क्यों नहीं किया जा रहा है ? जबकि शासकीय हायर सकेण्डरी शाला पथरिया हाट को संकुल भैंसा से संलग्न रखा गया है ? (ग) यदि शासकीय हाई स्कूल भैंसा संकुल केंद्र की योग्यता रखता है, तो हायर सेकेण्डरी का दर्जा कब तक दिया जावेगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हां । (ख) शासकीय हाईस्कूल भैसा शासन द्वारा निर्धारित दूरी के मापदण्ड की पूर्ति नहीं करता हैं, इस कारण उन्नयन नहीं किया गया है । शासकीय हाईस्कूल पथरिया हाट का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन वर्ष 2013-14 में किया गया है, जबकि शासकीय हाईस्कूल भैं सा में संकुल पूर्व से संचालित है । अतः पथरिया हाट को संकुल भैं सा से संलग्न किया गया है । (ग) प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

इन्जी. प्रदीप लारिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय पारस जैन जी को, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय दीपक जोशी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि नरयावली विधानसभा क्षेत्र में दो हायर सेकेण्ड्री स्कूल खुली हैं मोहली और चितौरा. जहाँ तक मेरा भैंसा हाईस्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन का मामला है और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जो दूरी का मामला आपने प्रश्न (ख) में कहा है, मैं शासन के जवाब से सहमत हूं लेकिन विशेष परिस्थिति है, चूंकि भैंसा से हमारा केंट क्षेत्र लगा है और केंट में जितने भी स्कूल हैं, उसमें मध्यप्रदेश सरकार की केवल एक स्कूल हैं, एमएलबी स्कूल और वह भी गर्ल्स स्कूल है . दूसरा जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो वहाँ जो भैंसा और उसके आसपास के जो पगारा गांव हैं, कपूरिया

है, कोराड़ी है यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या ज्यादा है वहाँ के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं पाते और जो शासकीय एमएलबी स्कूल है वह कन्या स्कूल है और वह भी प्राइमरी स्कूल में लग रही है ...

अध्यक्ष महोदय-- आप प्रश्न कर लें.

इंजी. प्रदीप लारिया-- मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन सिर्फ इतना है कि वह विशेष परिस्थिति मानकर इस भैंसा हाईस्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन किया जाय.

राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा(श्री दीपक जोशी)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने हमको अवगत कराया , यह विशेष परिस्थितियों का प्रस्ताव हमको प्रेषित कर दे, हम परीक्षण करके कोशिश करेंगे की उस आवश्यकता की पूर्ति कर दें.

इंजी.प्रदीप लारिया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष परिस्थिति इसलिए है कि...

अध्यक्ष महोदय-- आप उनको एक्सप्लेन करते हुए प्रस्ताव दे दीजिये, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है वह कह रहे हैं परीक्षण करा लेंगे.

इंजी. प्रदीप लारिया-- अध्यक्ष महोदय, आप भी सहमत हो जाएंगे और मंत्री जी भी सहमत हो जाएंगे जो केंट क्षेत्र है उसमें केंट क्षेत्र के छात्र छात्राओं को प्राथमिकता मिलती है.

अध्यक्ष महोदय--- आप यह बोल तो चुके हैं.

इंजी. प्रदीप लारिया-- मेरा निवेदन है कि मंत्री जी, यहीं इसकी घोषणा कर दें.

श्री दीपक जोशी--- अध्यक्ष महोदय, हमको इसका परीक्षण करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस पर विचार कर सकेंगे.

उपनेता,श्री बाला बच्चन--- अध्यक्ष महोदय, शासन का जवाब आप सुनिये विशेष परिस्थितियों का प्रस्ताव विधायक बनाकर दे देगा, वह कहाँ से और कैसा बनकर आएगा उसकी रूपरेखा भी सरकार बता दे. ऐसा होता नहीं है वह विधायक कहाँ से विशेष परिस्थितियों का

प्रस्ताव बनवाकर लाएगा और किससे बनवाकर लाएगा. आपको किस तरह से टाला जा रहा है यह शासन का जवाब है.

अध्यक्ष महोदय--- वह अपनी फिक्र कर लेंगे.

इंजी.प्रदीप लारिया-- विशेष परिस्थिति इसलिए है कि आसपास कोई स्कूल वहाँ पर नहीं है.

अध्यक्ष महोदय—आप मंत्री जी को इसकी जानकारी दे दीजिये. वह आपकी बात पर राजी हैं .

इंजी. प्रदीप लारिया-- मेरा आग्रह है कि आप मंत्री जी से एक बार कह दें आदेश कर दें.

अध्यक्ष महोदय-- वह कह रहे हैं परीक्षण कराये बिना नहीं कर पाएंगे.

श्री दीपक जोशी--- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावना से मैं अपने विभाग को अवगत कराऊँगा और साथ ही कोशिश करूंगा कि हमारे दायरे में लाकर हम किस प्रकार से इस समस्या का हल कर सके क्योंकि जन भावना से जुड़ा यह विषय है इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार करेंगे.

12. (***क्र. 1318**) **श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिनॉक 01.04.2013 से किस-किस को और कहॉं-कहॉं पट्टों का वितरण किया गया है ? (ख) क्या सुरखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राहतगढ़ विकासखण्ड मुख्यालय से लोगडिया समाज के परिवारों को अन्यत्र विस्थापित कर उन्हें पट्टे प्रदान किये गये हैं ? यदि हॉं, तो किस-किस को और क्या इनका भौतिक सत्यापन करा लिया गया है ? (ग) क्या यह सही है कि दिनॉंक 30 अगस्त 2014 को नगर परिषद राहतगढ़ द्वारा आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान प्रश्नकर्ता और माननीय परिवहन मंत्री से लोगडिया समाज के व्यक्तियों ने पट्टे न मिलने बावत्‌ शिकायत की थी तथा माननीय मंत्री ने स्थल पर संबंधित अधिकारियों को पट्टे दिये जाने हेतु निर्देश भी दिये थे ? (घ) यदि हॉं, तो क्या शिकायतकर्ताओं को पट्टों कका वितरण किया जा चुका है या नहीं ? यदि नहीं,

तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है उसके विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी और पट्टों का वितरण कब तक करा दिया जावेगा ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है । विभाग द्वारा पट्टों का वितरण नहीं किया गया । (ख) जी नहीं । राहतगढ़ में व्यवस्थापन का मामला राजस्व विभाग से संबंधित है । (ग) समाज के व्यक्तियों ने उक्त समस्या के संबंध में माननीय परिवहन मंत्रीजी को मौखिक बताया था । माननीय मंत्री महोदय से इस संबंध में कोई लिखित/मौखिक निर्देश प्राप्त नहीं हुए । (घ) प्रश्नांश "ग" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्रीमती पारूल साहू—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि क्या सुरखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राहतगढ़ विकासखंड मुख्यालय से लोगडिया समाज के परिवारों को विस्थापित कर उन्हें पट्टे प्रदान किये गये हैं.

श्री ज्ञानसिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग का पूरे प्रदेश में वनाधिकार से संबंधित पात्र हितग्राहियों को जिनमें विशेषकर आदिवासी जनजाति परिवार के लोगों से संबंधित है, निरंतर जारी है चूंकि माननीय सदस्य ने सागर जिले के बारे में जानना चाहा है, मैं बताना चाहूंगा चूंकि लोगडिया परिवार हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग में नहीं आते.

श्रीमती पारूल साहू--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं यह कहना चाहूंगी कि यह ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है अगर यह लोगडिया समाज के लोग भटक रहे हैं इनको भौतिक सत्यापन कराया जाये और पट्टे प्रदान किये जायें.

श्री ज्ञानसिंह--- अध्यक्ष महोदय, इसका औचित्य नहीं उठता है फिर भी विभाग इस पर विचार करेगा.

जिले/तहसीलों के आश्रम/छात्रावासोंों हेतु संचालित योजनायें _

13. (***क्र. 552**) **श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली (तहसीलों व जिला मुख्यालय के) आश्रम, शालाओं-छात्रावासों में बालक, बालिकाओं को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करवायी जा रही हैं, तथा शासन की क्या-क्या योजनाएं इस हेतु प्रचलित हैं ? (ख) उपरोक्तानुसार किस-किस छात्रावास में कितने-कितने छात्र-छात्राओं की संख्या है एवं कितने छात्रावास के अधीक्षक छात्रावास परिसर में ही अधीक्षक आवास गृह में निवासरत हैं ? वर्ष 2012 से अब तक छात्रावासों के आवंटन एवं व्यय राशि का तहसीलवार ब्यौरा क्या है ? (ग) किन-किन छात्रावासों के भवन जर्जर अथवा मानव निवास योग्य नहीं है ? शासन ने उन्हें दुरूस्त करने हेतु क्या कदम उठाये ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ** अनुसार। (ख) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्र/छात्राओं की संख्या **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब** अनुसार। अधीक्षक आवास गृह एवं उनमें निवासरत अधीक्षकों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स** अनुसार वर्ष 2012 से अब तक छात्रावासों के आवंटन एवं व्यय राशि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द** अनुसार। (ग) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-इ** अनुसार।

श्री जितेन्द्र गहलोत--- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो (ग) का आपने उत्तर दिया है . मेरे यहाँ जो 8 आदिवासी छात्रावास हैं , मरम्मत योग्य है जिसमें से एक जर्जर है. दो के जवाब से मैं संतुष्ट हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ पर यह जो 8 आदिवासी प्रीमैट्रिक छात्रावास हैं, रावटी, पलास, बिलवाल, सालाखेड़ी, शिवगढ़, दूसरा रावटी और तीसरा रावटी और बाजना. ये जर्जर हालत में हैं. इनको कब तक बनाने का प्रयास करेंगे और 8 में से 1 तो पूर्ण क्षतिग्रस्त हो चुका है, वह कभी भी बच्चों की जान ले सकता है.

श्री ज्ञान सिंह-- माननीय अध्यक्ष जी, शासन द्वारा ऐसे जितने छात्रावास और आश्रम, जिनके भवन जर्जर हालत में हैं, विभाग प्रयासरत है. मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा कि अगले शिक्षण सत्र जुलाई के पहले जितना संभव हो सकेगा, ऐसे जीर्णशीर्ण छात्रावास, आश्रम, के

भवनों की मरम्मत या राशि की व्यवस्था करते हुए नये भवन का निर्माण कराने के प्रयास किए जाएँगे.

श्री जितेन्द्र गेहलोत-- अध्यक्ष महोदय, इसमें रावटी पूरा जर्जर हो चुका है. वहाँ पर 150 छात्र रहते हैं. वह कभी भी गिरकर बड़ी दुर्घटना के दायरे में आ सकता है. माननीय मंत्री जी इसकी जर्जर हालत है इसको क्षतिग्रस्त करके, इसको कब तक बनाने का प्रयास करेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- उसको जल्दी करवा दें.

श्री ज्ञान सिंह-- कोशिश करेंगे.

प्रश्न संख्या-- 14

बीड़ी श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाये जाना

14. (*क्र. 93) श्री संजय पाठक : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि श्रम विभाग द्वारा वर्ष, 2013 में कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में बीड़ी श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाये जाने हेतु शिविर आयोजित किये गये थे ? यदि हां, तो कब-कब एवं कहां-कहां, ब्यौरा दें ? (ख) क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नांश (क) आयोजित शिविरों में बीड़ी श्रमिकों का परीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में फार्म भरवाकर आश्वस्त किया गया था कि 15 दिवस में उन्हें श्रमिक कार्ड वितरित किये जावेंगे ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख), यदि हां, तो क्या उक्त श्रमिकों को श्रमिक कार्ड उपलब्ध कराये गये, हां तो संख्या बतायें ? (घ) यदि उक्त श्रमिक कार्ड विगत एक वर्ष पश्चात् भी नहीं वितरित किये गये, तो कब तक वितरित किये जावेंगे, तथा इस लापरवाही हेतु कौन दोषी हैं, तथा उनके विरूद्ध प्रदेश शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक, नहीं तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) कल्याण एवं उपकर आयुक्त, जबलपुर (भारत सरकार) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कटनी जिले के विजयराघवगढ विधानसभा क्षेत्र के कैमोर नगर में दिनांक 16.01.2013 को शिविर श्रम कल्याण संगठन भारत सरकार, जबलपुर के प्रभारी अधिकारी बीडीं कामगार औषधालय, कटनी द्वारा शिविर आयोजित किया गया था। (ख) कल्याण एवं उपकर आयुक्त, जबलपुर (भारत सरकार) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार - परिचय पत्र की पात्रता हेतु श्रमिकों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है, आवेदन प्राप्ति उपरांत परिचय पत्र जारी करने संबंधी आवश्यक जॉच प्रकिया, दस्तावेजों की जांच आदि, उपरांत ही चिकित्सा अधिकारी द्वारा श्रमिकों को परिचय पत्र वितरित किये जाते है, श्रमिकों को 15 दिवस में

कार्ड वितरित करने संबंधी कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । (ग) क्रमांक (क) के अनुसार कैमोर नगर में आयोजित शिविर के माध्यम से 438 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 429 परिचय पत्र वितरित किया जा चुके हैं एवं 09 परिचय पत्र अवितरित हैं । (घ) कल्याण एवं उपकर आयुक्त, जबलपुर (भारत सरकार) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार क्रमांक ग में वितरित किये गये परिचय पत्रों के ब्यौरे से स्पष्ट है कि अधिकांशत: परिचय पत्र वितरित हो चुके हैं जो श्रमिक परिचय पत्र प्राप्त करने नहीं पहुचें हैं उन्हे ही वितरित नहीं हो पाया जो कि शीघ्र ही वैध प्रभारी की पदस्थापना उपरांत वितरित किया जावेगा । अवगत कराना है कि पूर्व पदस्थ वैध प्रभारी (संविदा) को कार्य की लापरवाही के कारण वहॉ से हटाया जा चुका है ।

श्री संजय पाठक-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था कि 2013 में बीड़ी श्रमिकों के कार्ड बनाकर उनको 15 दिन के अन्दर वितरित करने के लिए शिविर लगाए गए थे. लेकिन उत्तर में मेरे को बताया गया कि कार्ड वितरित कर दिए गए हैं. जबकि 1500 के ऊपर श्रमिकों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और उनके कार्ड बनकर 15 दिवस में मिलना थे. मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि कृपया मुझे यह बताएँ कि कितने कार्ड बनाकर वितरित कर दिए गए हैं और कितने पेंडिंग हैं.

श्री अंतर सिंह आर्य-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने बीड़ी श्रमिकों के कार्ड के विषय में चर्चा की है. उन्होंने विशेषकर उनके विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न किया है 16.1.2013 को एक शिविर का आयोजन किया था. जिसमें 438 आवेदन प्राप्त हुए थे और वहाँ बाकी कार्ड वितरित कर दिए. सिर्फ 9 कार्ड वितरित करना बाकी है. अध्यक्ष महोदय, वैसे बीड़ी श्रमिकों के लिए बोर्ड कार्ड परिचय पत्र बनाने का प्रावधान है. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1976 के अंतर्गत केन्द्रीय नियम 1978 के नियम 41 के अनुसार बीड़ी श्रमिकों के नियोजकों द्वारा परिचय पत्र दिया जाएगा. नियोजक द्वारा बीड़ी श्रमिकों के परिचय पत्र जारी नहीं किए जाने से प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन बीड़ी कामगार औषधालयों के चिकित्सकों द्वारा परिचय पत्र जारी किए जाते हैं. माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है कि बीड़ी श्रमिकों के कार्ड बनने चाहिए. मैं विभाग को, कल्याण उपकर आयुक्त को, निर्देशित कर दूँगा

कि कटनी जिले के अन्दर शिविर लगाए जाएँ. जहाँ जहाँ पात्र बीड़ी श्रमिक होंगे उनके कार्ड भी शीघ्रातिशीघ्र जारी कर दिए जाएँगे.

श्री संजय पाठक-- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने प्रश्न लगाया था कि कहाँ कहाँ शिविर आयोजित किए गए, कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने कार्ड बनाए गए. लेकिन विभाग के द्वारा केवल कैमोर नगर की ही जानकारी दी गई है और 438 आवेदनों की बात की गई है और 9 बाकी रह गए हैं. जबकि शिविर करीब-करीब 6 जगह लगाए गए थे. बरही, विजयराघौगढ़, कैमोर, कुर्सीटोला, काठी लेकिन सभी जगह की जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन आपके उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ कि जहाँ और शिविर लगाए जाने चाहिए वहाँ लगा दिए जाएँगे. हमको तो आप सिर्फ इतना आश्वासन दे दीजिए कि अगले 3 महीने के अन्दर जितने श्रमिक बचे हैं उन सबके शिविर लगाकर कार्ड बना दिए जाएँगे. मैं बस इतना ही चाहता हूँ.

श्री अन्तरसिंह आर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि हम 3 महीने के अन्दर बीड़ी श्रमिकों के जो बचे हुए कार्ड हैं उनको बनाकर प्रदाय कर देंगे. मध्यप्रदेश शासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री बीड़ी श्रमिकों के लिये चिन्तित हैं आने वाले समय में मुख्यमंत्री निवास पर बीड़ी मजदूरों की महापंचायत होने वाली है बीड़ी कामगारों की जो भी छोटी-मोटी समस्या होंगी उस शिविर में माननीय मुख्यमंत्रीजी उसका समाधान भी करेंगे.

श्री संजय पाठक—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि जो डॉक्टर वहां पर शिविर लगाकर काम कर रहे थे उनको सिर्फ इस आधार पर हटा दिया गया है कि उन्होंने मेरे आग्रह पर लगातार शिविर लगाये तो कृपा करके उन डाक्टर को जिनको कटनी से हटाकर सतना स्थानान्तरित कर दिया था उन्हें वापिस कटनी में पदस्थ करें बस इतना आश्वासन चाहता हूं.

श्री अन्तरसिंह आर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम आज निर्देश जारी कर देंगे उस डाक्टर को सतना से कटनी पदस्थ कर दिया जायेगा.

श्री संजय पाठक—माननीय मंत्रीजी बहुत-बहुत धन्यवाद.

प्रश्न संख्या – 15

आदिवासी उपयोजना के तहत ग्रामों, मजरों एवं टोलों में विद्युतीकरण

15. (*क्र. 1243) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले के सरदारपुर तहसील में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत कितने ग्रामों, मजरे, टोले पारों मे विद्युतीकरण का कार्य निविदाओं के माध्यम से पूर्ण करवाया गया हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) में जिन ठेकेदारों के द्वारा कार्य किए गए हैं उनकी गुणवत्ता का परीक्षण किस एजेंसी ने कब-कब किया है ? (ग) क्या यह सही है कि अधिकांश पोल एवं कंडक्टर निर्धारित मापदण्ड के नहीं लगाये गये हैं, यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में सरदारपुर तहसील के 04 कार्य स्वीकृत निविदा दर के माध्यम से पूर्ण कराये गये कार्यों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार । (ख) विद्युत कंपनी के सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा क्रमशः दिनांक 09.03.14, 09.03.14, 03.04.14 तथा 28.10.14 को तथा सहायक यंत्री, म.प्र. (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, म.प्र. शासन उपसंभाग धार द्वारा भी क्रमशः दिनांक 09.04.14, 09.04.14, 3.11.14 व 16.06.14 को किया गया । (ग) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री वेलसिंह भूरिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, धार जिले के सरदारपुर विधान सभा में आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों, मजरों, टोलों और पारों में पंप ऊर्जीकरण व विद्युतीकरण का कार्य निविदा के माध्यम से पूर्ण कराया गया है.

अध्यक्ष महोदय—यह विवरण पुस्तकालय में है, आपके पास भी आया होगा.

श्री वेलसिंह भूरिया—अध्यक्ष महोदय, इसमें अधिकारियों द्वारा गोलमाल जवाब मंत्रीजी को दिया गया है जो धरातल पर नहीं है वह जवाब दिया है जो हुआ है वह नहीं दिया गया है.

अध्यक्ष महोदय—कोई कमी हो कोई बात हो तो आप स्पेसिफिक पूछ लीजिये.

श्री वेलसिंह भूरिया—माननीय मंत्रीजी बतायें कि सरदारपुर विधान सभा में कितने मजरे, टोले और पालों में वर्ष 2012-13, 2013-14 में पंप ऊर्जीकरण और विद्युतीकरण का कार्य कितने-कितने गांव में कहां-कहां किया गया है.

श्री ज्ञान सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरदारपुर तहसील में आदिवासी परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में चार मजरे, टोलों के विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत कर निविदा दर के माध्यम से पूर्ण कराया गया है.

अध्यक्ष महोदय—मंत्री महोदय जो जानकारी दे रहे हैं यह जानकारी आपके पास आई है यह पुस्तकालय में भी है.

श्री वेलसिंह भूरिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल है कि धार जिले की सरदारपुर तहसील में आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों, मजरों, टोलों में पंप ऊर्जीकरण, विद्युतीकरण का कार्य निविदाओँ के माध्यम से कराया गया है. और जिन ठेकेदारों के द्वारा कार्य किये गये हैं उनकी गुणवत्ता का परीक्षण किस एजेंसी ने कब-कब किया है.

अध्यक्ष महोदय—इसका भी उत्तर दिया गया है आप उत्तर का ख भाग पढ़िये, इसमें कोई कमी या कोई बात दिखती हो तो आप मंत्रीजी से पूछ लें या जानकारी ले लें.

श्री वेलसिंह भूरिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरदारपुर में 800 मजरे, टोले हैं जिसमें से 300 में विद्युतीकरण का कार्य किया गया है बाकी शेष हैं, शेष के लिये राशि भी स्वीकृत हुई है मजरे, टोले, पारों में पंप ऊर्जीकरण, विद्युतीकरण का कार्य अधूरा पड़ा है वह कब तक पूरा किया जायेगा.

श्री ज्ञान सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनके विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जो काम हुए हैं उसकी सूची मेरे पास है जिसमें पंप ऊर्जीकरण और घरेलू विद्युतीकरण की जानकारी है. मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि हमारा विभाग पूरे प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र में पंप ऊर्जीकरण के कार्य में अग्रसर है उनके विधान सभा क्षेत्र में जहां उनको काम तत्काल कराना हो उसकी सूची वे उपलब्ध करा दें और बता दें कि किस गांव पहले कराना है हम परीक्षण कराकर उनके आग्रह के अनुरूप कार्य निर्देश राशि स्वीकृत करके कर देंगे.

प्रश्न क्रमांक :-16 xx

जिला चिकित्सालय में उपकरण एवं स्टाफ की व्यवस्था

17. (*क्र. 750) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 29.10.2010 को श्योपुर जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी ने जिला चिकित्सालय श्योपुर में ट्रामा सेन्टर का लोकार्पण किया था यदि हां तो ट्रामा सेन्टर में नियमानुसार किस-किस श्रेणी के कितने चिकित्सक, नर्सिंग स्टॉफ व सुविधायें पृथक से होनी चाहिये क्या वे उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी ? (ख) क्या ये भी सच है कि उक्त चिकित्सालय में डिजीटल एक्सरे व सोनोग्राफी दोनो मशीनों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदाय की जा चुकी है यदि हां, तो स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए बतावें कि इन मशीनो की स्थापना हेतु क्या-क्या कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, क्या-क्या शेष रह गई है ? (ग) उक्त चिकित्सालय में ही गंभीर रोगो से ग्रस्त मरीजों के लिये स्वास्थ लाभ हेतु पूर्व से ही डायलेसिस यूनिट स्वीकृत तो है लेकिन शासन द्वारा वर्तमान तक न तो ये मशीन उपलब्ध कराई गई और ना ही इस हेतु आवश्यक स्टॉफ एवं सुविधायें ही उपलब्ध कराई गई । चिकित्सालय में उक्त मशीनों व यूनिट के अभाव में मरीजों को अन्यत्र जाना पड़ रहा है । यदि हॉ, तो मरीजो को हो रही कठिनाईयों के मद्देनजर उक्त मशीनों व यूनिट की स्थापना व इनसे संबंधित आवश्यक अमले/सुविधाओं की व्यवस्था क्या शासन शीघ्र करवायेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नही, माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा ट्रामा सेन्टर का लोकर्पण 29/10/2014 को किया गया था । शासन आदेश दिनांक 08 अप्रैल 2011 के द्वारा ट्रामा सेन्टर जिला चिकित्सालय श्योपुर में चिकित्सा विशेषज्ञ 1, निश्चतेना विशेषज्ञ 1, अस्थि रोग विशेषज्ञ 1, चिकित्सा अधिकारी के 5 पद स्वीकृत किये गये है एवं 100 विस्तरीय जिला चिकित्सालय में स्टाफ नर्स के 36 पद प्रावधानित है । मानव संसाधनों की पूर्ति के प्रयास जारी है । निश्चित समय-सीमा बताना संभव नही है । (ख) जी हां, स्वीकृति पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है । दोनों मशीनो को क्रय करने के लिये सिविल सर्जन द्वारा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी जिसमें निविदा प्राप्त होने की तिथि 8.09.2014 निहित की गई थी जिसमें सोनोग्राफी मशीन की दरे मात्र दो फर्मो से प्राप्त हुई थी । समिति के निर्णय के अनुसार उक्त निविदाओ को निरस्त करते हुये नवीन निविदा प्रकाशन करने की अनुशंसा की गई थी । विभाग के द्वारा निविदाओ को ई-टेण्डर के माध्यम से करने के निर्देश दिये गये है । पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है । जिसकी कार्यवाही प्रचलन में है । (ग) जी हां । डायलिसिस मशीनों व यूनिट की स्थापना एवं इनसे संबंधित आवश्यक अमले/सुविधाओं की व्यवस्था हेतु कार्यवाही प्रचलन में है ।

श्री दुर्गालाल विजय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न श्यापुर जिला चिकित्सालय में माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा प्रारंभ किये गये ,लोकार्पित किये गये ट्रामा सेंटर में चिकित्सकों की व्यवस्था के संबंध में है। मैंने पूछा तो कहा गया है कि एक चिकित्सा विशेषज्ञ, एक निश्चेतना विशेषज्ञ, एक अस्थिरोग विशेषज्ञ और एक चिकित्सा अधिकारी सहित पांच पद स्वीकृत हैं। इसके साथ ही 36 पद नर्स स्टाफ के स्वीकृत हैं। यह जो पद स्वीकृत हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी पूर्ति कब तक कर दी जायेगी और इसकी एक समय सीमा निश्चित कर दें कि कब तक हो जायेंगे। दूसरा मेरा प्रश्न डिजिटल एक्स-रे मशीन और सोनोग्राफी मशीन को जिला चिकित्सालय में स्थापित करके लोगों की सेवा कराने के संबंध में है। उसके संबंध में भी कहा गया है कि इसकी टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की है । अध्यक्ष महोदय, पिछली विधान सभा सत्र में तीन महीने में भी इन मशीनों के द्वारा कार्य प्रारंभ करने के संबंध में भी आश्वासन था। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कब तक इनको जिला चिकित्सालय में स्थापित करके कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा, जिससे नागरिकों को सुविधा हो।

डॉ नरोत्तम मिश्र :- माननी सदस्य का यह कहना सही है कि हमने पिछले सत्र में तीन माह में इस कार्यवाही को पूर्ण करने का कहा था । माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर भी कर दिये गये थे। लेकिन टेंडर आये नहीं थे । अब हम टेंडर भोपाल के स्तर से लगा रहे हैं। हम फरवरी के अंत तक इनकी डाक्टर वाली और मशीनों वाली दोनों का ही समाधान कर देंगे।

श्री दुर्गालाल विजय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक और प्रश्न किया था कि डायलेसिस मशीन और यूनिट की स्थापना के लिये पूर्व में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी लेकिन अभी तक इसकी व्यवस्था वहां पर नहीं की गयी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें कहा गया है कि सुविधाओं की व्यवस्था हेतु कार्यवाही प्रचलन में है, इसमें भी

अध्यक्ष महोदय, समय सीमा सुनिश्चित हो जाए तो श्यापुर के नागरिकों को इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाए ।

डॉ नरोत्तम मिश्र :- अध्यक्ष महोदय, डायलिसिस मशीन का भी पूरे मध्यप्रदेश के 51 जिलों में भी फरवरी अंत तक कार्य प्रारंभ कर देंगे।

श्री दुर्गालाल विजय :- मंत्री जी धन्यवाद।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राप्त केन्द्रीय राशि का दुरूपयोग

18. (*क्र. 415) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य केन्द्रवार ग्राम स्वास्थ्य तदर्थ समितियों का गठन किया गया है ? हां, तो वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक स्वास्थ्य केन्द्रवार गठित समितियों के अध्यक्षों के नाम, पता तथा उक्तावधि में वर्षवार केन्द्र से प्रदत्त कराई गई राशि का विवरण विकासखण्डवार अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें ? (ख) क्या यह सही है कि ग्राम स्वास्थ्य तदर्थ समिति, प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, बमीठा के अध्यक्ष द्वारा वार्ड क्र. 1 लगायत 5 की आशाकार्यकर्ता/सचिव द्वारा केन्द्रीय राशि को हड़पने हेतु उसके फर्जी हस्ताक्षर से प्रस्ताव तैयार कर व फर्जी बिलों का प्रमाणीकरण कराकर अनियमित रूप से राशि का आहरण करा लिए जाने की शिकायतें माह अगस्त/सितम्बर 2014 में जिला प्रमुखों से की गयी हैं ? उक्त शिकायत-पत्रों पर प्रश्न दिनांक तक विस्तृत जाँच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करते हुए दोषियों के नाम/पदनाम उल्लेखित करें ? (ग) क्या शासन, प्रदेश स्तरीय जांच समिति गठित कर स्वास्थ्य जैसी जीवनोपयोगी सेवाओं के साथ खिलवाड़ कर केन्द्रीय राशि के दुरूपयोग से संबंधी उक्त शिकायत-पत्रों की विस्तृत जाँच कराने के आदेश जारी करेगा ? हां, तो जांच निष्कर्ष आने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हॉ । शेष प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है तथा प्रश्नावधि में प्रदत्त कराई गई राशि का विवरण निम्नांकित है :-

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
1.	बडामलहरा	11.77	13.82	11.81
2.	गौरिहार	9.90	11.50	5.90
3.	लवकुशनगर	11.90	11.72	9.53
4.	नौगांव	9.46	10.07	9.64

5.	बकस्वाहा	10.36	10.5	5.77
6.	सटई	12.56	11.53	9.89
7.	राजनगर	11.00	12.22	5.35
8.	ईशानगर	11.64	12.32	7.36
		88.59	93.68	65.07

(ख) जी हॉ । जी हॉ । जांच अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन में किसी को दोषी नहीं पाया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) प्रश्न भाग (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न भाग (ग) के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट – "चार"

श्री मानवेन्द्र सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से बमींठा स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में प्रश्न किया था इसमें स्वास्थ्य केन्द्र की अध्यक्ष द्वारा शिकायत की गयी थी कि वहां की आशा कार्यकर्ता द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करके राशि निकाली गयी है। माननी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि इसकी जांच की गयी है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इस आशा कार्यकर्ता के द्वारा जो राशि निकाली गयी है, इसमें जो अध्यक्ष द्वारा जो शिकायत की गयी है, हम लोग इस जांच से सहमत नहीं हैं। मंत्री जी क्या इसकी जांच किसी उच्च्च अधिकारी से इसकी जांच करवायेंगे।

डॉ नरोत्तम मिश्र :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कुल दस हजार आहरण का बमींठा का मामला है, जिसकी जांच हमने करा ली है और जांच में श्रीमती शाहना खातून और मधु सोनी हैं यह इन दोनों के बीच का मामला है । उन्होंने दस हजार की राशि निकाली उससे क्या क्या क्रय किया, ताला, कुर्सी, ट्रे, झाडू और पेन हैं और उस पर दोनों के हस्ताक्षर हैं और सभी के हस्ताक्षरों की सत्यप्रतिलिपि भी मेरे पास में हैं, सम्मानित सदस्य कहें तो मैं उनको दे दूं । उसके बाद भी कहेंगे तोवह सम्मानित सदस्य हैं, जैसा कहेंगे तो उसकी जांच एक बार फिर से करा लेंगे । मेरे हिसाब से दस हमार का मामला है दो बार आ चुका है और उससे ज्यादा तो खर्च हो गया होगा ।

श्री मानवेन्द्र सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जो शिकायतकर्ता हैं उनको ही निकालने की कार्यवाही की जा रही है । मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जिसने शिकायत की है उनके खिलाफ तो कार्यवाही न की जाये , उनको वहां से पृथक करने की कार्यवाही की जा रही है।

डॉ नरोत्तम मिश्र :- अध्यक्ष महोदय, ठीक है ।

स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों/विशेषज्ञों की कमी

19. (*क्र. 1236) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जौरा विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़गढ़ में चिकित्सकों के स्वीकृत पद 05 के विरूद्ध मात्र 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केलारस में स्वीकृत पद 07 के विरूद्ध 05 एवं प्रा.स्वा. केंद्र वारा में स्वीकृत पद 01 के विरूद्ध निरंक चिकित्सक पदस्थ हैं ? चिकित्सकों की कमी से आम ग्रामीण गरीब जनता को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है ? (ख) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़गढ़ एवं प्रा. स्वास्थ्य केंद्र वांरा अति ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र में स्थापित है और उक्त स्वास्थ्य केंद्र से गरीब जनता एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति लाभांवित होती है ? यदि हां, तो क्या चिकित्सकों की कमी से गरीब जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तथा चिकित्सा के बगैर आम जनता को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है ? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या चिकित्सकों के स्वीकृत पदों पर चिकित्सकों की पदस्थापना की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? समय-सीमा बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हां । वर्तमान में पदस्थ विशेषज्ञ/चिकित्सकों द्वारा उक्त क्षेत्र की आम जनता को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । (ख) जी हां । जी नहीं, पदस्थ चिकित्सकों द्वारा समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है एवं आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है । (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, वर्तमान में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है, विशेषज्ञों के शत प्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई होगी, द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों की पद पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2014 में 1271 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी । पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है ।

श्री सूबेदार सिंह रजौधा – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़गढ़ में पांच के विरुद्ध दो डाक्टर हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलारस में सात के विरुद्ध पांच डाक्टर हैं और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बारा उसमें एक की जगह निरंक है. वैसे मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कमी को स्वीकारा है. लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि पहाड़गढ़ क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वह जंगल में बसा हुआ है और वहां पर डाक्टरों की कमी से आदिवासियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है तो मेरे तीनों उप स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों की कमी है तो कम से कम पहाड़गढ़ में एक-दो डाक्टर बढ़ाने का आश्वासन माननीय मंत्री जी देंगे दूसरा बारा यह भी जंगल में है वहां एक भी डाक्टर नहीं है तो वहां जब तक डाक्टर की व्यवस्था न हो. तब क एक दिन के लिये एक डाक्टर का केम्प आठ दिन में दो बार लगाने का कष्ट करें.

डॉ.नरोत्तम मिश्र – माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य की चिंता बाजिब है. वहां डाक्टर की दिक्कत है. मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि अभी हम एएनएम,आशा और बाकी जो हमारा पेरामेडिकल का स्टाफ है उससे कर रहे हैं पर मुझे वहा एक महीने का समय दें मैं फरवरी में उनके यहां प्राथमिकता पर कर दूंगा. हमारी भर्ती बस हो जाने दें.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा – धन्यवाद.

<u>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति बस्ती विकास मद के कार्य</u>

20. (*क्र. 705) श्रीमती रंजना बघेल (किराड़े) : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला धार में वर्ष 2008 से 2014 तक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. बस्ती विकास मद से विधान सभा वार कराये गये कार्यो की जानकारी देवें ? (ख) क्या बस्ती विकास मद के बजट का विधानसभा वार / विकासखण्ड वार कोटा निर्धारित होता है, यदि हाँ, तो क्या बजट का वितरण कोटे अनुसार विधानसभा वार किया गया ? (ग) मनावर

विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से 2014 तक बस्ती विकास मद में स्वीकृत कार्यों की जानकारी प्रस्तुत करें ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है । (ख) जी नहीं । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है ।

श्रीमती रंजना बघेल - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि बस्ती विकास मद में जो राशि दी गई है उसमें मैंने जानकारी मांगी थी कि क्या विधानसभावार कोटा है तो आपने कहा नहीं है. धार जिला पूरा ही आदिवासी क्षेत्र है जिसमें सिर्फ बदनावर और धार विकासखण्ड सामान्य है लेकिन उसमें मैंने कई प्रस्ताव दिये. यहां मैंने सूची मांगी है 2008 से 2014 तक. मैं माननीय मंत्री जी को सूची बता दूंगी. उसमें मेरे मनावर क्षेत्र के आदिवासी बस्ती के प्रस्ताव आज भी 2008-09 से लंबित हैं. तो जो लंबित प्रकरण हैं आज भी आदिवासी बस्ती में मुझे विकास कार्य के लिये आवंटन नहीं मिल पाया है और सूची अनुसार अगर देखें तो मनावर के साथ पक्षपात हुआ है. दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में पूरा-पूरा पैसा दिया गया है और मेरे यहां मैं मंत्री जी को गिनकर बता दूंगी कि कितनी राशि कम मिली तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि जो अभी आने वाला आवंटन है उसमें मेरे सारे लंबित प्रकरणों को स्वीकृत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ज्ञान सिंह - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो जानकारी मांगी है वह उपलब्ध करा दी है. पिछले चार-पांच वर्षों की सूची आपके निर्देशानुसार उन्हें उपलब्ध करा दूंगा और जैसा कि उन्होंने मांग की है कि आने वाले दिनों में उनके विधान सभा क्षेत्र में जो आदिवासी बस्तियां हैं. धार, मनावर ही नहीं हमारे समूचा मध्यप्रदेश का आदिवासी क्षेत्र के लिये हमारा विभाग हमारी सरकार पूरे प्रयास में हैकि ऐसे जनजाति बहुल बस्तियों में अभिनव नियम, नियम बनाकर,योजना बनाकर कार्य कर सकें और अपने जनजाति भाईयों का विकास करा

सकें. इसके लिये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से कार्य कराये जा रहे हैं. जैसा माननीय सदस्या ने इच्छा जाहिर की है उनके प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा.

श्रीमती रंजना बघेल – धन्यवाद.

उच्च शिक्षा मंत्री(श्री उमाशंकर गुप्ता) – माननीय अध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य मंत्री जी को जितने धन्यवाद मिले हैं. सभी प्रश्नों पर सदस्यों ने संतुष्ट होकर धन्यवाद दिया है. एक रिकार्ड कायम हुआ है.

(प्रश्नकाल समाप्त)

श्री आरिफ अकील—अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का समय दें. मैंने कोर्ट के घपलों के मामले में ध्यानाकर्षण दिये थे यहां तक कि मुख्यमंत्री जी के यहां भी जानकारी के लिये पत्र लगाया उसका भी कुछ नहीं हुआ है.

अध्यक्ष महोदय—आपका ध्यान आकर्षण आया है, उसको लिया है.

श्री शंकरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय, सतना जिले में मेडिकल कॉलेज के लिये प्रस्ताव भेजा है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देता हूं.

श्री कमलेश्वर पटेल—मेरे विधान सभा क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी है उसकी पूर्ति करवाई जाए.

श्री दिलीप सिंह परिहार—मीडिया द्वारा भ्रामक जानकारी दी जा रही है इस मामले को भी लिया जाए.

नियम 267- क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय :-

नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 37 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा मैने प्रदान की है यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा.

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है.

अब में सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा.

क्रं.	सदस्य का
1	श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
2	श्री के.पी.सिंह "कक्काजू"
3	श्री जितू पटवारी
4	श्री बलवीर सिंह डण्डोतिया
5	श्री संजय शर्मा
6	श्री दुर्गालाल विजय
7	श्रीमती मालिनी गौड़
8	श्री गोविन्द सिंह पटेल
9	श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह
10	श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
11	श्री नीलेश अवस्थी
12	श्री नथनशाह कवरेती
13	श्रीमती झूमा सोलंकी

14	श्री रजनीश सिंह
15	श्री दिनेश कुमार अहिरवार
16	श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर
17	श्री रामनिवास रावत
18	श्री नारायण सिंह पंवार
19	श्री हितेन्द्र सिंह सौलंकी
20	श्रीमती शीला त्यागी
21	श्री कमलेश्वर पटेल
22	श्री आरिफ अकील
23	चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
24	श्रीमती उमादेवी खटीक
25	श्री प्रदीप अग्रवाल
26	श्री मुरलीधर पाटीदार
27	श्री हरदीप सिंह डंग
28	श्री घनश्याम पिरोनियाँ
29	श्रीमती नीलम अभय मिश्रा
30	श्री दिनेश राय मुनमुन
31	श्री कालूसिंह ठाकुर
32	श्री इन्दर सिंह परमार
33	श्री उमंग सिंघार
34	श्रीमती सरस्वती सिंह
35	श्री वेलसिंह भूरिया
36	डॉ. रामकिशोर दोगने
37	श्री आशीष शर्मा

पत्रों का पटल पर रखा जाना

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन

(1)**कुंवर विजय शाह (खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री)—**

अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (बी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014 पटल पर रखता हूं.

(1) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, मध्यप्रदेश का 41 वां एवं 42 वां प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 तथा 2009-2010

(2) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन 2011-2012 (1 जुलाई, 2011 से 30 जून, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष का) एवं वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013 (1 जुलाई, 2012 से 30 जून, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष का), तथा

(3) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 41 वां वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई, 2012 से 30 जू, 2013), पटल पर रखता हूं.

(2)श्री उमाशंकर गुप्ता (उच्च शिक्षा मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार—

(1) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, मध्यप्रदेश का 41 वां एवं 42 वां प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 तथा 2009-2010

(2) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन 2011-2012 (1 जुलाई, 2011 से 30 जून, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष का) एवं वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013 (1 जुलाई, 2012 से 30 जून, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष का), तथा

(3) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 41 वां वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई, 2012 से 30 जू, 2013), पटल पर रखता हूं.

(क) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 49 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 2009-2010 तथा,

(2) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन 2011-2012 पटल पर रखता हूं.

(3)श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार—

(1) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 49 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 2009-2010 तथा,

(2) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन 2011-2012 पटल पर रखता हूं

अध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी के अलावा जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे उनका नहीं लिखा जाएगा.

श्री बाला बच्चन (XXX)

श्री कमलेश्वर पटेल (XXX)

श्री आरिफ अकील (XXX)

श्री दिलीप सिंह परिहार(XXX)

आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

(4).

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014, तथा

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1838-म.प्र.वि.नि.आ.-2014 दिनांक 25 नवम्बर, 2014,

श्री राजेन्द्र शुक्ल (ऊर्जा मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014, तथा

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1838-म.प्र.वि.नि.आ.-2014. दिनांक 25 नवम्बर, 2014 पटल पर रखता हूं.

5.

(क) जे.पी. सीमेंट फैक्ट्री, रीवा में विंध्या द्वार पर गोली बारी से घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन 15 जुलाई, 2011 द्वारा सुश्री सुषमा खोसला, एकल सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल शासन के संकल्प सहित, तथा

(ख) दिनांक 13 अक्टूबर, 2013 को दतिया जिले की सेवढ़ा तहसील अंतर्गत रतनगढ़ माता मंदिर में श्रद्धालुओं के पुल पार करते समय भगदड़ के कारण घटित दुर्घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन 20 मार्च, 2014 द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश सक्सेना, एकल सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर शासन के संकल्प सहित,

श्री लालसिंह आर्य (राज्यमंत्री समान्य प्रशासन) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उप धारा (4) की अपेक्षानुसार-

(क) जे.पी. सीमेंट फैक्ट्री, रीवा में विंध्या द्वार पर गोली बारी से घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन 15 जुलाई, 2011 द्वारा सुश्री सुषमा खोसला एकल सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल शासन के संकल्प सहित, तथा

(ख) दिनांक 13 अक्टूबर, 2013 को दतिया जिले की सेवढ़ा तहसील अन्तर्गत रतनगढ़ माता मंदिर में श्रद्धालुओं के पुल पार करते समय भगदड़ के कारण घटित दुर्घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन 20 मार्च, 2014 द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश सक्सेना, एकल सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर शासन के संकल्प सहित, पटल पर रखता हूँ.

अध्यक्ष महोदय:- आज की कार्यसूची में 14 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुये सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम 4 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

पहले क्रमांक- (1) से (4) तक की सूचनाएं ली जावेंगी।

(1) ग्वालियर संभाग के जिलों में ओला एवं शीतलहर से नष्ट फसल के मुआवजा वितरण में अनियमितता किया जाना

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (मुंगावली)

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना की विषय इस प्रकार है :-

ग्वालियर संभाग के अधिकांश जिलों में पिछले वर्ष ओले पाले से तथा शीतलहर से सभी फसलें नष्ट हो गई तथा चने की फसल में तो पुरी तरह से अफलन हो गया । किसान इससे उबर भी नहीं पाया था कि इस वर्ष बिजली की कमी के कारण व अंत में बारिश कम होने के कारण 70 प्रतिशत किसान अपनी बोनी नहीं कर पाये तथा भारी संकट में हैं। पिछले वर्ष हुई ओले पाले, अतिवृष्टि व शीतलहर के कारण किसानों के नुकसान का आंकलन पटवारियों ने खेतों पर न जाकर घर पर बैठकर मनमाने तरीके से किया, कई प्रकरणों में बड़े किसानों ने रिश्वत देकर काफी नुकसान लिखवा लिया तथा एक-एक परिवार के चार-चार व्यक्तियों के नाम से 50-50 हजार रूपये का मुआवजा ले लिया। जबकि अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का मुआवजा सूची में नाम ही नहीं जोड़ा था। गुना,अशोकनगर के प्रभारी मंत्री जी ने पटवारियों द्वारा किये गये भेदभाव की शिकायत पर एक समिति बनाई थी जो कि इन शिकायतों की जांच कर जिनका नाम नहीं जोड़ा है उनका नाम जोड़ने तथा शासन से उनकों मुआवजा प्रदान करने का अनुरोध करें लेकिन इस समिति ने न कोई परीक्षण किया और न ही छानबीन की जिससे पटवारियों ने जो अन्याय किया था वह बना रहा। किसान कर्ज में डूब गया है और बिजली की अत्याधिक कटौती के कारण फसलों को पानी भी नहीं मिल रहा है इस कारण किसानों में असंतोष है तथा क्षेत्र सूखा घोषित करने की मांग कर रहें हैं।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) - अध्यक्ष महोदय,

यह सही है कि जनवरी से मार्च 2014 के मध्य ओलावृष्टि/असामयिक वर्षा से प्रदेश के 49 जिले प्रभावित हुए थे एवं जिनमें ग्वालियर संभाग के जिले भी प्रभावित हुए थे। मानसून सत्र 2014 में ग्वालियर संभाग के सभी जिलों में पर्याप्त वर्षा हुई है तथा रबी की बोनी की स्थिति भी अच्छी है। विद्युत–आपूर्ति पर्याप्त है।

यह सही नहीं है कि ओलावृष्टि आदि के कारण किसानों के नुकसान का आंकलन पटवारियों ने खेत में न जाकर घर पर बैठकर मनमाने तरीके से किया। संभाग के सभी जिलों में ओलावृष्टि/असामयिक वर्षा से हुई क्षति के सर्वे राजस्व, कृषि, उद्यानिकी एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के संयुक्त दल द्वारा ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया गया। यह कहना भी गलत है कि बड़े–बड़े किसानों ने रिश्वत देकर काफी नुकसान लिखवा लिया तथा एक ही परिवार के चार–चार व्यक्तियों के नाम से 50–50 हजार रूपये का मुआवजा ले लिया। फसल क्षति का आंकलन संयुक्त दल के माध्यम से कराकर पात्रतानुसार ही प्रभावित कृषकों को सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सर्वे पश्चात् पात्रतानुसार ही राहत राशि उपलब्ध कराई गई है। अशोकनगर एवं गुना जिले में ओलावृष्टि से हुई क्षति के संबंध में विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई थी। अशोकनगर जिले में समिति के समक्ष 1252 शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनका समिति ने जॉच कर निराकरण किया। जॉच पश्चात् 816 आवेदक पात्र पाये गये जिन्हें आर.बी.सी. 6–4 के मानदण्ड अनुसार राहत राशि उपलब्ध कराई गई। शेष 436 आवेदक मानदण्ड अनुसार अपात्र पाये जाने से उनके आवेदन निरस्त किये गये। इसी प्रकार गुना जिले में समिति के समक्ष कुल 1524 शिकायती आवेदन प्राप्त हुये, जिनमें से 166 आवेदक पात्र पाये गये जिन्हें आर.बी.सी. 6–4 के मानदण्ड अनुसार राहत राशि उपलब्ध कराई गई। शेष 1358 आवेदक अपात्र पाये जाने से उनके आवेदन निरस्त किये गये। ग्वालियर संभाग के सभी जिलों में विद्युत–आपूर्ति पर्याप्त है। किसानों में किसी भी प्रकार का कोई रोष व्याप्त नहीं है।

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- अध्यक्ष महोदय, रोम जब जल रहा था, तो नीरो बंसी बजा रहा था. प्रदेश में किसान सड़कों पर उतर आये हैं, खाद, बिजली नहीं है और वे ओला वृष्टि से परेशान हैं और आप कह रहे हैं..

अध्यक्ष महोदय -- आप प्रश्न करें. आप वरिष्ठ सदस्य हैं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- अध्यक्ष महोदय, मैं तो इनको बधाई देता हूं..

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) -- कालूखेड़ा जी, एक मिनिट. मुझे बोल लेने दें. आप सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो खाद काहे में लग रहा है. बोनी कर रहे होंगे, तभी खाद लगेगा न उसमें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- अध्यक्ष महोदय, सूखा होगा, तो खाद की जरुरत कहां पड़ गयी.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- अध्यक्ष महोदय, ऐसा थोड़ी है कि लोगों के पास सिंचाई है ही नहीं.

श्री शंकरलाल तिवारी -- तो यह मान लीजिये कि बिजली मिल रही है. अगर खाद की जरुरत है, तो बिजली मिल रही है, ऐसा मानना चाहिये.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- अध्यक्ष महोदय,मैं दोनों मंत्रियों को, गोपाल भार्गव जी को और राजस्व मंत्री जी को इनके करोड़पति पटवारियों के द्वारा किये जा रहे न्याय एवं करोड़पति पंचायत सचिवों के द्वारा सब बीपीएल के लोगों को शहीद करने के लिये बधाई देता हूं. मुझे कुछ नहीं पूछना. कुछ पूछना ही नहीं साहब.

अध्यक्ष महोदय --श्री जयवर्द्धन सिंह.

श्री जयवर्द्धन सिंह (राघौगढ़) -- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि..

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) -- कालूखेड़ा जी, ये सचिव जो हैं, (XX), आपके ही भर्ती किये हुए हैं. हमने भर्ती नहीं किये थे. यह तो हमें(XX).

राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री लाल सिंह आर्य) -- मेड इन कांग्रेस हैं. ..(हंसी)..

अध्यक्ष महोदय --श्री जयवर्द्धन सिंह, कृपया अपना प्रश्न करें. और वह निकाल दें. नाजायज वाला निकाल दें.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- अध्यक्ष महोदय, उन पंचायत सचिवों को, जिन्होंने ट्रेक्टर वालों के और मोटर साइकिल वालों के नाम बीपीएल में डाल रखे हैं, उनको आप टारगेट देकर क्यों नहीं हटवा सकते. और जो बच गये हैं, बीपीएल के लोग, गरीब लोग उनको क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं. इतना काम भी आप नहीं कर सकते. आपका क्या कंट्रोल है.

अध्यक्ष महोदय -- उनको प्रश्न करने दें. यह ध्यान आकर्षण है. श्री जयवर्द्धन सिंह.

श्री के.पी. सिंह --अध्यक्ष महोदय,किसी को (XX)कहना ..

अध्यक्ष महोदय -- वह कार्यवाही से निकाल दिया.

श्री के.पी. सिंह -- अध्यक्ष महोदय, लेकिन क्या एक मंत्री अगर कहता है कि नाजायज संतान, तो क्या वह किसी को कह सकता है.

अध्यक्ष महोदय -- मैंने उसको कार्यवाही से निकाल दिया है. श्री जयवर्द्धन सिंह.

श्री गोपाल भार्गव -- आपने जो भर्ती किये थे, उनमें क्या योग्यता थी.

श्री के.पी. सिंह -- अध्यक्ष महोदय, योग्यता थी, तभी भर्ती किये थे.

श्री गोपाल भार्गव -- क्या योग्यता थी.

श्री के.पी. सिंह -- अध्यक्ष महोदय, उसमें जो योग्यता रखी गयी थी, उनमें वह योग्यता थी. मंत्री जी, आप किसी को (XX) नहीं कह सकते.

श्री गोपाल भार्गव -- 500 रुपये में कोई नौकरी के लिये तैयार होता है.

..(व्यवधान)..

श्री के.पी. सिंह -- अध्यक्ष महोदय, आप किसी को नाजायज संतान नहीं कह सकते. आप सरकार में बैठे हैं. आप दम्भ में मत रहिये. ..(व्यवधान).. यह अच्छी बात नहीं है. यह पंचायत सचिव आपको नीचे ले आयेंगे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- के.पी. सिंह जी, अगर वे योग्य थे, तो अब आप आरोप क्यों लगा रहे हैं.

श्री के.पी. सिंह -- अध्यक्ष महोदय, आपने उनको क्यों परमानेंट किया.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अब आप आरोप क्यों लगा रहे हैं. अगर योग्य व्यक्ति आपने भर्ती किये.

श्री के.पी. सिंह -- हुजूर, उनको परमानेंट किसने किया.

इंजीनियर प्रदीप लारिया -- हुजूर, पहले आप यह बतायें कि पैदा किसने किया.

अध्यक्ष महोदय -- श्री जयवर्द्धन सिंह, कृपया अपना प्रश्न करें.

श्री के.पी. सिंह -- अध्यक्ष महोदय, आपने उनको क्यों नहीं हटाया.

अध्यक्ष महोदय -- माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया बैठ जायें. ध्यान आकर्षण होने दें.

इंजीनियर प्रदीप लारिया -- पैदा करो आप, हटायें हम.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया बैठ जायें.

श्री के.पी. सिंह -- अध्यक्ष महोदय, आपने तो ब्याज के साथ साथ दामाद तक मान लिये उनको.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- बीपीएल की सूची में बड़े बड़े लोगो को शामिल कर लिया. उनको निकालते क्यों नहीं आप.

अध्यक्ष महोदय -- माननीय के.पी.सिंह एवं महेन्द्र सिंह जी से अनुरोध है कि वे कृपया बैठ जायें. आप वरिष्ठ सदस्य हैं. हो गयी बात.

अध्यक्ष महोदय—अब उस विषय को समाप्त करें,उनका प्रश्न आने दें.

श्री के पी सिंह —पंचायत सचिव बीपीएल में नाम न बढ़ा सकता है और न घटा सकता है. आपकी सरकार ने तहसीलदार को पावर दिये हैं. पंचायत सचिव की इसमें कोई भूमिका नहीं है.

डॉ नरोत्तम मिश्र—हम नहीं कह रहे हैं. कालूखेड़ा जी कह रहे हैं. आप कालूखेड़ाजी से नाराज हो क्या?

श्री के पी सिंह —गोपाल भार्गवजी कह रहे थे कि महेन्द्र सिंह जी जानकारी दुरुस्त करें. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—जयवर्द्धनजी आप प्रश्न करें यह तो चलता रहेगा.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—पटवारी उसी को मंत्री बनाता है.

अध्यक्ष महोदय—कृपया सीधी बात न करें.

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. माननीय कालूखेड़ाजी ने जिस बात को लेकर इंगित किया था मेरा कहने का उद्देश्य यह था कि आपके समय की नियुक्तियां थीं और आप ही यह आरोप लगा रहे हैं कि सब करोड़पति हो गये हैं. मेरा कहने का आशय यह है कि यदि वह आपसे गलती हुई थी तो आपको इस बात के लिए क्षमा मांगना चाहिए...

अध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्रीजी कृपया बैठ जायें. यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है.

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक ही आग्रह करता हूं कि प्रत्युत्तर में मैंने जो कहा उसको भी आप कार्यवाही से निकाल दें.

अध्यक्ष महोदय—निकाल दिया है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—मनरेगा में करोड़पति हुए हैं. आप उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. मनरेगा ने उनको करोड़पति बना दिया.

श्री गोपाल भार्गव—आपने मनरेगा के नियम नहीं बनाये. हम लोगों ने बाद में नियम बनाये इस कारण से उसमें पारदर्शिता आयी.

अध्यक्ष महोदय—मंत्रीजी कृपया बैठ जायें. आप रुकते क्यों हैं. आप प्रश्न करें.

श्री जयवर्द्धन सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुआवजा वितरण के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह ने म.प्र. शासन के खिलाफ एक जनहित याचिका (PIL) लगायी थी.

अध्यक्ष महोदय—इससे वह कहां उद्‌भूत हो रहा है?

श्री जयवर्द्धन सिंह—मुआवजे के संबंध में है.

अध्यक्ष महोदय—ध्यानाकर्षण से संबंधित होना चाहिए. इसके बाहर कुछ भी नहीं.

श्री जयवर्द्धन सिंह—मुआवजे के संदर्भ में ही है.

अध्यक्ष महोदय—यह 10 साल पुरानी बात बता रहे हैं.

श्री जयवर्द्धन सिंह— इसका आर्डर अभी 10 दिन पहले 26 नवम्बर 2014 को ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने निकाला है कि ऐसे जो किसान थे, हितग्राही थे, जिन्होंने मुआवजे के संदर्भ में कलेक्टर को आवेदन दिया है जिनकी जमीनों पर ओले गिरे थे लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला था. ग्वालियर बेंच की हाईकोर्ट ने यह कहा है कि आरोन और मधुसूदनगढ़ तहसील में ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन पर ओले गिरे थे, मगर उनको मुआवजा नहीं मिला था उन पर वापस कार्रवाई होना चाहिए और इसके लिए मुआवजा मिलना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय—आप सीधा प्रश्न कर दें.

श्री जयवर्द्धन सिंह—आर्डर में यह लिखा है कि जो स्थल निरीक्षण 11 मार्च 2014 को गुना जिले में हुआ था उसी के आधार पर जिसमें तीन लोगों पटवारी, गिरदावर और पंचायत सचिव के हस्ताक्षर थे, उसी के मुताबिक वापस कार्रवाई होना चाहिए. मेरा प्रश्न है कि हाईकोर्ट ने जो आर्डर 26 नवम्बर 2014 को दिया है उसमें यह लिखा है..

अध्यक्ष महोदय—लिखित मत बताईये. आप तो सीधा प्रश्न पूछिये.

श्री जयवर्द्धन सिंह—इसमें 90 दिन में कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि 1 करोड़ 47 लाख रुपये वापस किये गये थे तो मंत्रीजी इतना बताने का कष्ट करेंगे...

अध्यक्ष महोदय—उत्तर कैसे आयेगा. मैं दूसरा ध्यानाकर्षण लेता हूं. आप कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं.

श्री के पी सिंह —अध्यक्ष महोदय, उनका आशय यह है कि उस आदेश के परिपालन में मुआवजा कब तक बंट जायेगा.

अध्यक्ष महोदय—ऐसा सीधा पूछें ना

श्री जयवर्द्धन सिंह—अध्यक्ष महोदय, पूछ रहा हूं कि उन्होंने 90 दिन का आदेश दिया है तो कब तक यह कार्रवाई हो जायेगी. कलेक्टर को इसके बारे में आदेश दे देंगे?

श्री रामपाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण काफी विलंब से आया. माननीय महेन्द्र सिंह जी पूर्व मंत्री भी हैं. इसमें कुछ बुराई तो कुछ अच्छाई भी है. इसमें अच्छे चश्में से भी देखना चाहिए. म.प्र. में 2171 करोड़ रुपया पहली बार बांटा गया. इतना पैसा आपके शासनकाल में कभी नहीं बंटा. इसकी तारीफ भी करना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, पारदर्शिता की बात करें तो राजस्व विभाग ने पूरे किसानों के खाते खुलवाये. उनके खातों में पैसा दिया. इसकी भी आपको प्रशंसा करना चाहिए. (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय—श्री जयवर्द्धन सिंह जी की बात का सीधा उत्तर दे दें.

श्री के पी सिंह —(XX).

अध्यक्ष महोदय—यह कार्यवाही से निकाल दें. इस तरह से बिना सबूत के आरोप नहीं लगेंगे. यह कार्यवाही में नहीं आयेगा. श्री जयवर्द्धन सिंह जी ने जो पूछा है.

श्री के.के. श्रीवास्तव - अध्यक्ष महोदय, अपने समय की परंपरा और प्रक्रिया बता रहे हैं.

श्री रामपाल सिंह - अध्यक्ष महोदय, इतनी गड़बड़ियां पहले होती थी, उसमें सुधार किया गया है.

श्री के.पी. सिंह - जो आपसे पूछा गया है, उसका उत्तर दें. मंत्री जी सीधा उत्तर नहीं दे रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय - माननीय उच्च न्यायालय की जो रूलिंग है क्या उसका परीक्षण करा लेंगे? उसका परीक्षण करा लें.

श्री रामपाल सिंह - अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री महेन्द्र सिंह जी ने जो बात कही है.

श्री के.पी. सिंह - वे हाईकोर्ट के आदेश की बात पूछ रहे हैं. उसका जवाब आप कहां दे रहे हैं? (व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य - श्री के.पी. सिंह जी आप मॉनिटरिंग मत करें, माननीय मंत्री जी को बोलने दें.

(व्यवधान)..

श्री विश्वास सांरग - अध्यक्ष जी, एक के साथ एक फ्री यह कौन-सी परंपरा है?

श्री के.पी. सिंह - मैं जो पूछ रहा हूं उसका वे जवाब नहीं दे रहे हैं?

श्री विश्वास सांरग - आप क्यों बोल रहे हैं, वे सक्षम हैं. श्री जयवर्द्धन जी सक्षम हैं. (व्यवधान)..आप अंडरएस्टीमेट क्यों कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय - आप कृपया बैठ जायं.

श्री जयवर्द्धन सिंह - अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय बैंच का ऑर्डर है.

श्री मुकेश नायक - अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय विधायक जी ने स्पेसिफिक प्रश्न किया है.

अध्यक्ष महोदय- मैं मंत्री जी से वही निवेदन कर रहा हूं कि वे स्पेसिफिक उत्तर दे दें.

श्री मुकेश नायक - हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है कितने दिन में उसका पालन करेंगे और मुआवजा देंगे या नहीं देंगे?

अध्यक्ष महोदय - उन्होंने दिन में नहीं पूछा है. आप उसका परीक्षण करा लेंगे.

श्री रामपाल सिंह - अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विषय रखना पड़ेगा. आपका संरक्षण चाहिए. माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी मुझसे मिले थे, विधायक जी मिले. एक-एक बिन्दु पर हमने जांच करवाई. उनका निराकरण भी करवाया. माननीय न्यायालय के आदेश का जहां तक सवाल है. उसका अक्षरशः पालन करेंगे और तुरन्त कार्यवाही करेंगे. मध्यप्रदेश में किसानों की सरकार है, कहीं गड़बड़ी हो, हमें बताएं, हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे.

(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल. (व्यवधान).. श्री जयवर्द्धन सिंह जी बैठ जाइए. अब नहीं. उनका महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण है. आपका निराकरण उन्होंने कर दिया है.

श्री निशंक कुमार जैन - (व्यवधान).. बिजली कहां है?

अध्यक्ष महोदय - आप कृपया बैठ जाएं.

श्री शैलेन्द्र पटेल - (व्यवधान).. चक्काजाम हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं.

श्री हर्ष यादव - अध्यक्ष महोदय, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है.

अध्यक्ष महोदय - श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल कृपया अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें. (व्यवधान). उनको पढ़ने दीजिए नये विधायक हैं. (व्यवधान).. सिवाय श्री बघेल जी के कुछ नहीं लिखा जाएगा.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - (XXX)

अध्यक्ष महोदय - तिवारी जी, कृपया बैठ जाइए.

(2) धार जिले के आदिवासी कन्या छात्रावास में छात्रा की मौत होना

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (कुक्षी) - अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है -

धार जिले के आदिवासी छात्रावासों की स्थिति बद् से बद्तर होती जा रही है। विगत् वर्षो में ऐसी कई घटनायें संज्ञान में आयी है । उल्लेखनीय है कि,वर्ष 2013 में आदिवासी कन्या छात्रावास डही, की एक राष्ट्र स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता की खिलाड़ी छात्रा ने कीटनाशक पी कर आत्महत्या कर ली थी । छात्रावास अधीक्षिका के पति द्वारा छात्रा को प्रताड़ित किया जा रहा था और यह यक्ष प्रश्न है कि छात्रावास में छात्रा को कीटनाशक कैसे उपलब्ध हुआ । दिनांक 09.12.2014 में,धार आदिवासी कन्या छात्रावास डही क्षेत्र की निवासी एक 8 वर्षीय बालिका की उचित चिकित्सीय सहायता न मिलने के कारण मोत हो गयी ओर वर्तमान में भी 4 छात्रायें धार जिला अस्पताल में भर्ती है । पूर्व में ज्ञानपुरा - धार में भी आदिवासी छात्रावास की एक कन्या के गर्भवती होने का मामला सामने आया था, परन्तु यह मामला भी दबा दिया गया । ऐसे बहुत से मामले आदिवासी कन्या छात्रावासों में घटित हो रहे है । इस प्रकार की घटनाओं के कारण पालकगण आदिवासी बालिकाओं को छात्रावासों में दाखिल करवाने में कतराने लगे है । इस स्थिती पर तत्काल काबू नही किया गया तो निश्चित ही आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर में कमी और ड्राप आउट दर में भी इजाफा होगा । इस तरह की घटनाओं के कारण छात्रायें भी स्वयं को ठगा हुआ एवं असुरक्षित महसूस कर रही है और आदिवासी समाज के मन में शासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

आदिमजाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) – माननीय अध्यक्ष महोदय,

यह सही नहीं है कि धार जिले के आदिवासी छात्रावासों की स्थिति बद से बदत्र होती जा रही है। ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:–

कन्या छात्रावास डही की छात्रा कुमारी वर्षा पिता कालूसिंह कक्षा 10 वीं द्वारा छात्रावास परिसर में कीटनाशक का सेवन नहीं किया गया था। छात्रा ने दो दिवस का अवकाश का आवेदन सहपाठी छात्रा के माध्यम से छात्रावास अधीक्षिका को प्रेषित कर छात्रा अपने गृह ग्राम धरमराय गई थी जहॉ छात्रा द्वारा कीटनाशक का उपयोग अवकाश के दौरान किया गया। घटना के संबंध में जॉच में पाया गया कि किसी भी शासकीय कर्मचारी द्वारा छात्रा को प्रताड़ित किए जाने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया, जिसका उल्लेख छात्रा के पिता द्वारा तत्समय अपने कथन में भी किया गया है। परन्तु घटना में सम्बंधित अधीक्षिका श्रीमती सोनल सोलंकी संविदा शाला शिक्षक वर्ग–3 द्वारा छात्रा की असामयिक मृत्यु की सूचना अपने नियंत्रणकर्ता /वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दिये जाने, पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण श्रीमती सोनल सोलंकी संविदा शाला शिक्षक वर्ग–3 की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डही जिला धार व्दारा दिनांक 10.01.2013 को सेवा समाप्त के आदेश जारी किए गए। इससे व्यथीत होकर श्रीमती सोलंकी ने अपीलीय अधिकारी को दिनांक 14.01.2013 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18.06.2013 को श्रीमती सोलंकी की समक्ष में सुनवाई करने के उपरांत दिनांक 21.06.2013 को इन्हें मूल पद संशाशि वर्ग–3 के पद पर सेवा में वापस करते हुए शासकीय कन्या प्रा.वि. सिदडी में पदस्थ किया।

कुमारी प्रवीणा पिता काशीराम (अनुसूचित जनजाति) कक्षा 2री में अध्ययनरत होकर शासकीय अंग्रेजी माध्यम अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम धार मे निवासरत थी। दिनांक 08.12.2014 को संविदा अधीक्षक सुश्री रश्मि तिवारी द्वारा उनके स्थानीय पालक श्री सखाराम कवचे (छात्रा के अंकल) को सूचित किया गया कि कुमारी प्रवीणा अस्वस्थ्य है। दिनांक 09.12.2014 को प्रातः 8.00 बजे खण्ड शिक्षा अधिकारी धार को दूरभाष पर संविदा

अधीक्षिका सुश्री तिवारी द्वारा सूचना दी गई कि छात्रा कुमारी प्रवीणा काशीराम गंभीर रूप से बीमार है। खण्ड शिक्षा अधिकारी धार द्वारा तत्काल छात्रा को शासकीय जिला चिकित्सालय धार में ले जाने हेतु निर्देशित करते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी धार स्वंय जिला चिकित्सालय में पहुँचकर छात्रा का उपचार कराते हुए घटना की स्थिति से सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास धार को अवगत कराया गया। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास धार द्वारा छात्रा की उत्तम उपचार व्यवस्था कराये जाने के निर्देश दिये गये। इसी दौरान अधीक्षिका द्वारा उनके स्थानीय पालक जो रिश्ते में छात्रा के अंकल श्री सखाराम कवचे निवासी धार को सूचित कर भोज हास्पिटल धार मे बुलाया गया। जहां चिकित्सक ने छात्रा का प्राथमिक उपचार एवं परीक्षण करने के उपरान्त छात्रा की गंभीर स्थिति को देखते हुए एम.व्हाय.एच.हास्पिटल इन्दौर के लिये रैफर किया गया तथा छात्रा को तत्काल एम्बुलेंस 108 की व्यवस्था कर प्रातः 9.00 एम.व्हाय.एच. हास्पिटल इन्दौर के लिये डाक्टर टीम एवं छात्रा के अंकल श्री सखाराम कवचे, *छात्रावास की अधीक्षिका सुश्री तिवारी*, परिसर में ही संचालित पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास धार की अधीक्षिका श्रीमती अनामिका कोचले एवं एक भृत्या श्रीमती गणिता के साथ भेजा गया। इन्दौर पहुंचते ही एम.व्हाय.एच.हास्पिटल में छात्रा का उपचार प्रांरभ किया गया। साथ ही छात्रा के पिता को भी सूचित करते हुए इन्दौर पहुँचने का कहा गया। सूचना उपरांत वे इन्दौर पहुँचे। लगभग 2.00 बजे छात्रा के पिता द्वारा लिखित में यह आवेदन दिया कि वे अपनी पुत्री को अपनी जिम्मेदारी पर निजी चिकित्सालय ''सुयश'' हास्पिटल इन्दौर में उपचार हेतु ले जाना चाहते हैं तत्पश्चात वे अपनी पुत्री को सुयश अस्पताल ले गये। जहॉं उपचार के दौरान लगभग सांय 3.00 से 3.30 बजे के मध्य छात्रा का देहावसान की सूचना संविदा अधीक्षिका सुश्री रश्मि तिवारी द्वारा दी गई।

घटना के संबंध में जॉंच के दौरान यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि आश्रम में छात्रा दो दिवस पूर्व से ही ज्वर से पीड़ित रही तथा दिनांक 08.12.2014 को रात्रि में छात्रा की तबीयत अचानक ज्यादा खराब होने पर अन्य छात्राओं द्वारा अधीक्षिका निवास के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया किन्तु अधीक्षिका द्वारा निवास का दरवाजा नहीं खोला गया एवं दिनांक 09.12.2014 को आश्रम का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आश्रम की चार छात्राएं भी अस्वस्थ्य हैं जिनका उपचार भी कराया गया। उक्त चारों छात्राएँ अब स्वस्थ्य हैं तथा

वर्तमान में अस्पताल में भर्ती नहीं हैं। अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम धार की अधीक्षिका सुश्री रश्मि तिवारी को प्रथम दृष्टया अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र क्रमांक 15122 दिनांक 09.12.2014 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। संबंधिता द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर समाधान कारक नहीं पाए जाने से कार्यालयीन आदेश कमांक 15188 दिनांक 11.12.20014 द्वारा सुश्री तिवारी को सेवा से बर्खास्त किया गया । मृत छात्रा के परिजन को विद्यार्थी कल्याण योजना अन्तर्गत शासन के नियम एवं प्रावधान अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धार द्वारा तत्काल 25000/- रूपये राहत राशि प्रदाय की गई। ज्ञानपुरा-धार में आदिवासी विभाग का कोई छात्रावास संचालित नही है अपितु ज्ञानपुरा-धार में कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत जिला शिक्षा केन्द्र धार द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसमें कक्षा 06 से 08 तक कुल 200 स्वीकृत सीटों के विरूद्ध 200 छात्राऍ प्रवेशित होकर अध्ययनरत् एवं निवासरत है। इस छात्रावास में कुमारी रामुडी पिता मोरसिंह निवासी ग्राम सुर्लीबयडी विकासखण्ड तिरला वर्ष 2011-12 में कक्षा 6 ठी में प्रवेशित हुई। माह अप्रेल 2013 से जून 2013 के ग्रीष्म अवकाश में छात्रा रामुडी का विवाह विकम पिता उदिया के साथ 17 मई 2013 को सामाजिक रीतिरिवाज के साथ हुआ । छात्रा द्वारा आगे के अध्यापन कार्य को जारी रखने के लिए कस्तुरबा गॉधी बालिका विद्यालय ज्ञानपुरा में जुलाई 2013 में कक्षा 8 वीं में प्रवेश लिया गया । सम्बंधित छात्रा तथा उसके परिजन द्वारा विवाह होने सम्बंधी जानकारी संस्था को प्रस्तुत नहीं कर तथ्यों को छुपाया गया। सम्बंधित छात्रा के गर्भवती होने सम्बंधी जानकारी प्रकाश में आने पर संस्था में कार्यरत् वार्डन तथा सहायक वार्डन द्वारा छात्रा के परिजन को संस्था में बुलाकर छात्रा को घर भेजा गया । सम्बंधित छात्रा को संस्था में निवास से पृथक किया गया परन्तु छात्रा का अध्यापन प्रभावित न हो इसलिए उसे अध्यापन से पृथक नही किया गया। छात्रा द्वारा अपना अध्यापन माध्यमिक विद्यालय ज्ञानपुरा से निरंतर रखते हुए कक्षा 8 वीं की परीक्षा 2014 में उत्तीर्ण की।

धार जिले में उपरोक्त घटनाओं के अतिरिक्त कोई अन्य घटना संज्ञान में नहीं आई है। जिलें में आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत संचालित अजजा बालिकाओं के 39 छात्रावास में 2795 सीटस् स्वीकृत होकर वर्ष 2014-15 हेतु 2795 निवासरत है तथा अनुसूचित

जनजाति बालिकाओं के 57 आश्रम में 3560 सीट स्वीकृत होकर वर्ष 2014–15 में 3560 बालिकाएँ को प्रवेश दिया जिसमें से वर्तमान में 3559 छात्राएँ निवासरत है। इसी प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान अर्न्तगत संचालित 13 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व 10 बालिका छात्रावासों मे क्रमशः 2600 एवं 650 सीटस् स्वीकृत होकर इतनी ही बालिकाएँ प्रवेशित होकर निवासरत् है। धार जिले में वर्ष 2001 की जनगणना में आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता का प्रतिशत 38.57 तथा 2011 में महिला साक्षरता में 10.20 प्रतिशत की वृद्धि होकर 48.77 प्रतिशत रही है साथ ही वर्ष 2013–14 में बालिकाओं का ड्रॉप आउट 740 तथा वर्ष 2014–15 में बालिकाओं का ड्रॉप आउट घटकर 547 रहा है । इससे स्पष्ट है कि छात्रावासों/आश्रमों मे बालिकाओं के प्रवेश की स्थिति शतप्रतिशत है तथा आदिवासी क्षेत्रों के छात्रावासो में शासन द्वारा दी जा रहीं सुविधाओं के फलस्वरूप महिला साक्षरता की दर में वृद्धि हुई है साथ ही बालिकाओं के ड्रॉप आउट की संख्या में कमी आई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि छात्राओं में कोई असुरक्षा का भाव नहीं है तथा आदिवासी समाज के मन में शासन के प्रति कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल – माननीय मंत्री जी, पहली बात आदिवासी समाज का शासन के प्रति आक्रोश नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. दूसरी बात 2013 की घटना के बारे में जो आपने जानकारी दी कि वह बालिका छुट्टी लेकर गई थी और छुट्टी लेकर जाने के बाद उसने कीटनाशक पी लिया, उसका आवेदन प्राप्त हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई. इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ. बालिका की जो हैंडराइटिंग है, जब हम वहां पर गए तो बच्चों ने बताया कि अधीक्षिका और उसके पति, जो पीटीआई वहां पर पदस्थ हैं जो उन्होंने हैंडराइटिंग की किताब और उसका आवेदन प्रस्तुत किया, वह उससे मेल ही नहीं खाता था. कीटनाशक बालिका ने हॉस्टल में ही पिया, जब अधीक्षिका को पता चला कि उसने कीटनाशक पी लिया है तो उसने 500 मीटर दूर उस बालिका को ले जाकर छोड़ दिया ताकि उन पर कोई इल्ज़ाम न आए. वहां के लोगों ने जब यह देखा तो उन्होंने इसकी सूचना उनके परिवारवालों को दी. हॉस्टल अधीक्षिका और उनके पतिदेव तो गाड़ी में बिठाकर उसको अस्पताल बाद में ले गए. पहले अधीक्षिका और उसके पति ने उनके

परिवारवालों को सूचना क्यों नहीं दी ? आपने अधीक्षिका को सस्पेंड कर दिया, पर उस पीटीआई को वहीं छोड़ दिया ताकि ऐसी घटना वापिस हो जाए और तब जाकर उसको आप बर्खास्त करेंगे. मैं चाहता हूँ और मेरा निवेदन है मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है कि आप उसे यहां भेजिए या वहां भेजिए, आप सबसे पहले आप उस पीटीआई को हटा दीजिए क्योंकि जब भी प्रतियोगिता होती है तो वह अपनी निजी वाहन में बैठाकर बच्चियों को ले जाता है और इसके अलावा बच्चियों की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जो वे केवल महिलाओं से ही कह सकती हैं, एक मेल इंस्ट्रक्टर को नहीं बता सकती. दूसरी बात यह है कि आपने धार जिले की जो बात कही है कि बच्ची बीमार थी और बहुत सारा आपने ब्यौरा उपलब्ध करावाया, जो आपके अधिकारियों ने आपको दिया है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि 6 दिन से बच्ची बीमार थी तो क्या 6 दिन से वार्डन को नहीं दिखा और 24 घंटे बीत जाने के बाद कार्यवाही करते हुए अधिकारी को बर्खास्त कर दिया और वह भी तब जब मैंने सुबह 8 बजे ध्यानाकर्षण की सूचना सचिवालय को दी. मैं आपसे यह चाहता हूँ कि इन दोनों प्रकरणों में जहां आपने दोनों को बर्खास्त किया है, आपका विभाग अनुशंसा करके गृह विभाग को भेजे कि इन लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो, क्योंकि आदिवासी बच्चों का मामला है, इन पर कार्यवाही आप तत्काल करवाएं. यह मैं इस सदन के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप हमें आश्वस्त करें और तीसरी बात गर्भवती महिलाओं की आपने जो बात बताई है तो मैं समझता हूँ कि यह भी अति गंभीर विषय है, इस विषय पर भी आपको गंभीरता दिखानी चाहिए और आने वाले समय में...

अध्यक्ष महोदय – आप बैठ जाएं, आपका प्रश्न आ गया, माननीय मंत्री जी.

श्री ज्ञान सिंह – माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रशासन द्वारा स्पष्ट उत्तर माननीय सदस्य को दिया जा चुका है. विभाग द्वारा और शासन द्वारा कोई कोताही नहीं बरती गई है. जितना हो सका बड़ी तत्परता के साथ विभाग ने पीड़ित छात्राओं के उपचार को लेकर हॉस्पिटल तक पहुँचाने

का काम किया है. लापरवाही बरतने पर जैसे ही जानकारी मिली, शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया है.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल – माननीय मंत्री जी, मेरी बात उस पीटीआई को लेकर है. आप उसको क्यों बचा रहे हैं ? आप उसको क्यों नहीं हटा देते ? आपका उसमें ऐसा क्या इन्टरेस्ट है ?

श्री वैलसिंह भूरिया – माननीय अध्यक्ष महोदय, यह धार जिले के आदिवासी क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय – किसी को एलाऊ नहीं करेंगे. श्री के.पी. सिंह अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें.

श्री बाला बच्चन – अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा भी नाम है.

अध्यक्ष महोदय – बहुत लंबे नाम हैं, दो ध्यानाकर्षण और हैं, आपसे अनुरोध है कि आप सहयोग करें.

श्री बाला बच्चन -- श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल के प्रश्न का जवाब भी मंत्री जी ने नहीं दिया है. ध्यानाकर्षण का जवाब बहुत बड़ा पढ़ दिया उन्होंने. (व्यवधान) ... ध्यानाकर्षण लगाने का कोई मतलब नहीं रह गया है. (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय – श्री बाला बच्च्न जी, आप खुद पूछ लीजिए.

श्री बाला बच्चन– माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद, क्योंकि यह मामला आदिम जाति विभाग से संबंधित है, और छात्रावासों में जो कन्याएं रहती हैं, इस ध्यानाकर्षण में यह बात आई है कि कन्याओं का गर्भवती हो जाना, कीटनाशक दवाई पीकर मर जाना, छात्रावासों में पढ़ने जैसा वातावरण न मिलना, यह इस बात का द्योतक है कि जिस तरह से कसावट छात्रावासों में लगना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय – आप सीधे अपनी बात प्रश्न के रूप में रख दें.

श्री बाला बच्चन—माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि यह जो भय का वातावरण बना है, पढ़ाई लिखाई न हो पाने का जो वातावरण बना है, मुझे याद है, मैं छात्रावास में रह के पढ़ के आया हूँ और बहुत सारी अभी हमारी महिलाएँ अधिकारी जो बनी हुई हैं वे छात्रावासों में पढ़ी हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद भी इस वर्ग से आते हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह की पुनरावृत्ति इन छात्रावासों में न हो. देखिये जवाब तंत्र ने बनाकर दे दिया,उसको आपने पढ़ लिया. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो. हनी बघेल जी के प्रश्न का जवाब भी इसमें स्पेसीफिक नहीं आया. जिस उद्देश्य के साथ हमारी छात्राएं, कन्याएँ वहां पर जो जो आती हैं उनको पढ़ाई लिखाई का वातावरण मिले . हमारी कन्याएँ डाक्टर, इन्जीनियर, शासक और प्रशासक बने और देश और प्रदेश को सेवाएँ दें, ऐसी आप व्यवस्था लागू करवायें.

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी, पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या कोई सक्षम व्यवस्था करेंगे.

श्री ज्ञान सिंह—माननीय अध्यक्ष जी,अवश्य.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल—पीटीआई को निलंबित करेंगे. मंत्री जी, उस पीटीआई से क्या इन्टरेस्ट है आपका, आप उसको क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको तो हटा दो.

श्री बाला बच्चन—माननीय अध्यक्ष महोदय, पीटीआई ड्रिन्क्स करता है, वह अधीक्षिका का पति है, वह वहां पढ़ाई लिखाई का वातावरण बिगाड़ता है, बच्चों में डर का वातारण बनाता है, उसको सस्पेंड करके वहां से हटाना चाहिए.

श्री वैलसिंह भूरिया—पीटीआई के साथ साथ जिले के अधिकारियों पर भी कार्यवाही होना चाहिए.

श्री ज्ञान सिंह—माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं उनको हटा दिया गया था लेकिन वे न्यायालय से स्टे लेकर के आये हैं.

अध्यक्ष महोदय—ठीक, श्री केपी सिंह जी अपना ध्यानाकर्षण पढ़ें.

श्री बाला बच्चन—माननीय मंत्री जी, आप मंत्री हैं, आप व्यवस्था दें.

अध्यक्ष महोदय—उन्होंने बतला दिया. कृपया दूसरा ध्यानाकर्षण आने दें. माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप कृपया सहयोग करें.आपके ही सदस्य हैं वह भी.

श्री के.के. श्रीवास्तव—कोर्ट का स्टे है अध्यक्ष महोदय

श्रीमती सरस्वती सिंह—क्या गरीब बच्चों के साथ इस तरह से हरकत की जाएगी.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल—मंत्री जी पीछे से उत्तर दिलवा दो, हम सहमत हो जाएंगे.

श्रीमती सरस्वती सिंह—जब इस तरह की बात की जाती है तो दबाया क्यों जाता है,आप दोषियों को बचाना चाहते हैं. गरीब आदिवासी बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं

श्री यादवेन्द्र सिंह—जो अधिकारियों ने कागज में लिख के दिया उसको मंत्री जी ने पढ़ दिया. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप कृपा करके बैठ जाएं. उन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया. कोर्ट से स्टे है. आप लोग विषय की की गंभीरता को खुद ही खत्म करते हैं. आप लोग बार बार जिस विषय पर चर्चा हो गयी है, उत्तर आ गया है, उसके बाद में उसी उसी विषय की चर्चा करके विषय की गंभीरता को खत्म करते हैं. ध्यानाकर्षण की बात चलने दें. श्री के.पी. सिंह अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें. आप बैठ जाइये. बहुत देर आपको दे दी. आधा घंटा हो गया आपको

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल—इसकी अनुशंसा करके भेज दें, जानकारी मंगवा दें.क्या जब अगली घटना होगी तब मंत्री जी हटायेंगे. जब कोर्ट से वह स्टे लेकर के आ जाएगा.

श्री बाला बच्चन—माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सरकार के माथे में जूं तक नहीं रेंगती है.

अध्यक्ष महोदय- कल आपने ध्यानाकर्षण दिया था ,आपके आग्रह पर लिया है उसको. अब कृपा करके व्यवस्था बनाये रखें. दूसरों को क्या नहीं बोलने देंगे आप और आप भी उनको सपोर्ट करेंगे,आपकी जिम्मेदारी पूरे सदस्यों को संरक्षण की है.

श्री कमलेश्वर पटेल—अध्यक्ष महोदय, कभी कभी आप भी व्यवस्था दे दिया करें.आपको व्यवस्था देने का अधिकार है.

अध्यक्ष महोदय-- के. पी. सिंह आप पढ़ दें. ये बार बार उठेंगे. वे कोई गंभीर नहीं है.श्री के.पी. सिंह जी के अलावा किसी का कुछ नहीं लिखा जाएगा.

...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- श्री के.पी. सिंह जी के अलावा किसी का कुछ नहीं लिखा जाएगा कुछ भी रिकार्ड में नहीं आएगा.

श्री उमंग सिंघार—(XXX)

अध्यक्ष महोदय--- कोई भी जानकारी नहीं आएगी...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए कृपा करके.

श्री यादवेन्द्र सिंह—(XXX)

अध्यक्ष महोदय—जवाब आ गया है, कोर्ट से स्टे को आप कैसे सुपरसीड करेंगे. बैठ जाइए आप.

श्रीमती ऊषा चौधरी-- (XXX)

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जाएं.

श्री के.पी. सिंह--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस संदर्भ में कुछ बोलना चाह रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय-- आप तो अपना ध्यानाकर्षण पढ़ें.

श्री बाला बच्चन-- माननीय मंत्री जी, आपको यह कन्यायें और समाज आपको माफ नहीं करेंगे.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल-- (XXX)

अध्यक्ष महोदय--- बात हो गई है...(व्यवधान)..मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं.

श्री ज्ञान सिंह--- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बाला बच्चन जी ने जो अभी यह उद्गार व्यक्त किये हैं,अवश्य सरकार और विभाग आने वाले दिनों में और इसके पहले से हम तैयारी कर चुके हैं कोई आश्रम और छात्रावास जो कन्याओं के हैं वहाँ बाउण्ड्रीवाल और गेट लगेंगे और कोई अवैध व्यक्ति नहीं आ पाएगा...(व्यवधान)

(XXX)- आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय---(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)-- तो आप क्या चाहते हो ,आप सब बैठ जाइए. के.पी. सिंह जी अपना ध्यानाकर्षण पढ़े. आप क्या चाहते हैं, कार्यवाही तो हो गई है. आप लोग सदन चलने देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं . बार-बार आप उसी विषय पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया है इसी ध्यानाकर्षण पर.

श्री उमंग सिंघार—(XXX)

अध्यक्ष महोदय--- आप बैठ जाइए. आपका नाम कहा है इस ध्यानाकर्षण में जो खड़े होकर बोलने लगे आपका नाम कहाँ है इस लिस्ट में...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए, श्री के. पी. सिंह अपनी बात रखें.

श्री बाला बच्चन—मंत्री जी, क्या आप उस पीटीआई को सस्पेंड करेंगे उसको हॉस्टल से बाहर करेंगे.उसकी पत्नी वहाँ पर अधीक्षिका है, पीटीआई के वहाँ रहने का क्या औचित्य है.

अध्यक्ष महोदय--- अब वह विषय समाप्त हो गया है, आप तो उत्तर पढ़ लीजिये.

श्रीमती ऊषा चौधरी--- (XXX)

श्री उमंग सिंघार--- (XXX)

अध्यक्ष महोदय--- इसको इसीलिए ही लिया है, आप बैठ जाए मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है ...(व्यवधान)..... आप क्या कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ने देंगे आप तो तय कर लीजिये कि कार्यवाही को आगे बढ़ने देना है या नहीं .माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी आप क्या कहना चाहते हैं, कार्यवाही आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी.

श्री बाला बच्चन--- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है आदिवासी कन्याओं से संबंधित है.

अध्यक्ष महोदय-- इसीलिए तो ध्यानाकर्षण में लिया है आपकी बात आ गई उनका उत्तर आ गया अब उसके बाद आप और क्या चाहते हैं.

(XXX)- आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री बाला बच्चन-- वह ठीक है. मैं यह कह रहा हूं कि महिला अधीक्षिका है, उसके पति का वहाँ क्या काम और वह शराब पीता है, कन्याओं को प्रताड़ित करता है उसके कारण उस लड़की ने कीटनाशक पी है उसको सस्पेंड करना चाहिए और तत्काल वहाँ से हटाना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय--- उत्तर दिया है उन्होंने.

श्री बाला बच्चन-- मंत्री जी, आप उसे सस्पेंड करने की कार्यवाही करेंगे.

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाइए, श्री के.पी. सिंह जी अपना ध्यानाकर्षण पढ़े.

श्री के.पी. सिंह--- अध्यक्ष महोदय, स्थानांतरण पर स्टे है, सस्पेंशन पर स्टे नहीं है.

श्री बाला बच्चन--- अध्यक्ष महोदय, उस कैम्पस से उस पीटीआई को हटवा तो दें.यह इतना बड़ा ध्यानाकर्षण आया है इसके माध्यम से भी अगर व्यवस्था नहीं आएगी तो हम लोगों का विश्वास विधानसभा के प्रति कैसे बचेगा. आप उसको वहाँ से हटायें.

अध्यक्ष महोदय-- के.पी. सिंह जी आप अपना ध्यानाकर्षण पढ़े.....(व्यवधान)... मंत्री जी ने कहा है कि कोर्ट से स्टे आया है उसको हटा रहे थे...(व्यवधान)...बैठ जाइए आप.आप लोग सीधे बात नहीं करें. श्री के.पी. सिंह अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़े.

श्री बाला बच्चन—अध्यक्ष महोदय, आदिवासी कन्याओं से संबंधित मामला है आपको इस पर व्यवस्था दिलवाना चाहिए...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय-- विधानसभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित.

(12.20 बजे विधानसभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित)

12.41 बजे विधान सभा पुनः समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए}

श्री बाला बच्चन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, हनी बघेल जी के ध्यानाकर्षण पर शासन की तरफ से व्यवस्था आई नहीं. मैं यह चाहता हूँ, आप से आग्रह करता हूँ कि आप शासन से, मंत्री जी से, इसमें जवाब दिलवाएँ.

अध्यक्ष महोदय-- मेरा आग्रह तो यह था कि आप आगे बढ़ने दें.

श्री बाला बच्चन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल नहीं. अनुसूचित जनजाति की कन्याओं से संबंधित बात है. हम फिर वह रिपीट करेंगे. हम आप से पहले आग्रह कर चुके हैं. आप कृपया उस पर व्यवस्था दें.

अध्यक्ष महोदय-- मेरा माननीय मंत्री जी से ऐसा कहना है कि वे इस पूरे प्रकरण की, जो माननीय सदस्य ने उठाया है, पीटीआई के संबंध में, उसकी जाँच करा लें और जब तक जाँच पूरी होती है, उसको जिला मुख्यालय पर अटेच कर दें. (मेजों की थपथपाहट)

श्री ज्ञान सिंह-- माननीय, आसंदी का जो आदेश.

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल-- अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने व्यवस्था दी...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- श्री आरिफ अकील अपना ध्यानाकर्षण पढ़ें..(व्यवधान)..

श्री बाला बच्चन-- अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद...(व्यवधान)..

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल-- अध्यक्ष महोदय, मैं अपने समाज की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ.

श्री रजनीश सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.

भोपाल के सघन आबादी वाले क्षेत्र में मोबाईल टॉवर लगाया जाना

श्री आरिफ अकील (भोपाल उत्तर)

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना की विषय इस प्रकार है :-

भोपाल शहर में गगनचुंभी मोबाईल टावरों की भरमार है जबकि टॉवर स्थापित किये जाने से पूर्व टेलीकॉम कम्पनियों और नगर निगम के मध्य जनहित में कई शर्तों का अधिनियम के अनुसार अनुबंध किया जाता है, जैसे सार्वजनिक स्थलों से दूर व व्यस्ततम बाजारों व अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में यह टॉवर स्थापित नहीं किए जाएगें क्योंकि इससे निकलने वाले रिडिएशन से अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। परंतु टेलीकॉम कम्पनियों एवं नगर निगम के अधिकारियों की सांठ-गांठ के चलते सार्वजनिक स्थान कोलार क्षेत्र के मातृत्व अस्पताल की छत पर व रहवासी क्षेत्र में टॉवर स्थापित किए गए हैं इसी प्रकार पुराने भोपाल में कई स्कूलों व अधिक व्यस्ततम आवाजाही वाले बाजार में कई टावर स्थापित किए गए हैं और दिनांक 08.08.2002 को एक मकान नम्बर 198 पर मोबाईल टॉवर लगाने की अनुमति जारी की गई लेकिन उक्त मकान नम्बर पर कोई मकान नहीं है एक प्लाट अवश्य है जिस पर मोबाईल टॉवर स्थापित किया गया है जिससे नागरिक रेडिएशन की चपेट में आ रहे है डाक्टरों के अनुसार रेडिएशन से मनुष्य के मस्तिष्क अवशोषित होने का खतरा है, आंखों की रोशनी कम होती है, ब्रेन टियूमर और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों में वृद्धि होती है दूरसंचार और प्रोद्योगिकी मंत्रालय की समिति भी टावरों से निकलने वाले रेडिएशन को खतरनाक मान चुकी है। इनसे पशु, पक्षियों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है संभवत: इसी कारण से शहर में परिदों-चिड़िया,कबूतर, कौआ, कोयल इत्यादि नजर नहीं आते हैं लेकिन निगम प्रशासन इन सब परिस्थितियों एवं नियम कानून को ताक में रखकर टेलीकॉम कम्पनियों से सांठ-गांठ कर रहा है नागरिकों के स्वास्थ्य की किसी कोई चिन्ता नहीं है आयेदिन नई-नई बीमारियां सामने आ रही है इस कारण शहर में शासन के प्रति जनाक्रोष व्याप्त है ।

नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय)—अध्यक्ष महोदय,

यह कहना सही नहीं है कि भोपाल शहर में गगनचुंबी टावरों की भरमार है। मोबाईल टावर स्थापित किये जाने के पूर्व ''म.प्र. नगर पालिका (अस्थाई टावर का संस्थापन/सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा के लिये अधोसंरचना) नियम 2012'' के अनुसार अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होता है। उक्त नियम के नियम 21 के अनुसार रेडियेशन संबंधी शिकायत एवं उसके निराकरण हेतु दूरसंचार विभाग को अधिकृत किया गया है। यह कहना सही नहीं है कि टेलीकाम कंपनियों एवं नगर पालिक निगम के अधिकारियों की सांठ गांठ के चलते खुले आम सार्वजनिक स्थान क्षेत्र में टावर स्थापित किये गये है। जहां तक कोलार क्षेत्र के मातृत्व अस्पताल की छत पर टावर स्थापित किये जाने का विषय है, उक्त क्षेत्र कुछ समय पूर्व ही नगर निगम भोपाल के क्षेत्र में सम्मिलित हुआ है, अतः इस संबंध में जांच कराई जा रही है। यह कहना भी सही नहीं है कि पुराने भोपाल में कई स्कूलों पर नगर निगम द्वारा टावर स्थापना हेतु अनुमतियॉ दी गई है, अपितु सच यह है कि विभिन्न टेलीकाम कंपनियों ने कई स्थानेां पर बिना स्वीकृति के मोबाईल टावर स्थापित किये है जिनके विरूद्ध नगर निगम द्वारा कार्यवाही किये जाने पर टेलीकॉम कंपनियों द्वारा मान. उच्च न्यायालय से उन्हे हटाये जाने बाबत् स्थगन प्राप्त किया गया है। दिनांक 08.08.2002 को शक्ति नगर स्थित मकान क्रमांक 198 पर मोबाईल टावर लगाने की अनुमति जारी की गई एवं वर्तमान में प्रश्नाधीन टावर उक्त भवन के पृष्ठ भाग में भूमि पर स्थापित है। जहां तक रेडियेशन संबंधी विषय है वह म.प्र. नगर पालिका (अस्थाई टावर का संस्थापन/सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा के लिये अधोसंरचना) नियम 2012 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी दूरसंचार विभाग अथवा भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी से संबंधित है। रेडियेशन से ब्रेन ट्यूमर एवं अन्य बीमारियों के होने अथवा पशु–पक्षियों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी इस विभाग के संज्ञान में अधिकृत रूप से नहीं लाई गई है। भारत सरकार के संबंधित विभाग को मोबाईल टावर से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी अद्यतन वैज्ञानिक/तकनीकी वस्तुस्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा उपरोक्त उल्लेखित नियमों के अंतर्गत विधिवत् कार्यवाही की गई है एवं किसी भी प्रकार की सांठ गांठ नहीं की गई है। शहर में शासन के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त होने एवं अत्यंत विस्फोटक स्थिति बनी होने की बात सत्य से परे है।

श्री आरिफ अकील—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूँ कि यह सही है कि हाई कोर्ट ने कोई स्टे दिया है जिसके कारण हटाने की कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जो वैध हैं उनके लिए हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया जो अवैध हैं जहां कि अनुमति आपने दी थी वहां नहीं बने हैं उनके खिलाफ तो आप कार्यवाही कर सकते हैं.

श्री कैलाश विजयवर्गीय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा ध्यानाकर्षण उठाया है इस बारे में समाज में काफी गलतफहमियां भी व्याप्त हैं यह जरुरी है कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो. मैं अपने उत्तर में कह चुका हूँ कि जो वैध हैं वे तो परमीशन वाले हैं और जो अवैध हैं उनके खिलाफ नगर निगम ने कार्यवाही की थी तो जितने भी अवैध टॉवर थे वे सारी कंपनी वाले हाई कोर्ट गये और हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है जिससे उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं.

श्री आरिफ अकील—अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूँ कि जो स्टे हाई कोर्ट ने दिया है उसमें यदि यह बतायेंगे कि यह बगैर अनुमति के हैं अवैध हैं तो उस पर तो यकीनन कार्यवाही होगी. मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या नगर निगम भोपाल में या अन्य किसी नगर निगम में टॉवर से निकलने वाले रेडिएशन नापने हेतु कोई व्यवस्था है ? अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो मध्यप्रदेश में जितने भी टॉवर लगे हैं उनके आसपास रहने वालों को जो बीमारियां हो रही हैं क्या आपका विभाग उन सब बीमारियों की जांच करायेगा.

श्री कैलाश विजयवर्गीय—अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ. वास्तव में नगर निगम टॉवर लगाने की अनुमति देता है रेडिएशन की जांच करने का काम टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा TERM (Telecom Enforcement Regulatory Monitoring) स्थापित किया गया है इसका ऑफिस भोपाल में है. जैसे ही यह ध्यानाकर्षण रात को मुझे मिला मैं सुबह से इंटरनेट पर बैठा था और इनके अधिकारियों से भी मैंने चर्चा की है. इनके अधिकारियों ने एक रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रेडिएशन तो निकलते हैं परन्तु यह मनुष्य,

पक्षी और जानवरों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं उनकी इंटेनसिटी इतनी नहीं है जो इलेक्ट्रो मेग्नेटिक वेव्स निकलती हैं उसकी तीव्रता अधिक होती है तो फिर हानिकारक होता है हमारे यहां जितने भी टॉवर लगे हैं उनका वे समय-समय पर रेंडम टेस्ट करते हैं किसी भी टॉवर में इतनी तीव्रता नहीं है जो मनुष्य या पक्षियों के लिए हानिकारक हो. उसके बावजूद यह ध्यानाकर्षण आने के बाद हमने पुन: विभाग को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उन्हें कहा है कि भोपाल ही नहीं मध्यप्रदेश में जितने टॉवर लगे हैं आप एक बार उनका फिर से परीक्षण करें और उसकी रिपोर्ट हमारे पास प्रस्तुत करें. साधारणतया चर्चा यह होती है कि यह गलतफहमी लोगों की दूर हो कि टावर से किसी प्रकार नुकसान नहीं है, हमने आज आपका ध्यानाकर्षण आने के बाद भी पत्र लिखा और इसके पहले भी हम पत्र लिख चुके हैं , उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है । मैं आपको धन्यवाद इसलिये भी दे रहा हूं कि आपका ध्यानाकर्षण आने के बाद हमने फिर से पत्र लिखा है कि मध्यप्रदेश में जितने भी टावर लगे हैं सब में रेंड करने वाले रेडिऐशन की रिपोर्ट बुलायेंगे । यदि वह किसी भी प्रकार की हानिकारक होगी, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री आरिफ अकील :- अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी सवाल यह है कि मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2012 में जब जब इसके नये नियम बने हैं तो उन नियमों को सामने रखते हुए , क्या हाईकोर्ट में स्टे वैकेट कराने के लिये शीघ्र कोई आवेदन लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश विजयवर्गीय :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश देश का पहला प्रदेश है जिसने इस प्रकार जो टावर इरेक्ट करने का एक्ट 2012 में बनाया । उसके लिये केन्द्र सरकार ने हमारी प्रशंसा भी की है। साथ ही जैसा आपने कहा है कि उच्च न्यायालय में हमने जल्द सुनवाई के आवेदन भी लगा रहा है और निश्चित रूप से जहां पर भी अवैध टावर होंगे , नगर निगम आपने भोपाल का कहा है हम पूरे प्रदेश में कार्यवाही करेंगे।

श्री मुकेश नायक :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि जो टावर है इसके रेडिएशन का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इंटरनेट पर जाईये इस पर 600 से ज्यादा रिसर्च के निष्कर्ष पड़े हुए हैं । यह फर्टलाईजेशन के लिये, याद्दाश्त के लिये इसका रेडिएशन बेहद खतरनाक है , जहां यह टावर लगता है वह तीन किलोमीटर के रेडिएशन में पशु पक्षी बच्चा देने बंद कर देते हैं, इससे क्लासिकल अल्जाईमर का रोग होता है ,मेमोरी लॉस होती है और इसके स्वास्थ्य के प्रति इतने विपरीत प्रभाव हैं खासकर के स्वास्थ्य के ऊपर और स्मृति के ऊपर। 600 से ज्यादा रिसर्च हैं इसके ऊपर।

श्री कैलाश विजयवर्गीय :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुकेश जी को अवगत कराना चाहूंगा कि मैं आज एक –ढेड़ घंटे इंटरनेट पर बैठा था। दुनिया में जहां जहां इसके ऊपर काम चल रहे हैं, इसकी सबकी मैंने स्टडी की । यूएस में इसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ और उन्होंने कह दिया कि इसकी एक इंटेंनिटी निश्चित है, उससे ज्यादा तीव्रता होगी तो फर्क पड़ता है नहीं तो फर्क पड़ता है, नहीं तो नहीं पड़ता है। फ्रांस में इसके ऊपर जरूर बड़े-बड़े टावर समाप्त करके छोटे छोटे टावर लगाने का काम शुरू कर दिया है, वह भी बिना कोई वैज्ञानिक निर्णय के सरकार ने राजनैतिक निर्णय लिया है, पर दुनिया मैं इसके खिलाफ रिसर्च पत्र मेरे पढ़ने में नहीं आया है, मैं आज इंटरनेट पर बैठा था। टावर लगाने से कोई बहुत ज्यादा मानव छति हो रही है , पर इस पर चर्चा पूरे विश्व स्तर पर है और बहुत सारे एनजीओ , सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। परन्तु तकनीकी रूप से जो रिपोर्ट मैंने देखी है, अभी तक जो मेरी जानकारी में आया है हो सकता है कि मुकेश जी ने कोई रिपोर्ट देखी होगी। मैं इसको बहुत गंभीरता से ले रहा हूं। शासन का जो उत्तर आया था वह तो दस लाईन उत्तर था। परन्तु मुझे लगा कि यह विषय समाज से जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर निश्चित रूप से सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। मैं आपको एक बात से और आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आपके पास अगर वह रिपोर्ट हो आप मुझे उसकी साईड का नाम बता दीजिये या प्रिंट आऊट निकाल कर दे दीजिये। उस रिपोर्ट को, हम उच्च न्यायालय में भी रख

देंगे और किसी भी प्रकार से अगर समाज में इस टावर लगने से नुकसान होगा तो सरकार इसको गंभीरता से देखेगी।

श्री आरिफ अकील :- इसके लिये माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद कि इस बहाने उन्होंने अपना ज्ञान आगे बढ़ाया और आगे और कार्यवाही करेंगे, धन्यवाद्।

(3) **शिवपुरी जिले में रेत की नीलामी बंद होने से उत्पन्न स्थिति**

श्री के.पी.सिंह"कक्काजू"(पिछोर) -

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

शिवपुरी जिले में दिनांक 1.7.2014 से शासन द्वारा रेत की नीलामी न किये जाने से समस्त रेद खदानें बंद हो गई है। रेत का उत्खनन एवं परिवहन बंद हो जाने से निर्माण कार्यो हेतु रेत उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिससे जिले के शासकीय एवं निजी निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। रेत खनन से जुड़े वाहनों, ट्रेक्टर आदि पर कार्य करने वाले मजदूरों को रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गई है। कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा अपने निजी कार्यो हेतु आस-पास के नदी नालों से रेत निकालकर इक्कट्ठा (डम्प) किया गया था। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों के द्वारा डम्प की गई रेत को जप्त कर नीलामी की कार्यवाही की गई तथा मौके पर रेत की मात्रा कम होने से अधिक खनिज मात्रा के अभिवहन पास जारी कर प्रशासन की मिलीभगत से चोरी छुपे रेत का अवैध परिवहन करने आदि अनियमितताएं बदस्तूर जारी हैं। जिससे राज्य शासन को राजस्व की हानि भी हो रही है तथा प्रभावित आमजन एवं रेत खनन से सम्बद्ध मजदूरों एवं अन्य वर्गो में आक्रोश व्याप्त हे।

(12.58 बजे) **सभापति महोदय (डॉ.गोविन्द सिंह) पीठासीन हुए.**

खनिज साधन मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) - माननीय अध्यक्ष महोदय,

शिवपुरी जिले में रेत खनिज की 13 नीलाम खदानें अवधि 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 तक स्वीकृत थीं। मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 41 में प्रावधान अनुसार इन नीलाम खदानों की अवधि 3 माह अर्थात् 01 अप्रैल 2014 से 30 जून 2014 तक बढ़ाई गई ताकि रेत की आपूर्ति में बाधा नहीं हो। जिले की शेष 34 रेत खदानों की नीलामी दिनांक 30 जनवरी 2013 को की गई थी, जिनकी अवधि 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 तक थी। उपरोक्त सभी रेत खदानों का रकबा 5.000 हेक्टेयर से कम था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. क्रमाँक 19628–19629/2009 (दीपक कुमार विरूद्ध हरियाणा राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 27 फरवरी 2012 अनुसार अन्य गौण खनिज एवं रेत खदानों का स्वीकृति पर्यावरण सम्मति प्राप्त करनें के उपरांत ही किया जाना अनिवार्य किया गया। इसी आदेश में सभी राज्य सरकारों को प्रचलित गौण खनिज नियम में आवश्यक संशोधन किये जाने के भी निर्देश दिये गये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में वांछित संशोधन दिनांक 23 मार्च 2013 को किया गया। इस संशोधन में पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुमोदन के अधिकार जिला पर्यावरण समिति को प्रदान किये गये। यह समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2013 को पारित आदेशानुसार जिला पर्यावरण समिति के गठन को वैधानिक नहीं मानते हुए की जाने वाली कार्यवाही पर रोक लगाई गई। इस आदेश को राज्य शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जो कि विचाराधीन है।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 09 सितम्बर 2013 को अधिसूचना जारी कर 5.000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की गौण खनिजों को भी पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया। इसी अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 24 दिसम्बर 2013 जारी किया जाकर यह स्पष्ट किया गया कि 5.000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की रेत खदानों को पर्यावरण स्वीकृति नहीं प्रदान की जायेगी। अतः शिवपुरी जिले की 34 रेत खदानें जिनकी नीलामी 30 जनवरी 2013 को की गई थी एवं जिनका रकबा 5.000 हेक्टेयर से कम था, का संचालन नहीं किया जा सका। इन्हीं कारणों से आगामी अवधि हेतु गौण खनिज की खदानों की नीलामी भी नहीं की जा सकी।

राज्य शासन द्वारा दिनांक 05 जून 2014 को निर्देश जारी कर 5.000 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रेत खनिज की खदानें नये सिरे से चिन्हांकित कर नीलाम किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके पालन में शिवपुरी जिले में 5.000 हेक्टेयर से अधिक की 15 रेत खदानें चिन्हित की जा चुकी है एवं इनकी नीलामी की कार्यवाही प्रचलन में है। शासकीय एवं निजी निर्माण कार्यों में रेत खनिज की आपूर्ति समीप के जिलों में मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा संचालित रेत खदानों से हो रही है। अतः यह कहना सही नहीं है कि रेत खनिज उपलब्ध नहीं होने से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर द्वारा नदी नालों से अवैध रूप से उत्खनित रेत खनिज के अवैध भण्डार के 23 प्रकरण मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 के तहत पंजीबद्ध किये गये थे। जिसमें आठ हजार पन्द्रह (8015) घनमीटर रेत खनिज जप्त कर नीलाम की गई थी। इस नीलामी की प्रक्रिया से रूपये तेतालिस लाख तीस हजार नौ सौ (43,30,900/-) शासन को प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त ग्राम खिसलौनी में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर द्वारा 60 घनमीटर जप्त रेत की मौके पर नीलामी की गई थी, जिससे राज्य शासन को 18 हजार रूपये प्राप्त हुए। खनिज की मात्रा के अनुरूप ही अभिवहन पास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर को मांग अनुसार प्रदान किये गये थे। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की गई है, किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा 01 अप्रैल 2014 से 11 दिसम्बर 2014 की अवधि में रेत खनिज के अवैध परिवहन के 110 प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर रूपये छब्बीस लाख दस हजार चालीस (26,10,040/-) की राशि अर्थदण्ड के रूप में जमा कराई गई है। अतः यह कहना सही नहीं है कि प्रशासन की मिलीभगत से चोरी छिपे रेत का अवैध परिवहन करनें आदि अनियमितताएं बदस्तूर जारी है। राज्य शासन को हानि होने जैसी कोई स्थिति नहीं है। प्रभावित आमजन एवं रेत खनन से संबंद्ध मजदूरों एवं आमजन में आक्रोश जैसी कोई स्थिति भी नहीं है।

सभापति महोदय – इस ध्यानाकर्षण पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाय. मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

श्री के.पी.सिंह"कक्काजू" – माननीय सभापति महोदय, इसी जुलाई सत्र में मैंने माननीय मंत्री जी को चर्चा के दौरान बताया था कि शिवपुरी में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई कि आपने नीलामी नहीं की इस वजह से पूरे जिले में रेत का उत्खनन बंद हो गया. परिवहन बंद हो गया. उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और उनको भी बताया कि शिवपुरी में रेत कहां से आएगा ? कहां से सरकारी निर्माण कार्य पूरे होंगे ? कहां से लोग अपने घर बनाएंगे ?उसको छः महीने हो गये हैं, जुलाई में बोला था, छः महीने के अंदर इन्होंने जो भी कार्यवाही बताई है उस कार्यवाही में यह तय नहीं कर पाए कि नीलामी कब करेंगे ? आज भी इन्होंने नहीं बताया कि नीलामी कब करेंगे ? तीन महीने पहले नहीं हुई और छः महीने बाद में हुए पूरे साल में 9 महीने निकल गए और यह 5 हेक्टेयर की खदानें नहीं बना पाए अकेले. सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि आप नीलामी मत करो,सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे 5 हेक्टेयर से छोटी खदानें नीलाम नहीं करेंगे और 5 हेक्टेयर की खदान घोषित करने में आपको 9 महीने का समय लग गया कुल खदाने कितनी हैं यह मंत्री जी के वक्तव्य में है 15 खदानें ? एक दिन में भी एक खदान का सर्वे करते तो 15 दिन में 15 खदाने बन जाती.

सभापति महोदय—आप प्रश्न पूछिये.

श्री के.पी.सिंह –माननीय सभापति महोदय, मैं विभाग की लापरवाही की बात कर रहा हूं. क्या आप इस बात को संभव मानते हैं कि ग्वालियर, दतिया जिले से शिवपुरी जिले के लिए रेत की पूर्ति हो सकती है ? आपने खुद अपने जवाब में स्वीकार किया है कि इतने अवैध रेत के प्रकरण बने हैं.

डॉ.नरोत्तम मिश्र—सभापति महोदय, प्वाईंटेड प्रश्न पूछे इनका तो लंबा भाषण हो गया है. माननीय सदस्य को माईनिंग का अच्छा ज्ञान है, मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं.

श्री के.पी.सिंह —सभापति महोदय, पहला प्रश्न क्या ग्वालियर, दतिया जिले से शिवपुरी जिले के लिए रेत की आपूर्ति हो सकती है ? दूसरा प्रश्न अगर आपूर्ति हो सकती थी तो फिर इतने रेत

के अवैध प्रकरण आपको क्यों बनाने पड़े ? तीसरा कलेक्टर शिवपुरी से एक प्रतिनिधि मंडल मिला था वह रेत व्यवसायी थे.

सभापति महोदय—माननीय मंत्री जी का जवाब आने दो.

श्री के.पी.सिंह —सभापति महोदय,क्या कलेक्टर शिवपुरी का एक बयान छपा था कि हम शिवा कार्पोरेशन से कहेंगे कि वह शिवपुरी जिले में हर ब्लाक स्तर पर एक अपना डम्प स्थापित करें और डम्प स्थापित करके फिर पूरे जिले की रेत की आपूर्ति करें, क्या डम्प स्थापित हुए तीन सवालों का जवाब मंत्री जी स्पेसिफिक देने का कष्ट करें.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय सभापति महोदय, जब आवश्यकता होती है तो फिर उसकी पूर्ति करने का रास्ता भी निकलता है. जब शिवपुरी की सारी खदानें सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से.

श्री के.पी.सिंह —सभापति महोदय,इसमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है. यह आप गलत कर रहे हैं. 9 महीने में 5 हेक्टेयर की 15 खदाने आप नहीं बना पाए.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय सभापति महोदय, इसमें दो तीन तरह के आदेश हुए हैं. पहले जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आए उसके आधार पर यह था कि जिला पर्यावरण समितियों का जो गठन हुआ है उस पर रोक लगी है और सिया से पर्यावरण स्वीकृति दी जाएगी, यह तय हुआ था बाद में एक नया आदेश आया कि 5 हेक्टेयर से कम के मामले को सिया इंटरटेन नहीं करेगा इसलिये पांच हेक्टेयर से ज्यादा की खदाने ही रेत में देना संभव होगा.

श्री के.पी.सिंह —सभापति महोदय,इसमें आदेश की तारीख बता दें.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—माननीय सभापति महोदय, यह हमारे जवाब में सारा. इस बीच में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जो राज्य अपने नियम बना लेंगे उनको जिला पर्यावरण समिति से रेत की खदानों की पर्यावरण स्वीकृति देने का अधिकार रहेगा, लेकिन ग्रीन ट्यूबवेल ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस पर आपत्ति व्यक्त कर दी कि किसी भी राज्य को अपने नियम बनाने की

जरूरत का अधिकार नहीं है और किसी भी कीमत पर 5 हेक्टेयर से कम के रेत खदानों जो एक के बाद एक, क्योंकि हमने भारत सरकार में जाकर इस महीने जब आपने सवाल उठाया था उसके बाद भी उसके पहले भी भारत सरकार से जाकर के कहा था कि 5 हेक्टेयर से कम की खदानों को पर्यावरण की स्वीकृति की अनिवार्यता से मुक्त कर दें जिससे हमने जो खदानें नीलाम की हैं वह शुरू की जा सकें और कलेक्टर ही उसकी पर्यावरण की स्वीकृति देकर के उस काम को शुरू करें, लेकिन ग्रीन ट्यूबवेल ने जब हस्तक्षेप किया कि यह नियम बनाने का राज्य सरकारों का मामला है इसको ही उसने चेलेंज कर दिया तो फिर अंत में इस निष्कर्ष पर कुछ महीने पहले ही पहुंचे हैं कि अब हमको 5 हेक्टेयर से ज्यादा की खदानों को चिह्नांकित करना पड़ेगा और फिर उसकी नीलामी करके सिया में पर्यावरण की स्वीकृति के लिये भेजना पड़ेगा.

श्री राजेन्द्र शुक्ल--अब उस स्टेज पर जब वह पिक्चर क्लीयर हो गई कि अब रास्ता सिर्फ एकमात्र यह है कि 5 हेक्टेयर से ज्यादा की खदानें बनाई जायें तो 15 जो 34 और आपकी 13 पहले की खदानें थीं, इनको मिला कर करीब 15 खदानें बनी हैं 5 हेक्टेयर से ऊपर की, जिसकी नीलामी अतिशीघ्र होने वाली है और उसके बाद सिया में उसका पर्यावरण स्वीकृति होगी और फिर उसके काम शुरू होंगे, तो चूंकि सीक्वेन्स आफ इवेन्ट्स इतने ज्यादा थे सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय और उसके बाद ग्रीन ट्रिब्यूनल इनके बीच में इतना आपस में ही आदेशों में अंतर्विरोध था कि वह पिक्चर क्लीयर होने में ही यह जो समय लगा है, उसके कारण आपको परेशानी हुई है लेकिन आने वाले दिनों में वह सारी चीजें ठीक हो जायेंगी.

सभापति महोदय--ठीक है, अब अंतिम प्रश्न और पूछ लें.

श्री के.पी. सिंह--नहीं, अंतिम प्रश्न नहीं, अभी तो उन्हीं 3 में से एक का जवाब नहीं आया.

श्री कैलाश विजय वर्गीय--सभापति जी, यह प्रश्न पूछें, उसके पहले मुझे आपको यहां देखकर एक घटना याद आ गई, माननीय सभापति महोदय, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो बहुत शैतानी करता था, तो मुझे ही क्लास मानीटर बना दिया गया, तो आपको देखकर मुझे वह घटना याद आ गई.

श्री के.पी.सिंह--मैंने 3 सवाल पूछे थे तीनों में से तीनों का जवाब आपने दिया है, वह डम्प मैंने जानना चाहा था कलेक्टर का जो बयान पढ़ा था, कितने डम्प पूरे शिवपुरी जिले में स्थापित किये थे जरूरत पूर्ति करने के लिये ?

श्री राजेन्द्र शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सीधे-सीधे इस ध्यानाकर्षण से उद्भूत नहीं होता है, लेकिन इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि यह ध्यानाकर्षण से सीधे उद्भूत नहीं हो रहा है.

सभापति महोदय-- सदन की कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है.

श्री के.पी. सिंह -- --सभापति महोदय, अब आखिरी कोश्चन पूछने दें.

सभापति महोदय--हो गया, पूरा जवाब आ गया. सदन की कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है.

(1.07 बजे से 2.30 बजे तक अंतराल)

2.36 बजे **{उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.}**

अध्यक्ष महोदय:- अब, मैं कार्यसूची के पद 3 के उप पद (5) से (14) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, संबंधित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े माने जायेंगे-

5 श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

6 श्री दुर्गालाल विजय

7 डॉ. गोविन्द सिंह, श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार

8 श्री दुर्गालाल विजय

9 श्री उमंग सिंघार, डॉ. गोविन्द सिंह

10 डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत

11 श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह

12 सर्वश्री जीतू पटवारी, दिलीप सिंह शेखावत

13 श्री कालूसिंह ठाकुर

14 सर्वश्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार,बलवीर सिंह डण्डोतिया, डॉ.गोविन्द सिंह

उपाध्यक्ष महोदय -- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार आज अंतिम ढाई घण्टे अशासकीय कार्य के लिये नियत हैं, परन्तु आज कार्यसूची में उल्लेखित नियम 139 की चर्चा के उपरांत अशासकीय कार्य लिया जायेगा. मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

(सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई.)

2.37 बजे **प्रतिवेदनों की प्रस्तुति**

(1) शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (सभापति) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, शासकीय आश्ववासनों संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं.

श्री प्रदीप अग्रवाल (सेवढ़ा) -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके अथक प्रयासों से यह सदन और यह जो समिति है, इसने उसी वर्ष के आश्वासनों के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदनों को इसी सत्र में प्रस्तुत किया है. यह इतिहास में पहली बार हुआ है. इसके लिये मैं आपको, सभापति जी को और समिति के समस्त सदस्यों को धन्यवाद देता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय -- समिति के सभापति जी और सभी माननीय सदस्य गण इसमें प्रशंसा के पात्र हैं,बधाई के पात्र हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद. माननीय अध्यक्ष जी ने, विधान सभा सचिवालय ने और मेरी समिति के समस्त सदस्यों ने जिस प्रकारर से रुचि दिखाई और सदन में मंत्री गणों द्वारा दिये गये आश्वासनों को जिस प्रकार से 6000 आश्वासन सन् 2000 से लेकर 2014 तक के थे. लेकिन मुझे बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि 14 वीं विधान सभा के मार्च और जून-जुलाई सत्र के आश्वासनों का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन हम आप सबके सहयोग, स्नेह से प्रस्तुत कर सके हैं. शायद इतिहास में पहली बार आश्वासन

समिति के द्वारा पहला, प्रथम और द्वितीय प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत हुआ है. (मेजों की थपथपाहट) उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय -- आसंदी से इस अच्छे कार्य के लिये, उपलब्धि के लिये प्रशंसा की जाती है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- उपाध्यक्ष महोदय, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद.

(2) पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा)

श्री मोती कश्यप (सभापति) -- उपाध्यक्ष महोदय, मैं, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) प्रस्तुत करता हूं.

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव.

विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अवधि का प्रस्ताव.

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति विशेषाधिकार समितिः—

अध्यक्ष महोदय मैं मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य—संचालन संबंधी नियमावली के नियम—228 के अंतर्गत प्रस्ताव करता हूं कि :—

1. माननीय डॉ. गौरीशंकर शेजवार, माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्रीद्वय म.प्र. शासन एवं माननीय श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य विधान सभा द्वारा माननीय श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय श्री बाला बच्चन, सदस्य विधान सभा के विरूद्ध
2. माननीय डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्रीद्वय, म.प्र. शासन द्वारा माननीय श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के विरूद्ध
3. माननीय श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, सदस्य म.प्र. विधान सभा द्वारा जिला इंदौर के अन्तर्गत मानपुर—लेबड़ मार्ग में वालेचा एल.एम. टोल प्राइवेट लिमिटेड के टोल प्लाजा नाके के कर्मचारियों तथा थाना प्रभारी, मानपुर के विरूद्ध माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य विधान सभा के साथ अपमानजनक व्यवहार एवं जनप्रतिनिधित्व कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

अध्यक्ष महोदयः— प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदयः— प्रश्न यह है कि :—

1. माननीय डॉ. गौरीशंकर शेजवार, माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्रीद्वय म.प्र. शासन एवं माननीय श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य विधान सभा द्वारा माननीय सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय श्री बाला बच्चन, सदस्य विधान सभा के विरूद्ध

2. माननीय डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्रीद्वय, म.प्र. शासन द्वारा माननीय श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के विरूद्ध

3. माननीय श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, सदस्य म.प्र. विधान सभा द्वारा जिला इंदौर के अन्तर्गत मानपुर—लेबड मार्ग में वालेचा एल.एम. टोल प्राइवेट लिमिटेड के टोल प्लाजा नाके के कर्मचारियों तथा थाना प्रभारी, मानपुर के विरूद्ध माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य विधान सभा के साथ अपमानजनक व्यवहार एवं जनप्रतिनिधित्व कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना.

श्री राजेन्द्र श्यामलाल "दादू" सदस्य विधानसभा द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह तोमर, वन परिक्षेत्राधिकारी, खकनार के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना विचाराधीन.

अध्यक्ष महोदयः—

मेरे समक्ष माननीय श्री राजेन्द्र श्यामलाल ''दादू'', सदस्य विधान सभा द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह तोमर, वनपरिक्षेत्राधिकारी, खकनार के विरूद्व दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना विचाराधीन है।

नियमः— 169 के अन्तर्गत सदन को सूचना.

अध्यक्ष महोदयः—

माननीय श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा जिला इंदौर के अन्तर्गत मानपुर—लेबड़ मार्ग में वालेचा एल. एम. टोल प्राइवेट लिमिटेड के टोल प्लाजा नाके के कर्मचारियों तथा थाना प्रभारी, मानपुर के विरूद्व माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य विधान सभा के साथ अपमानजनक व्यवहार एवं जनप्रतिनिधित्व कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना को मैंने परीक्षणोपरान्त जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है।

याचिकाओं की प्रस्तुति.

उपाध्यक्ष महोदय—आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी जायेंगे.

समय 02.45 बजे.

नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में यूरिया, डीएपी और अन्य खाद की कमी एवं कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति

श्री शंकर लाल तिवारी (सतना) –माननीय उपाध्यक्ष महोदय विशेष महत्व के विषय को लेकर के उसमें भी खाद को लेकर के चर्चा कल से चल रही है. इ स संबंध में मेरा कहना है कि प्रदेश की सरकार विछले 10 – 11 वर्षों में यह साबित कर चुकी है कि प्रदेश की सरकार किसानों की सरकार है. प्रदेश के मुखियाक जिस तरह से पिछले 10 – 11 वर्ष से निरंतर किसानों के हित में फैसले करते रहे हैं वह पूरे देश में सराहनीय हुए हैं. इस स्थिति में सरकार के ऊपर सिर्फ आरोप लगाकर के शब्दों के माध्यम से भ्रांति और भ्रम उसमें यदि कुछ कमी है तो उस कमी में नमक छिड़कने के अलावा विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है. वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है. वास्तविक स्थिति यह है कि इस खाद की कमी का एक मात्र कारण था. दिल्ली में आती जाती हुई सरकार . दिल्ली में कांग्रेस की सरकार जा रही थी और नई सरकार केआने का.

श्री के. पी. सिंह – तिवारी जी अब तो आपको 6 माह हो गये हैं. कमसे कम आप वह बोलें जो सही है. 6 माह के बाद में भी यह कह रहे हैं कि आती जाती सरकार.

श्री शंकरलाल तिवारी – मैं विनती पूर्वक कह रहा हूं. आपकी सरकार के जाते समय और नई सरकार के आते समय का बीच का जो पीरियेड होता है वह बहुत घातक होता है. विशेषकर त्वरित निर्णयों के लिए और जो निरंतरता लिये हुए कार्य रहते हैं उनके लिए कई बार आती जाती हुई सरकार के बीच का समय घातक होता है. इसी बात का परिणाम था कि उस समय यह सारी खाद जो हम बांटते हैं. यह देश में नहीं बनती है यह विदेशों में बनती है और विदेशों से आयात करना होती है. विदेशों को समय पर यह आदेश नहीं मिलने के कारण कठिनाई आयी है लेकिन इसके बावजूद दिनांक 11 नवम्बर से 30 नवम्बर 2014 तक 101 रेक यूरिया के प्राप्त हुए हैं जिसका

वितरण किया गया है . इसी तरह से 1 दिसम्बर से 11 दिसम्बर 2014 तक 56 रेक हमें और प्राप्त हुए हैं इसका भी वितरण किया गया है. जैसा कि मैंने बताया कि आती जाती सरकार के बीच के समय में यह घटना हुई हो. वहीं मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूं कि समुद्र में दो तूफान आये नीलोफर और हुदहुद . इन दो तूफानों केकारण किनारे पर जहाज नहीं लग पाये हैं. आयात समय पर न हो पाने के कारण भी हमें खाद मंगवाने में कुछ दिक्कत जरूर हुई है. लेकिन आज प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि खाद की इतनी कमी है कि जिसके कारण बोनी रूक रही है कुछ जगह पर परेरशानी आयी है. हरदा की बात समाचार पत्रों में अखबारों राजनीति करने वाले लोगों के द्वारा तमाम प्रकार के स्वांग रचे गये हैं.

उपाध्यक्ष महोदय मेरा कहना है कि हरदा में पिछले वर्ष बुवाई का जो रकबा था 1.45 हजार हेक्टेयर था वर्तमान में 1.75 हजार हेक्टेयर का रकबा है जहां पर कि 30 हजार हेक्टेयर का रकबा बढ़ा है. उसके बाद में भी हरदा में भी खाद की उपलब्धता हरदा में भी की गई है. प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में जो बात आयी थी कि पहले 80 – 20 था उसे कम कर दिया गया है या समाप्त कर दिया है इसलिए ऐसा हुआ है यह सब बातें गलत हैं. सहकारिता के क्षेत्र में विगत वर्ष में इस अवधि तक 3.80 लाख मैट्रिक टन यूरिया का विक्रय हुआ था सहकारी समितियों के माध्यम से, यह कहना गलत इसलिए है कि सहकारी समितियों को खाद नहीं मिलपायी है. इस वर्ष लगभग 10 प्रतिशत अधिक खाद सहकारी समितियों को दी गई है. वर्तमान में 4.12 लाख मैट्रिक टन यूरिया सोसायटियों को उपलब्ध कराया गया है. मैं यहां पर एक बात और सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पिछले समय में ही कलेक्टर्स को यह कहा गया था कि आप इस 50 प्रतिशत के बजाय अपनी आवश्यकता के अनुसार 60 भी कर सकते हैं और उसको 75 तक भी कर सकते हैं. कलेक्टर्स ने अपने अपने जिलों में अपनी आवश्यकता के अनुसार किया भी है.

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों की पीड़ा तो ठीक है बताना चाहिए सदन के अंदर लेकिन किसानों की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताना , भ्रांति और भ्रम पैदा करने वाला और असंतोष पैदा करने की वजह बनता है. इसलिए वह लोग जिन्होंने कभी किसानों पर गोलियां चलायीं, मुलताई में किसानों पर गोली काण्ड हुआ था . वह लोग भी आज कह रहे हैं जबकि किसान निरंतर प्रदेश में उत्पादन बढ़ा रहे हैं. अभी विपक्ष से यह बात आयी कि इस बार पूरे प्रदेश में तिलहन और दलहन की फसल थी वह मारी गई. जब मारी गई तो नतीजतन किसान उस जमीन पर गेहूं की पैदावार करना चाहता है और प्रदेश में रकबा बढ़ने के कारण भी कुछ खाद आवश्यकता के अनुरुप तत्काल समय पर नहीं मिल पाई, उसका कारण मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं. मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी सुबह और शाम दोनों समय स्वयं खाद की आवक का और खाद के वितरण का जायजा ले रहे हैं. स्वयं दिल्ली के संपर्क में हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि माह नवम्बर, 2014 में 4.24 लाख मेट्रिक टन यूरिया की मांग के विरुद्ध आवंटन 4.2 लाख मेट्रिक टन प्राप्त हुआ, जिसमें से 3.10 लाख मेट्रिक टन प्राप्त हुआ है. इस प्रकार माह नवम्बर में 0.92 लाख मेट्रिक टन खाद हमें कम मिली है. 5 रैक निरंतर मिलने की स्थिति रही है और आज भी खाद का जो वितरण है, मैं अपने सतना क्षेत्र की बात बता रहा हूं. वर्ष 2013 में आज तक की तारीख में 8952 मेट्रिक टन सतना को खाद भेजी गई थी. इस वर्ष 2014 आज तक 10022 मेट्रिक टन खाद भेजी गई है और जो सतना में वितरित हुई है. खाद के मामले में सतना को यह बताना चाहता हूं कि खाद की दिक्कत न डीएपी की रही है, न यूरिया की रही है. कुछ दिक्कत समुद्री तुफान के कारण और कुछ दिक्कत आती जाती सरकार के कारण और कुछ दिक्कत रेलवे के कारण भी हुई है. रैक आने में भी कुछ कठिनाइयां हुई हैं. इन सबके बावजूद हमारे प्रदेश के मुखिया ने, मुख्यमंत्री जी एवं कृषि मंत्री जी ने निरंतर इस संबंध में प्रयास करके खाद की आपूर्ति की है. अभी भी यह कलेक्टरर्स को कहा गया है कि वह जो 80-20 की बात विपक्ष कर रहा है, 80-20 की बात को कई जगह इसलिए भी संभव नहीं हो पा रही है क्योंकि तमाम सोसाइटियों

की आर्थिक स्थिति कमजोर है. परन्तु उसके बावजूद भी इस वर्ष को-ऑपरेटिव के माध्यम से खाद अधिक दी गई है. अभी भी कलेक्टर्स को यह कहा गया है कि वे आवश्यकतानुसार 50 को 60, 60 को 65 और 65 को 75 तक को-ऑपरेटिव को कर सकते हैं. मैं कह रहा हूं कि विपक्ष और जो भी सदन के अन्य सदस्य खाद के मामले को लेकर चिंतित हैं, वे आश्वस्त रहें कि प्रदेश की बुवाई का रकबा निरंतर बढ़ रहा है. प्रदेश की सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार निरंतर मिल रहा है. इसमें वे शंका न करें. न शंका में जीएं. प्रदेश के किसानों की चिंता प्रदेश के किसानों को पानी, बिजली और खाद की उपलब्धता, चाहे वह डीएपी हो, चाहे वह यूरिया हो, यह उपलब्धता कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है. इसमें किसानों को किसी प्रकार की कमी या किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा. धन्यवाद. (मेजों की थपथपाहट)...

श्री रजनीश सिंह (केवलारी) - उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान स्थिति में किसानों की बड़ी गंभीर हालत बन चुकी है. रबी की फसल की बोनी का मौका है और लगातार हमारे प्रदेश में 3 वर्षों से किसान बड़ी दिक्कतों से जूझ रहा है. वर्तमान स्थिति में बोनी के समय खाद का उपलब्ध न होना, यह बड़ी चिंता का विषय है. आज पूरे प्रदेश के अन्नदाता के माथे पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक लंबी चिंता की लकर उनके माते पर स्पष्ट झलकती है और वह इस बात की चिंता की है कि जहां एक और माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा कहते चूकते नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर आज अन्नदाता की क्या हालत हो गई है? जब बोनी का मौका आया तो न डीएपी उपलब्ध है, थोड़ी बहुत फसल पाले में आई तो न यूरिया उपलब्ध है.मेरे जिले में यह हालत है कि मंत्री जी जो हैं वे स्वयं किसान हैं और ऐसे वैसे किसान नहीं ,एक बड़े उन्नतशील किसान हैं जिनकी खेती को देख कर लोग प्रेरणा लेते हैं और उनकी खेती को देख कर काम शुरू करते हैं. ऐसी स्थिति में हमारे जिले में 12684 मेट्रिक टन की यूरिया की आवश्यकता है और डीएपी की लगभग 4100 मेट्रिक टन की आवश्यकता है, पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुआ बड़ा दुःख हो रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत तो सुनी थी पर मैं तो यह समझता हूं कि ऊंट के मुंह में

खसखस भी नहीं आ रही है. बमुश्किल हमारे यहां 6530 मेट्रिक टन ही यूरिया आयी है. इसी तरीके से लगभग 2862 मेट्रिक टन डीएपी की व्यवस्था हुई है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा पूरा इलाका गेहूं के मामले में पूरे प्रदेश में जाना जाता है. उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध हमारी केवलारी विधानसभा क्षेत्र में है और अकेली मेरी विधान सभा में ढाई से पौने तीन लाख एकड़ जमीन का सिंचित रकबा है. उपाध्यक्ष महोदय, हा- हा कार मचा हुआ है. मेरे इलाके में,जिले में आज तक महिलाओं को कभी लाईन में लगकर यूरिया और डीएपी नहीं लेनी पड़ी. यह पहला मौका है के जब सोसायटियों में डीएपी और यूरिया खाद आता है तो लोगों में उसके लिए झगड़ा होता है. एक एक बोरी छीनने के लिए आदमी विवश हो रहा है. उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ यूरिया और डीएपी की किल्लत से किसान जूझ रहा है वहीं दूसरी ओर शहरों और गांवों की दुकानों में डीएपी और यूरिया उपलब्ध है. .चिंता का यही विषय है कि जहां सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है वहां सेठ और साहूकार ओने-पोने भाव में डीएपी और यूरिया को बेच रहे हैं. मेरे इलाके में 1300,1400 रूपये में डीएपी की बोरी मिल रही है. मजबूर किसान प्रायवेट दुकानों से ले रहा है. इसी तरह से यूरिया जहां 392, 280 रूपये में मिलती है वहीं वह 500 और 600 रूपये प्रति बोरी के हिसाब से मिल रही है. जहां एक ओर किसान की हालत खराब है वहीं दूसरी ओर हमें एक और मार पड़ रही है कि हमारे यहां पर धान का अच्छा उत्पादन हुआ. सरकार आज उस धान को खरीद नहीं रही है वह कह रही है कि इसका कलर ठीक नहीं है. उपाध्यक्ष महोदय, धान में खरपतवार होता है और आखिर-आखिर में धान कटाई का समय था और अतिवृष्टि हो गई. तो जो धान में मुख्यतः चारा होते हैं चाहे में दुद्धि की बात करूं चाहे फुलवाचारा की बात करूं, चाहे मुरदीचारा की बात करूं. इस चारे के डंठल मोटे होते हैं ,पत्तियां ज्यादा होती हैं . हारवेस्टर से जब कटाई हुई तो इनका रस टैंक में उतर आया और जो अच्छी किस्म की धान पैदा हुई थी उसमें इनका रस बिछ गया और जगह का आभाव होने के कारण किसान ने ढेर लगाकर इन धानों को रखा तो वह धान बैठ गई और उसका कलर फेड हो गया. पर अगर उसको

छीला जाय, धान को अगर मिल में ले जाया जाय तो चावल की गुणवत्ता में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, चावल वैसा का वैसा ही बन रहा है जैसे गोल्ड रंग की धान का बनता है. पर सरकारी एजेंसियां उसको खरीदने से इंकार कर रही हैं. और इस प्रदेश के अन्नदाता के साथ सबसे बड़ा मजाक को इस बात का बना हुआ है कि धरती माता ने किसानों को भरपूर दिया. किसान ने रात दिन मेहनत की और मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 50 क्विंटल हुआ. किसान ने 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ पर मक्का का उत्पादन लिया और सरकार 17 क्विंटल, 6 क्विंटल 80 किलो प्रति एकड़ किसानों से मक्का खरीद रही है. उपाध्यक्ष महोदय, कैसे संभव हो पायेगा. उपाध्यक्ष महोदय, किसान उस मक्का को कहां ले जाएगा.इसी तरह से धान की स्थिति हो रही है..

श्री रजनीश सिंह – बस अंतिम एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ. इसी तरीके से धान का उत्पादन 45 क्विंटल लगभग प्रति हेक्टेयर हुआ है और सरकार 28 क्विंटल बमुश्किल खरीदी कर रही है, उसमें में कलर फेड हो गया. मेरे पलारी क्षेत्र की यह हालत है कि किसान अनशन पर बैठ रहा है और सरकार उनका धान नहीं खरीद रही है. बार-बार इस बात की ओर सरकारी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है पर वही बात कलर फेड है, कलर फेड है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कलर फेड है तो आप जांच करा लें कि चावल तो सही है.

उपाध्यक्ष महोदय – श्री रजनीश जी, अब आप समाप्त करें.

श्री रजनीश सिंह – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार काले-गोरे का भेद कर रही है जिससे हमने बड़ी मुश्किल से निजात पाई है. चावल तो सफेद है, हीरे के जैसे चावल चमक रहा है और जब वह बासमती चावल खाते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय – आपकी यह गुणवत्ता के बारे में बात आ गई है, अब आप समाप्त करें.

श्री रजनीश सिंह – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय बड़े संवेदनशील मंत्री हैं, और स्वयं किसान है, मेरा निवेदन

है कि धान खरीदी पुन: चालू करवाएं और यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं ताकि किसान की फसल का अच्छा उत्पादन हो. आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री कैलाश विजयवर्गीय – उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कैसे मान लें अच्छे चावल हैं, वे बुलाएं सबको, खिलाएं, उसके बाद तय होगा. (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय – हां बुलाएं हम सब लोगों को.

श्री रजनीश सिंह – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ. मैं आज सहर्ष आप सबको निमंत्रण देता हूँ कि जो धान सरकार फेल कर रही है, मैं उसी धान का चावल बनवाकर आपको खिलवाऊंगा. यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को कहा.

उपाध्यक्ष महोदय – आपको भी कृषि का काफी सूक्ष्म ज्ञान है और माननीय मंत्री जी भी बहुत बड़े प्रगतिशील किसान हैं. अब आप दोनों हम लोगों को निमंत्रण दें, अपने इलाके में बुलाएं तो हम लोग जानें कि वास्तविकता क्या है.

श्री रजनीश सिंह – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरूर बुलाऊंगा.

श्री के.पी. सिंह – इन्होंने तो अनाज खाना ही बंद कर दिया और चावल कैसे खाएंगे. (हंसी)

श्री कैलाश विजयवर्गीय – मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ. (हंसी)

श्री रजनीश सिंह – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का मेरे ऊपर बड़ा स्नेह रहा है और मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ उन्होंने वर्षों काम किया तो मेरे क्षेत्र की हालत उनको देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने ये बात कही, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ.

श्री रामेश्वर शर्मा – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस खाद के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम और आप सब जानते हैं किसान है, लेकिन 2003 से लेकर आज तक का इतिहास है कि मध्यप्रदेश के किसान का अगर उन्नति का क्रम देखें, पूर्ववर्ति लोगों से पूछ लिया जाए, वर्तमान

हालात में पूछ लिया जाए और आप तथा हम सब लोग इस बात के प्रत्यक्षदर्शी हैं कि मध्यप्रदेश के किसान ने इन विपरीत परिस्थितियों में अगर आकाश का भी किसान के विरुद्ध आगाज़ हुआ है, अगर ओले भी इस धरती पर गिरे हैं, अगर पाला भी इस धरती पर पड़ा है तो भी मध्यप्रदेश के किसान के आंसू को पोंछने के लिए सबसे पहले मध्यप्रदेश की सरकार और श्री शिवराज सिंह चौहान गए हैं. और इसलिए मध्यप्रदेश के किसान को कभी रोने नहीं दिया गया, कभी पीड़ित नहीं रहने दिया गया, और आपने अगर यहां पर कोई बात उठाई है तो उस बात का हमने समर्थन किया है. हमने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री, दल के नहीं देश के प्रधानमंत्री होते हैं, अगर दिल्ली में इतना बड़ा दिल है तो मध्यप्रदेश में पाला पड़ा है दिल्ली खजाना खोले पर मनमोहन सिंह जी ने हमारे लिए खजाना नहीं खोला. हमने विकास के आयामों को रोका, हमने विकास के कामों को रोका, पर मध्यप्रदेश के किसानों के हित में मध्यप्रदेश की सरकार ने अपना खजाना खोला. यह कैसे हम सकते हैं कि मध्यप्रदेश के किसान की सरकार, मध्यप्रदेश के किसानों के हित की सरकार, कभी मध्यप्रदेश के किसानों के साथ अन्याय होने देगी. कभी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, अगर आपका धान अच्छा है, आप उसी धान के चावल निकालें जो खाने योग्य हैं यह ध्यान रखना, नहीं तो पता चला कि निमंत्रण देकर आप ऐसे धान के चावल निकाल दें.

श्री रजनीश सिंह – शर्मा जी, आप चिंता न करें, आपको बासमती धान का चावल खिलाऊंगा.

श्री रामेश्वर शर्मा – आपको खिलाना भी चाहिए, मेरे यहां के किसान भी हैं.

उपाध्यक्ष महोदय – उन्होंने खरपतवार का भी उल्लेख किया है धान के साथ.

श्री रामेश्वर शर्मा – उस पर तो हम बराबर दे रहे हैं कीटनाशक और खरपतवार को.

श्री रजनीश सिंह – भैया शर्मा जी, नकली दवाई थी, इसके कारण वह खरपतवार खत्म नहीं हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय – श्री रामेश्वर जी, आप जारी रखें.

श्री रामेश्वर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी खरपतवार खत्म होने के बाद भी अभी भी यह कह रहे हैं कि नकली दवा थी. बताइये पूरे प्रदेश में खरपतवार खत्म हुई की नहीं हुई?

श्री रजनीश हरवंश सिंह—शर्मा जी, हम किसान हैं और किसान की बारीकी जानते हैं. हमारा पुश्तैनी काम किसानी का है. शहर के लोग गांव की बात नहीं जानते.

श्री रामेश्वर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो अभी माननीय शंकरलाल तिवारी जी ने बात रखी है. यह बात सही है, हम और आप जानते हैं, प्रशासनिक कार्य की विधि को भी हम लोग लोग भलिभांति जानते हैं . सरकारों के आने और जाने की प्रक्रिया का जो तीन चार महीने का वक्त था, उस वक्त के बारे में भी यहां पर काफी चर्चा हो गयी है लेकिन आज हम यह कह सकते हैं कि मध्यप्रदेश के किसान के पास खाद की पर्याप्त व्यवस्था मध्यप्रदेश सरकार ने की है. अब मध्यप्रदेश के किसान को हम बेहाल नहीं छोड़ेंगे. मध्यप्रदेश के किसान के लिए दिल्ली में लगातार मुख्यमंत्री जी सम्पर्क में हैं. हमारे मंत्री जी सम्पर्क में हैं. ट्रेन की 5-5 रैक मध्यप्रदेश में भरकर आ रही हैं, यहां पर खाद उतारा जा रहा है. अगर रात को दो बजे भी खाद आता है तो दो बजे कलेक्टर स्वयं जाकर खाद खाली कराते हैं और किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं.हम कालाबाजारी नहीं होने देंगे. किसानों के बारे में पहली बार यह कहा गया है, कलेक्टरों को सीधे निर्देश दिये गये हैं कि किसानों के हित में काम किया जाए. अब आप देखिये जितनी भी विपत्तियां आईं चाहे वह तूफान का उल्लेख हुआ हो, आखिर कहीं न कहीं फर्क तो हम पर पड़ा ही है. कहीं न कहीं हमको परेशानी हुई है. पिछली सरकार का क्या रिकार्ड रहा इसके बारे में हम नहीं कहना चाहते. मैं मुलताई के बारे में विवरण नहीं देना चाहता, क्या मुलताई में जो किसानों के साथ हुआ, वह किसानों की हितैषी बात थी क्या? लेकिन हम यह नहीं कहना चाहते लेकिन मध्यप्रदेश की सरकार को आप इस बात के लिए सदैव धन्यवाद देगे कि किसानों के एक एक

हित की सरकार ने चिन्ता की है. किसानों के बारे में एक एक निर्णय मध्यप्रदेश की सरकार ने सोच समझकर लिये हैं और इसलिए सरकार हमेशा बधाई की पात्र है यूरिया हो या डीएपी हो, अगर इसकी महंगाई बढ़ी है तो दुनिया में नहीं हिन्दुस्तान के अन्दर बता रहा हूँ अनेक प्रदेश होने के बाद यह पहला प्रदेश है, यहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 6 श्यामला हिल में नहीं बल्कि टेंट के नीचे बैठकर मध्यप्रदेश के किसानों की आवाज उठाऊंगा और उसकी आवाज उठाई और उस समय की तत्कालीन दिल्ली सरकार को इस बात के लिए विवश किया कि किसानों का अगर खाद महंगा हो रहा है, इस महंगाई से अगर कौन मरेगा, इस महंगाई की मार की चपेट में कौन आएगा तो वह किसान आएगा जिसके पास दो एकड़ है, जिसके पास चार एकड़ है, जो बीज भी उधार लेकर बोता है उस किसान को चपेट में नहीं आने देंगे, इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी सरकार साख पर लगाई और कहा कि हम इसे दिल्ली से लड़ेंगे. हमने वह लड़ाई लड़ी और उस समय तत्कालीन सरकार ने हमारी इन बातों को नजर अंदाज किया लेकिन फिर हमने लड़ाई लड़ी. हम एक एक लड़ाई किसानों के हित में लगातार लड़ रहे हैं. आज कोई यूरिया मध्यप्रदेश नहीं बना रहा है, कोई यूरिया हिन्दुस्तान नहीं बना रहा है. जहां से हमको यूरिया आता है , पूरा देश जानता है,कहां से आता है, 6 देशों से यूरिया बुलाया जाता है, यह यूरिया बुलाने का काम मध्यप्रदेश सरकार का नहीं था. यह तत्कालीन सरकार का था फिर भी मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि हमारी मोदी सरकार का गठन हुआ और उस गठन में हमारे यूरिया और रासायनिक मंत्री आदरणीय अनंतकुमार जी बने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार उनसे सम्पर्क करके मध्यप्रदेश को विशेष कोटे का स्थान बनाकर आज मध्यप्रदेश में खाद की निरन्तर आपूर्ति जारी है. मध्यप्रदेश के किसानों के हित में लगातार निर्णय लिये जा रहे हैं, किसानों को जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रहीं. हम लगातार उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं और तैयार हैं. आज चाहे बाजार का मामला हो, ऐसा कहां है, बताइये आप कलेक्टर को आपने किसने लिखित में शिकायत की है, कौन सी दुकान की हमने लिखित में शिकायत की है.

श्री निशंक कुमार जैन—किसानों पर लाठियां क्यों चल रही हैं, किसान धरने और प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं.

श्री रामेश्वर शर्मा—बैठे रहो मेरे भाई. कुछ दिन और बैठ लो. बैठे रहो.

श्री हरदीप सिंह डंग—पहली बार इतिहास में महिलाओं को लाइन में लगना पड़ रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय—डंग साहब बैठ जाएं,टोका टाकी न करें. शर्मा जी, अब आप एक मिनट में समाप्त करें.

श्री रामेश्वर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कुछ लोग यही सुनना और समझना चाहते तो जनता की आवाज समझ लेते, उनके दर्दों में मिल जाते. आजकल तो कुछ नेताओं की इतनी बुरी हालत है, मैं दल का और व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, नहीं तो लोग नाराज हों, अगर कोई भीड़ खड़ी होती है उसके बीच में जाकर के खड़े होकर के किसी बात को उठाते हैं तो भीड़ तितर-बितर हो जाती है. हम बोलते हैं कि यह भीड़ क्यों तितर-बितर हो गयी, बोले भाई साहब इनके से तो भगवान बचाये, इनके साथ रहेंगे, ये तो डूबें तो डूबें हमको भी ले डूबेंगे, इसलिए जनता भी साथ नहीं देती, जनता अपने आप हट जाती है, लोगों की बात धैर्य से सुनो,लोगों की वेदना सुनो.

श्री रजनीश सिंह—ऐसा इसलिए होता है कि जनता समझ रही है कि जन प्रतिनिधियों की कुछ नहीं चल रही है अधिकारी इनकी मान नहीं रहे हैं इसीलिए कहती है कि भैया, आप चले जाओ.

उपाध्यक्ष महोदय--- आप बैठ जाए.

श्री रामेश्वर शर्मा--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को तो 2003 से निरंतर कष्ट है ,2003 से लगातार उनको कोई न कोई खाद की कमी रहती ही है और अब हम राजनीतिक दृष्टि से किन-किन चीजों को खाद देंगे. हम पेड़ को खाद दें, गेहूं को खाद दे , धान को खाद दें, किसको खाद

दे. हम आदमियों को खाद नहीं दे सकते क्योंकि जो लोग हमसे खाद की उम्मीद कर रहे हैं वह चाह रहे हैं कि असत्य का वायुमंडल बना कर प्रदेश में एक अराजकता का माहौल बन जाये.

श्री बाला बच्चन-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेड़ और फसल क्या सीधे खुद ही खाद लाकर अपने आप पर डाल लेंगे?

श्री रामेश्वर शर्मा-- आप हमसे सीनियर सदस्य हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं आप आज मेरी बात शांति से सुने, एक दिन तो कम से कम मर्यादा का पालन करें.

उपाध्यक्ष महोदय-- रामेश्वर जी, समाप्त करें.

श्री शंकरलाल तिवारी—उपाध्यक्ष जी, स्थिति यह है कि **हम आह भी भरते हैं तो ये करते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती है.**

श्री रामेश्वर शर्मा-- शंकरलाल जी, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, ना अब यह कत्ल करेंगे ना अब चर्चा होगी. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2003 से यह लोग अनेक मामले में तूफानी हल्ला मचाये हुए हैं, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ .अरे, हिंदुस्तान में जो काम नहीं हुए वह मध्यप्रदेश के किसान के घर में हुए हैं. अगर किसान की बेटी बैठी है तो शिवराज सिंह जी चौहान ने उस बेटी के पैर पखारने के लिए शादी-ब्याह की व्यवस्था की. बूढ़े मां-बाप बैठे हैं तो उन्हें तीर्थ भेजने का काम किया और कुछ लोग अगर इतने ही उदास हैं तो मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक टोल फ्री नंबर लिख लीजिये , मैं आपको नंबर दे रहा हूं. आपकी भी निराशा,हताशा,उदासीनता यह अपने आप खत्म हो जाएगी यह नंबर नोट करिये 18002662020 इस पर आप कॉल करेंगे तो आपको अच्छे दिनों का अनुभव शुरु हो जाएगा और मैं वादा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, इस नंबर पर जब आप संपर्क करेंगे आपके अच्छे दिन भी आएंगे, सबका साथ यह प्रदेश के मुखिया देते हैं , सबके विकास की चिंता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं. किसानों का अगर किसी ने हित साधा है तो वह माननीय शिवराज सिंह चौहान जी साधा है, किसानों को किसी ने उन्नत

किया है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं.

श्री शैलेन्द्र पटेल(इछावर)-- माननीय उपाध्यक्ष , मैं अपनी बात इन दो पंक्तियों के साथ शुरुआत करता हूं . **राज करने की इनकी नीति , इनकी नीयत बयां करती है, खुदकुशी किसानों की, उनकी खेती बयां करती है.** पूरे देश में मध्यप्रदेश किसानों की आत्महत्या के बारे में नंबर चार पर है और यह आंकड़े कोई मनगढ़न्त नहीं है. यह आंकड़े इसी सदन में महेन्द्र सिंह जी कालूखेड़ा ने जब 2011 में प्रश्न उठाया था जब के यह आंकड़े हैं. हर रोज 4 किसान इस मध्यप्रदेश में आत्महत्या करते हैं. यह आंकड़े इसी विधानसभा के पटल पर हैं और इसी सदन में प्रश्न के जवाब में दिये गये थे. एक ओर किसान आत्महत्या कर रहा है और सरकार ने फिजूलखर्ची करके कृषि महोत्सव मनाया और उसी कृषि महोत्सव के दौरान मुझे भी मौका मिला किसानों के बीच में जाने का और मुझे वहाँ जाकर हैरानी हुई, वहाँ जाकर जब देखा तो सरकारी कर्मचारी तो दस पंद्रह थे लेकिन किसानों का अता-पता नहीं था. किसी भी गांव में आठ-दस किसानों से ज्यादा उस सरकारी कृषि रथ के दौरान नहीं थे और किस समय वह कृषि महोत्सव मनाया, जब हमारा किसान अपनी खेती-बाड़ी में लगा हुआ था. यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी और यहाँ पर बैठे निर्णय करने वालों ने यह भी ध्यान नहीं रखा...

उपाध्यक्ष महोदय-- शैलेन्द्र जी, खाद पर चर्चा हो रही है.

श्री शैलेन्द्र पटेल-- मैं उसी पर आ रहा हूँ.उपाध्यक्ष महोदय, पूरी दुनिया में भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है. हमारा देश कृषि प्रधान देश है यह हम सब सुनते आ रहे हैं और हमारे प्रदेश में भी 70 प्रतिशत से अधिक आबादी खेती पर आश्रित है और हमेशा हम बचपन से समझते आ रहे हैं कि खेती मानसून का जुआ है और उसी पर हमारी खेती आधारित है. जहाँ पर किसान एक ओर प्रकृति की तरफ देखता है, अच्छी फसल, अच्छी पैदावार के लिए, दूसरी ओर, अच्छी खाद, अच्छी बिजली, अच्छे बीज, अच्छे उपज मूल्य की ओर, सरकार की ओर देखता है.

लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि इस ओर हमारे किसानों में मायूसी छाई है क्योंकि एक ओर मानसून ने दगा दिया और दूसरी ओर जब बोनी के समय खाद की नौबत आई, उस समय खाद नदारद थी क्योंकि हमारे यह वैज्ञानिक तथ्य हैं कि 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक बोनी का सीजन हमारे प्रदेश में चलता है. जहाँ पर सिंचित रकबा नहीं है, वह 15 अक्टूबर के पहले भी अपनी बोनी कर लेते हैं. लेकिन जब बोनी का समय आया तो किसान के पास अपना खुद का बनाया हुआ बीज तो था लेकिन खाद तो उसे सहकारी समितियों से या कहीं न कहीं बाजार से ही लेना पड़ता है.

3.17 बजे

अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

लेकिन अध्यक्ष महोदय, वह खाद उस समय सहकारी समितियों से गायब थी और जब वह खाद मिला तो उस खाद की कीमत बाजार में 1500-1600 रुपये प्रति बेग थी और वह भी उतनी मात्रा में नहीं था कि वह अपनी पूरी बोनी कर सके. बहुत से किसानों ने मायूसी पूर्वक अपनी बोनी की, वह भी बगैर खाद से. ठीक है, किसान को यह आशा थी कि शायद डीएपी अभी बोनी के समय नहीं मिला. जब सिंचाई का समय आएगा तो मैं यूरिया देकर अपनी फसल ठीक कर लूंगा. लेकिन हाय रे किसान की किस्मत, जब बोनी का समय आया तो यूरिया सेवा सहकारी समितियों से गायब था. किसानों को यूरिया कहीं नहीं मिला और बाजारों में जहाँ मिल रही थी वह ब्लेक-मार्केटिंग में मिल रही थी और जिस यूरिया की कीमत 285 रुपये बोरी थी वह 450-500 रुपये बोरी थी.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया समाप्त करें.

श्री शैलेन्द्र पटेल-- अध्यक्ष जी, मैंने अभी शुरुआत की है.

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, बहुत देर हो गई आपको 4-5 मिनिट हो गए.

श्री शैलेन्द्र पटेल-- आप नहीं थे तब बहुत टोकाटाकी हुई थी.

अध्यक्ष महोदय-- आप एक मिनिट में अपनी बात समाप्त करें. बहुत सदस्य हैं.

श्री शैलेन्द्र पटेल-- अध्यक्ष महोदय, किसानों को जब यूरिया नहीं मिली और जब यूरिया आई तो प्रशासन को पुलिस के साये में वह यूरिया बँटवानी पड़ी. यह नौबत क्यों आई. लाइनें लगाई गईं और बहुत सी जगह महिलाएँ लाइन में लगीं, यह समाचार पत्रों के माध्यम से हम सभी ने देखा है. हम सभी किसान हैं यहाँ पर अधिकतर जो विधान सभा में सदस्य हैं वे खेती-किसानी को समझते हैं. अगर वे दिल पर हाथ रखकर बात करेंगे तो उनको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पूरे प्रदेश में यूरिया और डीएपी की कमी थी. अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब चक्काजाम और जगह जगह प्रदर्शन हुआ, तब जाकर कहीं पर सरकार चेती है. किसानों की इस पीड़ादायक स्थिति में जहाँ हमारे मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी ने सिर्फ केन्द्र सरकार को पत्र लिखने की बात और समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री की. अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में खाद की मांग इस वर्ष कितनी थी और समय पर कितना खाद प्राप्त हुआ क्योंकि जो खाद प्राप्त हो रहा है, अब समय निकल गया है, जहाँ पर सिंचित रकबा है, वहाँ पर यूरिया की जरूरत है. लेकिन अधिकतर जगह किसान के पास पानी समाप्त हो चुका है. अब उसके पास सिंचाई के लिए पानी नहीं है. अब कुछ सिंचित जगह पर ही खाद की जरूरत है. प्रतिदिन कितना खाद मध्यप्रदेश को मिल रहा है और जो खाद प्रदेश को मिल रहा है. उसका वितरण किस तरह हो रहा है. खाद का स्टॉक माह अक्टूबर-नवंबर से पहले क्यों नहीं किया गया और ब्लेक मार्केट में यूरिया 285 रुपये की जगह 450-500 रुपये में बिक रहा है तो अगर ब्लेक मार्केटिंग की जानकारी थी तो उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया समाप्त करें. अभी अशासकीय संकल्प भी लेना हैं. बहुत नाम हैं.

श्री शैलेन्द्र पटेल-- अध्यक्ष महोदय, अगर वास्तव में प्रदेश में यूरिया की कमी नहीं थी तो प्रदेश में खाद की कमी के कारण किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं. जैविक खेती की हम बात करते हैं.....

अध्यक्ष महोदय-- नहीं, अब नई बात नहीं लेंगे. श्रीमती झूमा सोलंकी...

श्री शैलेन्द्र पटेल-- अध्यक्ष जी, अंत में मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में हम इस ओर विचार करें और देखें कि चूक कहाँ हुई है. उस चूक को दूर करके किसानों का जो मुरझाया हुआ चेहरा है उसको खुशहाल बनाने की कोशिश करें. बहुत बहुत धन्यवाद.

श्रीमती झूमा सोलंकी(भीकनगाँव)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद के लिए मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ. भीकनगाँव विधान सभा में यूरिया की उपलब्धता बहुत ही कम है, मतलब नहीं के बराबर है. वहाँ पर किसी भी सोसायटी में एक भी प्रतिशत यूरिया उपलब्ध नहीं है और किसानों को बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है. दो दिन पहले की घटना आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर 3 ट्रक जो अवैध रूप से व्यापारियों के गोदाम में जा रहे थे किसानों ने उन्हें पकड़ा और थाने में उनको रोककर किसानों को खाद का वितरण किया गया. जैसे ही सूचना मिली एक हजार किसान इकट्ठा हुए और कम से कम 350 किसानों को 2-2, 3-3 बोरी खाद उपलब्ध हुआ, यह स्थिति निर्मित हुई है. किसानों की इस दुर्दशा को देखते हुए अविलंब खाद की व्यवस्था करना चाहिए क्योंकि गेहूं की बुवाई के पश्चात् खाद दवा का काम करता है और यदि यह उपलब्ध नहीं होगा तो निश्चित तौर पर उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा. खाद की कालाबाजारी भी हो रही है 322 रुपये के हिसाब से जो खाद किसानों को मिलना चाहिये वह उसे 500, 600 और 1000 रुपये तक में विवश होकर खरीद रहे हैं. किसानों के लिए खाद तो उपलब्ध करवाना ही पड़ेगा वे भटक रहे हैं और इसके अभाव में उनकी फसलों को भी नुकसान हो रहा है. बार-बार सदन में यह बात आ रही है कि कहीं कोई कमी नहीं है यह बात पूरी तरह से गलत है किसान बहुत भारी नुकसान में है मुख्यमंत्रीजी भी यहां बैठे हैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ भारी समस्याओं का समाधान आपके हाथों से हो जाता है हम किसानों के लिए एक ही बात कहते हैं कि उन्हें कोई तकलीफ न हो आपके माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए. धन्यवाद.

श्री कमलेश्वर इन्द्रजीत पटेल (सिंहावल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी भी यहां पर विराजमान हैं जो कि किसानों के लिए काफी चिन्तित रहते हैं पर चिन्ता इस बात की

है कि सरकार और मुख्यमंत्री महोदय बहुत चिन्तित हैं पर जिस तरह की वर्तमान में परिस्थिति है. खाद की 11 लाख मेट्रिक टन की केन्द्र सरकार की मध्यप्रदेश के लिये मंजूरी है. अभी तक सितम्बर माह में 30 हजार मेट्रिक टन यूरिया कम मिला है, अक्टूबर में 65 हजार मेट्रिक टन कम, नवंबर में 51 हजार मेट्रिक टन कम मिला है जिसकी वजह से आज किसान भारी परेशान है. माननीय मुख्यमंत्रीजी किसानों के लिए काफी चिन्तित भी रहते हैं उनसे हम निवेदन भी करेंगे और जानना भी चाहेंगे कि क्या माननीय मुख्यमंत्रीजी ने भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को क्या पत्र लिखा है और यदि पत्र लिखा है तो अभी तक खाद क्यों नहीं मिला है यह बहुत चिन्ता का विषय है जबकि कल या परसों ही हमने टीवी पर कृषि मंत्रीजी का वक्तव्य देखा था उसमें कृषि मंत्रीजी ने अपने विचार व्यक्त किए थे कि हमको मात्र 5 रैक ही खाद मिल पा रहा है जबकि हमको ज्यादा की आवश्यकता है. हम सारे लोग माननीय मुख्यमंत्रीजी और सरकार से निवेदन करेंगे कि जिस तरह से आप पहले तन्मयता दिखाते थे किसानों के हित के लिए कभी भी बारदाने का संकट आ जाये, बिजली का संकट आ जाये तो आप बराबर दिल्ली की तरफ दौड़ लगा देते थे. अभी जब सरकार बनने का था तो हम टीवी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट देखते थे वे कहते थे कि सरकार बनेगी तो हम क्या क्या लेकर आ जायेंगे पर अब मिल क्यों नहीं रहा है यह बड़ी चिन्ता का विषय है. सरकार बने हुए छह महीने हो गये हैं. 60 प्रतिशत खाद सोसायटी के माध्यम से जाती है 40 प्रतिशत खाद व्यापारियों के माध्यम से जाती है चिन्ता का विषय यह है कि जो खाद सोसायटियों के माध्यम से जाती है वह सोसायटी में बाद में पहुंचती है और जो व्यापारियों के माध्यम से जाती है वह व्यापारियों के माध्यम से बाजार में पहले पहुंच जाती है. ऐसा क्यों हो रहा है इस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है सोसायटी में खाद पहले क्यों नहीं पहुंचती. आये दिन कालाबाजारी हो रही है आज भी रतलाम में प्रदर्शन चल रहा है होशंगाबाद में भी हो चुका है. हमारे माननीय सदस्य चाहे वे तिवारीजी हों चाहे रामेश्वर शर्मा जी हों यह जो पेपर में खबर छप रही है या तो हम उन पेपर वालों को झुठला दें हम इनकी खबर को नजरअंदाज कर दें कि

मध्यप्रदेश में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है. आज बहुत चिन्ता का विषय है सरकार को इस पर सोचना चाहिये हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि इस बीच किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है उसके लिये सरकार क्या बोनस देगी जैसे खाद समय पर नहीं मिल पा रहा है तो क्या उसके लिये सरकार बोनस देगी. आज जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई है किसानों के बीच में और हमारे किसानों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है । एक तरफ किसानों के बीच में बिजली का संकट दूसरी तरफ खरीदी में जो 150 रूपये का बोनस मिलता था , वह भी बंद कर दिया है,तो क्या यही अच्छे दिन की शुरूआत है । ऐसी सरकार से और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी से कम से कम किसानों को, हम भी किसानी से जुड़े हुए हैं, किसानों को काफी चिन्ता है इस बात को लेकर , इसलिये मुझे उम्मीद है कि आपने इस पर नियम 139 पर चर्चा का जो समय दिया है और इस पर विशेष चर्चा करायी है और आपसे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री धरना प्रदर्शन आयोजित करेंगे नहीं तो हम लोग हम लोग आयोजित करेंगे तो उसमें सरकार शामिल हो, हम लोग आपको आमंत्रित करते हैं अच्छे काम के लिये अगर मुख्यमंत्री जी चलेंगे तो हम लोग उसके लिये तैयार हैं। मुझे उम्मीद है आप जल्द ही व्यवस्था करेंगे, धन्यवाद्।

श्री निशंक कुमार जैन (विदिशा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व सासंद और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री और विदिशा जिले के किसान और किसानों के लिये संवेदनशील और चिंतित आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उनकी कही हुई दो बातें याद दिलाना चाहता हूं आपने विदिशा जिले में और कई जगह पर कहा, गंजबासौदा में में भी कहा " मध्यप्रदेश मेरा मंदिर, किसान मेरा भगवान और मैं मंदिर का पुजारी " आपने जब ओला पर जवाब तब आपने निश्चित रूप से उस समय भी आपके मन में दर्द था और व्यथा थी , आपने कहा जब तक शिवराज सिंह जिन्दा है, किसानों की आंख में आंसू नहीं आने देगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज विदिशा जिले में 2600 मीट्रिक टन खाद की कमी है, किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, गंजबासौदा, सिरौंज, लटेरी, कुरई और विदिशा में चक्का जाम और विदिशा

के पुल को रोका गया। वहां पर तीन घंटे तक वाहनों की कतारें लगी रहीं और उस उस दौरान एक मरीज की सिर्फ इसलिये मृत्यु हुई कि वह अस्पताल नहीं जा सका। हमारे वन मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, छोटी से छोटी बात पर वह चुटकी लेते हैं , इनके गृह नगर में किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ। मैं वन मंत्री से भी पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार के सभी मंत्रियों की इस मुद्दे पर संवेदनशीलता कहां पर गयी , प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर पर इसी विभाग ने छापा मारा , वहां से नकली खाद बरामद हुई परन्तु कहने वाला कोई नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने आपने ओले के समय कहा था कि किसी भी ओला पीड़ित गांव से वहां के किसी भी किसान के खाद और विजली के बिलों और अन्य किसी बिलों की वसूली नहीं होने देंगे। आपकी ही सरकार के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के सीएमडी ने कहा था कि हम किसी का आदेश नहीं मानते और जिन किसानों की ओले के कारण फसल बर्बाद हुई थी उनके यहां से जबरन वसूली की गयी और जेल में डाला गया यह किसानों की स्थिति है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार के सभी मंत्रियों से और हमारे भाजपा के सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि यह संवेदनशील मुद्दा है पूरे प्रदेश में हाहाकर मचा है , पूरे विदिशा जिले में हाहाकार मचा हुआ है। आपने मौका दिया धन्यवाद।

श्री कैलाश विजयवर्गीय :- सारे प्रदेश में हाहाकार मच गया फिर भी गंजबासौदा में कांग्रेस हार गयी।

श्री सोहनलाल बाल्मीक (परासिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से मैं यहां पर बैठा हूं शुरू दिन से और आज अंतिम दिन है। लगातार हम लोग और पूरा सदन इस बात पर चिंता कर रहा था कि यूरिया, बिजली और किसानों के बारे में हम लोग बोलें। पूरे पांच दिन में हर सदस्य ने यूरिया और बिजली के बारे में अपनी वेदना जतायी। परन्तु आज मैं जो दृश्य देख रहा हूं ,उस दृश्य के बारे में थोड़ा सा यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे बाकी सदस्य लगातार

सरकार के बारे में बोल रहे थे मगर कल जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलायी भाजपा विधायक दल की और उस में जो निर्देश दिये..

अध्यक्ष महोदय – आप विषय पर बोलें.

श्री सोहनलाल बाल्मीक – मैं विषय पर ही आ रहा हूं. उसमें जो निर्देश दिये उससे लगता है कि उसका असर आज इस सदन के अंदर दिखा है. इतनी बड़ी समस्या है.

श्री बहादुर सिंह चौहान - देखिये माननीय सदस्य जी, आप क्या विधायक दल की बैठक में थे वहां पर. क्या बात हुई क्या पता आपको.

श्री सोहनलाल बाल्मीक - ऐसी कौन सी बात बोल दी जो तकलीफ हो गई.

अध्यक्ष महोदय – आप कृपया अपने विषय पर बोलें.

(..व्यवधान..)

श्री सोहनलाल बाल्मीक – ये सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे.

श्री लालसिंह आर्य – बाल्मीक जी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाईन करने की बातचीत करने गये थे.

श्री सोहनलाल बाल्मीक – ये स्वीकार नहीं कर रहे बात अलग है ये ईश्वर को साक्षी मानकर हृदय पर हाथ रखकर बोलें कि क्या इनके विधान सभा क्षेत्र में यूरिया की, बिजली की कमी नहीं है.

(..व्यवधान..)

एक माननीय सदस्य - आपकी पचास साल की कांग्रेस सरकार ने जो काम नहीं किया दस साल के अंदर मध्यप्रदेश की सरकार ने किसानों के लिये किया है.

अध्यक्ष महोदय – यह इस तरीके का व्यवहार करेंगे. आप विषय पर बोलिये ना. (..व्यवधान..)बैठ जाएं. उनको कृपया बोलने दें. आप दो मिनट में बात समाप्त कर दें और विषय पर बोलें.

श्री सोहनलाल बाल्मीक – आज मु मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं . हम लोगों की, सबकी निरंतर आस रहती है कि भविष्य में हम लोग यह चाहते हैं कि सदन के नेता उपस्थित रहें.

अध्यक्ष महोदय – आप विषय पर नहीं बोलते.

श्री सोहनलाल बाल्मीक – मैं विषय पर आ रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय – नहीं कब आएंगे. डॉ.रामकिशोर दोगने

श्री सोहनलाल बाल्मीक – इतना बड़ा विषय है यूरिया के संबंध में.

अध्यक्ष महोदय – सब लोग बोल चुके. रिपीटेशन नहीं होगा.

श्री सोहनलाल बाल्मीक – विषय तो यही है ना यूरिया के संबंध में. आज जिस तरीके से बोला गया और बोलने के बाद जिस तरीके से एक स्वर में सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं. यह इनकी वेदना है मैं समझ सकता हूं कि जिस तरीके डंडा चलाया मुख्यमंत्री जी ने कि भाजपा के सारे लोग एक होकर एक मत में बात करें सरकार के खिलाफ में ना बोलें.(..व्यवधान..) आज मेरे जिले के अंदर में 20 हजार मेट्रिक टन यूरिया की कमी है.

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय – आप बैठ जाएं. डॉ.रामकिशोर दोगने. आप लोग बैठ जाएं.

श्री सोहनलाल बाल्मीक – मेरे क्षेत्र में डीएपी की कमी है.

अध्यक्ष महोदय – नहीं हो गया. आप विषय पर नहीं बोलते.

श्री सोहनलाल बाल्मीक – अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने तो दिया जाए.

अध्यक्ष महोदय – आप विषय पर बोलते ही नहीं हैं. आपका समय समाप्त हो गया. डॉ.रामकिशोर दोगने.

श्री सोहनलाल बाल्मीक – इस तरीके की बात जो बोल रहे हैं यूरिया की पूरे प्रदेश में समस्या है. हाहाकार मचा हुआ है किसानों पर लाठी चलाई जा रही है. (..व्यवधान..) और यहां बात बोलने नहीं दी जा रही है. ये तरीका थोड़े है सर.

अध्यक्ष महोदय – विषय से बाहर न बोलें. ठीक है समाप्त करें.

श्री सोहनलाल बाल्मीक – मेरे पूरे जिले के अंदर 20 हजार टन की आवश्यकता है. मात्र 7 टन यूरिया दी गई. 3 हजार डीएपी की जरूरत थी मात्र 1 हजार टन की सप्लाई की गई.

अध्यक्ष महोदय – आपकी बात हो गई.

श्री सोहनलाल बाल्मीक – सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही सरकार को. सरकार बड़ी-बड़ी बात करती है मुख्यमंत्री जी बड़ी-बड़ी बात करते हैं. किसानों की बात करते हैं. खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना चाहते हैं.

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय – बाल्मीक जी का नहीं लिखा जाएगा. सिर्फ दोगने जी का लिखा जाएगा.

श्री सोहनलाल बाल्मीक – xx xx

----

xx आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

अध्यक्ष महोदय – आप उत्तर चाहते हैं कि नहीं सिर्फ समस्याएं बताना चाहते हैं. आप कृपया बैठ जाए. आप सबेरे से व्यवधान पैदा कर रहे हैं. यह उचित बात नहीं है. अब हो गया आपका समय. आप बैठ जाईये कृपया.

डॉ.रामकिशोर दोगने(हरदा) – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश में यूरिया,डीएपी और बिजली की जो समस्या चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि सरकार संवेदनशील नहीं है. मैं वर्तमान परिस्थितियों में बताना चाहता हूं. ज्यादा बात न करते हुए अपने जिले से ही शुरू करूंगा पूरे प्रदेश की बात नहीं करना चाहता. हमारे हरदा जिले में कल ही आज पूरा पेपर भरा हुआ है हरदा का. वहां चक्का जाम करना पड़ा. किसानों पर 144 के अंदर पुलिस में केस बनाए गए.वहां पर चक्का-जाम करना पड़ा किसानों के ऊपर 144 के अंतर्गत पुलिस

द्वारा केस बनाए गए उनको बंद किया गया. महिलाओं को ट्रकों के सामने लेटना पड़ा तो यह समस्या कहां से आयी है. अगर समस्या सरकार की नहीं है अथवा हमारे जिलों में अथवा प्रदेश में नहीं है तो क्या लोगों को चक्का-जाम करने में मजा आता है, क्या या 144 में अंदर जाने में, या महिलाओं को बाहर निकलने में ? मैं यह बताना चाहता हूं कि यह इतिहास है मध्यप्रदेश ही नहीं देश में भी पहली बार खाद के लिये महिलाओं को बाहर निकलना पड़ रहा है. आज दो बोरी खाद दे रहे हैं, या पांच बोरी खाद दे रहे हैं. पांच बोरी अथवा दो बोरी में किसानों का क्या होगा ? इससे किसानों की समस्या साल्व हो जाएगी क्या ? किसानों को रोज़ खाद लग रहा है, वह हो जाएगा क्या ? इन सब समस्याओं को देखते हुए सरकार संवेदनशील नहीं है और इसीलिये हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं और जो हमारे साथी विपक्ष में बैठे हैं बाहर जाकर के हमसें भी यही बातें करते हैं कि नहीं खाद की समस्या है, बिजली की समस्या है, आप उठाईये और यहां सदन में आकर के सरकार का पक्ष लेकर के बात करते हैं. आज सत्यता यह है कि हर आदमी यह बता रहा है और हर आदमी की यह परेशानी है. आपने देखा होगा कि बीच में भी प्रश्न जितने भी लगे हैं उसमें बिजली विभाग के प्रश्न देखिए उसमें सत्तापक्ष के सदस्यों के भी प्रश्न थे और सत्तापक्ष के लोग भी परेशान हैं तो यह समस्या सभी की है और हमारी जो विधान सभा है उसमें भी 90 प्रतिशत किसान भाई हैं, सब किसान हैं सबकी खेती है और सबको किसानों की समस्याएं मालूम हैं, इसके बाद भी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, इसीलिये हम यह बात कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां कल ही किसानों को जेल में भिजवा दिया गया उनके ऊपर 144 धारा लगा दी गई वॉटर केनन मशीन से लोगों को परेशान किया गया, पुलिस ने लाठी चलाई है. तो यह घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिये और खाद की आपूर्ति सरकार को करना चाहिए, यह सरकार की जवाबदारी है और सरकार का काम करने का यह तरीका नहीं है कि खाद नहीं दिया जाए ? अधिकारी कंट्रोल में नहीं हैं , यह सरकार जाने, यह सरकार की जवाबदारी होती है. यह जो परिस्थितियां जो हम लोग देख रहे हैं इसके कारण पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है इस हाहाकार

के कारण पूरा देश एवं प्रदेश खाद एवं बिजली की समस्या से जूझ रहा है. खाद एवं बिजली की समस्या से पूरा प्रदेश परेशान है और इस परेशानी से किसानों को जो समस्या आ रही है वह बिजली के बिल भी नहीं भर पा रहा है इससे उनकी फसल नहीं हो रही है. बिजली के बिल न भरने से बिजली की कटौती भी कर रहे हैं उनकी बिजली भी काटी जा रही है उनको पानी देने के लिये भी बिजली नहीं दी जा रही है, यह हाहाकार नहीं है तो क्या है ? इन समस्याओं को देखते हुए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के मंत्री एवं प्रशासन से कि इस व्यवस्था को सुधारे इससे लोग उग्र नहीं हों. कल की परिस्थिति हमारे जिले की ऐसी थी कि लोग उग्र हो गये थे और ट्रक के सामने लेट गए थे. अगर घटना-दुर्घटना हो जाएगी तो इसके लिये कौन जवाबदार होगा ? इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को व्यवस्था करना चाहिए. आपने बोलने का मौका दिया धन्यवाद.

श्रीमती ऊषा चौधरी (रैगांव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सतना जिले में खाद की निम्नाप्रकार से परेशानी है मेरे प्रश्न क्रमांक 952 दिनांक 10.11.2014 के द्वारा निम्नानुसार खाद, उर्वरक की जानकारी दी गई थी, लेकिन यूरिया 2.85 लाख मीट्रिक टन बताई गई है. डीएपी/एमएपी 2.84, काम्पलेक्स उर्वरक 0.82, एम.ओ.पी. 0.37, सिंगल सुपरफास्फेट 2.27, अन्य उर्वरक 0.01 है कुल 8.66 सतना जिले में 10 नवम्बर, 2014 तक 19 हजार 392 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराई गई है. माह दिसम्बर 2014 तक निम्नानुसार खाद की आवश्यकता है, लेकिन इसकी पूर्ति नहीं की जा रही है. यूरिया 25 हजार 300 मीट्रिक टन की पूर्ति की गई, लेकिन इसकी आवश्यकता 7 हजार मीट्रिक टन की अभी और है, डी.ए.पी भी इसी प्रकार 7500 कराई गई है, लेकिन 2000 मीट्रिक टन की और आवश्यकता है, पोटास 350 मीट्रिक टन दिया गया है, इसमें 78 मीट्रिक टन की आवश्यकता है. सुपर फास्फेट 600 मीट्रिक टन उपलब्ध कराया गया है जबकि 517 मीट्रिक टन की आवश्यकता है. अन्य जैविक खाद 6250 मीट्रिक टन दिया है, उसमें भी 3316 मीट्रिक टन देना बाकी है. सतना जिले में खाद की समस्या से किसानों में मारा-मारी हो रही है इसके कारण

किसानों की बुवाई प्रभावित हो रही है. सतना जिले में बिजली के अभाव में बुवाई नहीं हो पाई है, खाद के अभाव में ट्रकों खाद आती है सरकार के नियम अच्छे हैं और सरकार खाद भेज भी रही है, लेकिन खाद कहां चली जाती है इसका पता नहीं चल रहा है. मेरे रैगांव विधान सभा में केवल 15 बोरी खाद मिली है और संबंधित अधिकारी कहते हैं जिससे कहना हो, कह दें हम नहीं दे पायेंगे खाद. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि (XX) में किसानों की पीड़ा को भूल गये हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगी जिस तरह आप कृषि मेला और अंत्योदय मेला लगाते हैं, उसी तरह अगर किसानों के हित में जिस तरह आपने सरकार बनने से पहले बात कही थी, अगर किसानों के हित में आप खाद मेला लगा दें, किसानों के लिये बिजली मेला लगा दें तो शायद इस प्रदेश का किसान खुशहाल हो जायेगा. आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री दिनेश राय (मुनमुन) (सिवनी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय कृषि मंत्री जी से चाहूंगा हमारे क्षेत्र में खाद की बहुत बड़ी समस्या अभी उत्पन्न है, किसानों को अगर 10-15 दिन में उचित खाद उपलब्ध नहीं हो पायेगी, तो आने वाले समय में फसल की अच्छी ग्रोथ नहीं आयेगी और जब ग्रोथ अच्छी नहीं मिलेगी, तो मैं जानता हूं कि मध्यप्रदेश जो एवार्ड लेकर आ रहा है पूरे देश में तो वह एवार्ड हमारे मध्यप्रदेश का छिन जायेगा. मेरा यह निवेदन है कि खाद बीज का विशेष ध्यान रखें ऐसी उम्मीद है क्योंकि सरकार यह चाहती है कहीं न कहीं हमारे शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही या उनके द्वारा जानबूझकर हमारे क्षेत्रों में हमारे प्रदेश में खाद बीज में जो कमी लाई गई है, उसमें जरूर आप कसावट लायेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं. वर्तमान में जो धान की खरीदी हो रही है उसमें भी कहीं न कहीं अनियमितता है और किसान परेशान हैं और पूरी धान खरीदी हो नहीं पा रही है उनकी और इसके पूर्व गेहूं की जो खरीदी हुई थी, अभी 28 हजार क्विंटल सिर्फ मेरे सिवनी विधान सभा में गेहूं की कमी है, तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इस कमी को दूर करें और उम्मीद करता हूं कि

हमारे प्रभारी मंत्री जी शीघ्र ही दूर करेंगे और बिजली की जो कटौती है, उस पर भी ध्यान दें, आपने बोलने के लिये जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद.

श्री जयवर्द्धन सिंह (राघौगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे सत्र में दोनों विधायक जो भी विधायक सदन में हैं, चाहे विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों सबने ही यह बात मानी है कि इस पूरे समय में खाद की बहुत बड़ी समस्या है पूरे प्रदेश में. माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की सबसे बड़ी मांग यही है कि जो सरकारी माध्यम से खाद मिलता है, वह अधिकतर या तो सेवा सहकारी समिति से मिलता है या फिर विपणन संघ से मिलता है, आज जो सेवा सहकारी समिति होती है, हर बड़ी पंचायत में उपलब्ध है, ताकि किसानों को यह व्यवस्था मिले कि वह अपने गांव के पास ही खाद प्राप्त कर सके. किसानों के पस परमिट होता है, परमिट के आधार पर उनके रकबा के आधार पर उनको खाद प्राप्त होती है, दुख की बात यह है कि हमारे पूरे क्षेत्र में 60 से 70 परसेंट जो समितियां हैं, वह ओवरड्यू हैं तो किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है. पूरी लाईन अगर आज किसान की लगी है, तो तहसील हैड क्वार्टर में लगी है, क्योंकि वहां पर विपणन संघ उनको सिर्फ 2 कट्टे दे रहे हैं, उससे उनका पूरा काम नहीं हो पा रहा है, उसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो खाद समिति में पहुंचनी चाहिये, वह कहां जा रही है, ऐसा क्यों है क्योंकि जिले में पूरे क्षेत्र की मांग के आधार पर खाद प्राप्त होती है जिले हैड क्वार्टर में और फिर सब जगह बांटा जाता है, तो ऐसा क्यों है कि जो खाद सहकारी समिति में नहीं मिल पा रही है, वह खाद कहां गई ? उसके साथ साथ रामेश्वर जी ने यह बात भी कही थी कि वहां पर्याप्त खाद उपलब्ध हो रही है. मैं भी मानता हूं कि प्रदेश में पर्याप्त खाद है, मगर वह किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही है, मेरा सरकार पर यह आरोप है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है आर्टीफिशियल शार्टेज हो रही है. माननीय अध्यक्ष महोदय, एकानामिक्स में एक सिंपल बात होती है कि जब सप्लाई ज्यादा होती है, तो प्राइज कम होता है और जब सप्लाई कम होती है, तो प्राइज ज्यादा बढ़ जाता है और यही आज हो रहा है यहां पर. क्यों व्यापारी लोग आज खाद 500-1000 रूपये में बेच रहे हैं, क्योंकि वह

जानते हैं कि आर्टिफिशियल शार्टेज है, किसान त्रस्त है, किसान खाद मांग रहा है, उसको मिल नहीं रही है, तो जो व्यापारी लोग हैं बड़े लोग हैं, उनको ब्लैक में वह खाद बेच रहे हैं और पैसा बना रहे हैं किसानों के कास्ट पर और माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है.

अध्यक्ष महोदय--कृपया आधे मिनट में समाप्त करें.

श्री जयवर्द्धन सिंह-मैं शीघ्र समाप्त कर रहा हूं, मैं राघवगढ़ विधान सभा का विधायक हूं. राघवगढ़ में एन.एफ.एल. की बहुत फैक्ट्री है, बहुत यूरिया वहां प्रोड्यूस होता है, दुख की बात यह है कि वहां से प्रोड्यूस होने के बाद वह कहीं और चला जाता है, तो मेरा माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा निवेदन है कि यूरिया की वहीं एन.एफ.एल. का जो प्लान्ट है राघवगढ़ नगरपालिका में अगर आप वहां पर आउटलेट खोल देंगे, जो हमारे यहां पर वरिष्ठ अधिकारी भी विराजे हैं, मैं आपसे भी यही निवेदन करता हूं और अगर आपका एक बार बार आदेश मिल जायेगा जी .एम. साहब को, जो हैं एन.एफ.एल. विजयपुर के तो वह एक छोटा सा आउटलेट वहीं राघवगढ़ में खोल देंगे किसानों के लिये क्योंकि तो खाद उनको फैक्ट्री प्राइज पर मिल सकता है, उससे उनको काफी फायदा मिल सकता है, बहुत बहुत धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी. (व्यवधान).. मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सहयोग करें.

श्री बाला बच्चन -- अध्यक्ष महोदय, दो तीन विधायक गण हमारे छूट गये हैं.

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- कृपया बैठ जायें. एक-एक मिनिट में माननीय सदस्य यदि बोल सकें, तो ठीक रहेगा. श्री उमंग सिंघार.

श्री उमंग सिंघार (गंधवानी) -- अध्यक्ष जी, प्रदेश के किसान जिस खाद को लेकर परेशान हो रहे हैं. मैं समझता हूं कि यह किसान का झगड़ा नहीं है.(XX). उसके कारण, इन दो के झगड़े के कारण, प्रदेश का किसान आज खाद की सप्लाय के कारण परेशान है.

श्री बहादुर सिंह चौहान -- मध्यप्रदेश को सबसे अधिक खाद मिला है. मध्यप्रदेश को अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक खाद मिला है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- यह कांग्रेस नहीं है, भाजपा है.

श्री कमलेश्वर पटेल -- पूरे भारत देश का क्या हाल होगा,जब इतना कम यहां मिला है, तो सब जगह हाहाकार मचा होगा.

श्री उमंग सिंघार -- अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय फर्टीलाइजर मंत्री, अनन्त कुमार जी, हमेशा यहां के प्रभारी रहे. उनके मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह जी से बहुत अच्छे संबंध रहे.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- अध्यक्ष महोदय, (XX). बुआ जी का और दिग्विजयिंह जी का हमेशा यहां (XX). तो इनको यह ऊपर से नीचे तक वही समझ में आता है. बुआ जी कहा करती थी कि मैं दिग्विजय सिंह जी की भट्टी में जल रही हूं. उनके अगर हम बयान पढ़ेंगे, बुआ-भतीजे के, तो वही (XX).

श्री उमंग सिंघार -- नरोत्तम जी, हमें मालूम है कि आपकी फेक्ट्री पीथमपुर में है. कैसे इनकम टैक्स सेटल किया है. अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी के अनन्त कुमार जी से बहुत अच्छे संबंध हैं,केन्द्रीय फर्टीलाइजर मंत्री हैं. ये चाहें तो विशेष प्रयास कर सकते हैं. निश्चित तौर से प्रयास किये होंगे, मैं इस बात की इनकी सराहना करता हूं.

अध्यक्ष महोदय -- ठीक है. धन्यवाद, आपकी सलाह के लिये. अब समय नहीं है.

श्री उमंग सिंघार -- अध्यक्ष महोदय, मैं तारीफ ही कर रहा हूं. मेरा आपसे निवेदन है कि खेती का रकबा बढ़ा, तो सरकार ने डिमांड भी केंद्र में बढ़ाकर भेजी होगी. जब आप 24 प्रतिशत यहां रकबा की वृद्धि दर बता रहे हैं, तो फिर आपने बढ़ाकर डिमांड भेजी, तो डिमांड के

बावजूद हमें खाद क्यों नहीं मिला. इस बात पर सरकार को गौर करना चाहिये कि क्या करण है कि आज डिमांड होने के बवजूद भी, रकबा बढ़ने के बावजूद भी कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने के बावजूद भी हम वहां से सप्लाई नहीं ले पा रहे हैं. इस बात पर विशेष विचार करें. मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि रकबे का जो अंक गणित है,उसको विशेष रुप से देखें. एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो आरबीसी की धारा 6(4) के प्रावधान के अंतर्गत राजस्व विभाग को जो नियम था कि पूरी कृषि गणना करने का , मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि वह कृषि विभाग करना चाह रहा है. जब कृषि विभाग यह व्यवस्थाएं नहीं देख पा रहा है, तो वह कैसे कृषि विभाग करेगा, इस पर भी पुनः विचार करें.धन्यवाद.

श्री यादवेन्द्र सिंह (नागौद) -- अध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत देर से खाद एवं यूरिया की चर्चा चल रही है. मैं भी सुन रहा हूं. पर जब यूरिया के बारे में चर्चा हमारे जिले के विधेयक माननीय गुरु जी शंकरलाल जी कर रहे हैं, जिनको आज तक खेती की कोई जानकारी नहीं. कभी जमीन पर नहीं गये. न कभी खेती का काम किया. उनके मुंह से मैंने सुना. वे भाषण दे रहे थे. इन्हें कहां से मालूम पड़ा. हमारे रामेश्वर पंडित जी भाषण दे रहे हैं. सब ये कोई भोपाल का रहने वाला है, कोई सतना जिले का.

श्री रामेश्वर शर्मा -- नहीं भाई साहब, किसान हैं. एक एक चीज शुरु करो, खेती की मैं भी बताता हूं.

श्री यादवेन्द्र सिंह -- आप भोपाल के रहने वाले हैं और वे हमारे सतना के बीच शहर में स्थापित हैं. आज तक वे गांव में नहीं गये.

श्री शंकरलाल तिवारी -- हुजूर, हम खेती करते हैं.

श्री यादवेन्द्र सिंह -- गुरु जी, मैं तो घर का हूं. अध्यक्ष महोदय, यूरिया का बहुत बड़ा संघर्ष किसान का हो रहा है. चाहे डीएपी का हो चाहे..

इंजीनियर प्रदीप लारिया --एक तरफ आप उनको गुरु जी कह रहे हैं और दूसरी तरफ उनके ज्ञान पर आप प्रश्न खड़े कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय -- यादवेन्द्र सिंह जी, आप तो अपनी बात करिये, बात फिर समाप्त करिये.

श्री यादवेन्द्र सिंह -- मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा. खाद की बात है तो डीएपी को देखें पिछले वर्ष अतिवृष्टि में चना की फसल किसानों की नहीं बिकी है. उसके बाद में न गेहूं की खेतीहुई न अरहर की खेती हुई और भी कोई खेती नहीं हुई. उसके बाद में मुआवजे की रकम सरकार की तरफ से आज तक किसानों को नहीं मिली है. बिजली को देखें 2 हार्स पावर को, 5 पार्स पावर में बिजली वाले ऐसे दे रहे हैं उनका कहना है कि हमारे ऊपर दवाब है. एक तो यह चीज ठीक करें कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और किसानों का भला करना सभी मंत्री लोग चाहते हैं तो 2 हार्स पावर की जगह 5 हार्स पावर को मुफ्त करें. आज किसानों को अगर ओला पाला का पैसा मिल जाता तो किसान आज कनेक्शन ले लेता. आज दिसम्बर है और 4 माह के कनेक्शन के लिए बिजली विभाग वाले 6 हजार रूपये ले रहे हैं. यह बतायें कि 90 या 100 दिन में गेहूं होता है एक माह पहले बो दिया है तो 4 माह का पैसा ले रहे है तो यह डकैती क्यों कर रहे हैं. जहां तक आप किसानों की बात करते हैं. यहां पर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार – अध्यक्ष महोदय यह तो चर्चा के दौरान वह काल हो गया कि आप तो समय दे दें विषय तो हमारी तरफ से रहेगा जो बोलना होगा बोलेंगे. यह आपने अच्छा किया है यह व्यवस्था करके.

श्री यादवेन्द्र सिंह – मुझे पता है कि जितना हो सकता है उतना असत्य यहां पर बोला जाता है. अति वृष्टि का पैसा किसानों को मिल जाय तो वह अपना खाद खरीद लें नंबर दो में जहां से भी मिल रही है हजार रूपये क्विंटल . पहले हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहा करते थे कि केन्द्र से पैसा नहीं आता है. मेरा कहना है कि 8 माह से निराश्रितों की पेंशन नहीं बंट रही है. मनरेगा का 6 माह

से मजदूरों का पैसा नहीं गया है. लोक निर्माण विभाग में कहते हैं कि दो साल के लिए पैसानहीं है तो कैसे काम चलेगा यह खाद तो आती जाती रहेगी....(व्यवधान)..

श्री हरदीप सिंह डंग (सुवासरा) – माननीय अध्यक्ष महोदय यह जो खाद पर चर्चा हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसमें अगर कोई कहता है कि खाद की कमी नहीं है तो मेरा कहना है कि भाजपा के जितने भी विधायक हैं और जो मंत्री हैं उनके ही क्षेत्र में आंदोलन हो रहे हैं तो उसमें कोई कांग्रेस वाले तो नहीं करवा रहे हैं. अगर मंत्री और विधायकों के क्षेत्र में चक्का जाम होता है तो यह मान लेना चाहिए कि वास्तव में खाद की कमीहै. माननीय मुख्यमंत्री यहां पर बैठे हैं. मेरा कहना है कि जब यूपीए सरकार थी तब आप मनमोहन सिंह जी के पास में खाद के लिए जाते थे या मनरेगा की राशि लेने के लिए जाते थे और आज मोदी जी के पास जा रहे हैं.....(व्यवधान).. आज जब आप मोदी जी के पास में जाते हैं तो वह खाद कीबात हो या मनरेगा के पैसे की बात हो तो पहले ज्यादा मिलता था या आज ज्यादा मिल रहा है. अगर कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें खाद नहीं मिल रहा है इसके बाद में विधायक कह रहे हैं कि खाद पर्याप्त है तो सही कौन बोल रहा है कृषि मंत्री जी या विधायक ? आज जितने भी आंदोलन हो रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के सब नेता जानते हैं कि कितने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं. अखबारों में, टीवी में पढ़ने और देखने को मिल रहा है कि चक्का जाम हो रहे हैं. किसी जमाने में महिलाओं की कंट्रोल की दुकान पर घासलेट आदि के लिए लाईन लगती थी. आज महिलाएं खाद के लिए लाईन लगाकर खड़ी है. आज माननीय मुख्यमंत्रीजी को स्पष्ट बताना चाहिए कि केन्द्र सरकार हमें खाद नहीं दे रही है. यह बात अगर सच मान लेते हैं तो वास्तव में हमें गर्व होगा कि यहां पर सचाई की बात रखी गई. धन्यवाद.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपया बैठ जाईये.

श्री कमलेश्वर पटेल—अभी लोक निर्माण विभाग के मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया कि विभाग के पास पैसा नहीं है. यह टीवी चैनलों पर चल रहा है.

श्री बहादुर सिंह चौहान(महिदपुर)—अध्यक्षजी, यूरिया खाद को लेकर चर्चा चल रही है. पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने बहुत बातें रखी हैं. 2003 की बारहवीं विधानसभा में मैं विधायक बन कर आया था. खाद की कमी पहले भी रही थी. अभी 90 प्रतिशत खाद की पूर्ति हो गई है 10 प्रतिशत की कमी रही है. प्रदेश ने जो ऊंचाईयां छूई हैं वह विपक्ष भूल गया है. 2003 में प्रदेश में मात्र साढ़े सात लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी, आज 28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है. 2003 में 2900 मेगावॉट बिजली थी. आज 13600 मेगावॉट बिजली है.

अध्यक्ष महोदय, मैं खाद की बात कर रहा हूं. डीएपी, पोटाश खाद के संबंध में बताना चाहता हूं. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. पूरे प्रदेश में जानबूझकर, योजनाबद्ध तरीके से, षडयंत्र पूर्वक इस प्रदेश में हिंसक घटनाएं कैसे हो यह विपक्ष चाहता है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपया बैठ जायें.

श्री बहादुर सिंह चौहान—अध्यक्षजी, 157 रेक इस प्रदेश को मिल चुकी है. माननीय मुख्यमंत्रीजी ने विधायक दल की बैठक में समस्त विधायकों को कहा है कि मैं स्वयं यूरिया खाद के लिए प्रयासरत हूं. हमारे प्रदेश के नेता ने दिल्ली में अधिकारियों की ड्यूटी लगा रखी है. अध्यक्षजी, मात्र 10 प्रतिशत की समस्या है. 2-4 दिन में यह समस्या भी दूर हो जायेगी.

एक माननीय सदस्य—जब तक गेहूं चला जायेगा. (व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह चौहान—मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूं. विपक्ष ने भी कहा कि खाद है. जयवर्द्धन सिंह जी ने कहा कि खाद है. यह बात सत्य है कि इस प्रदेश में जो किसान विरोधी व्यापारी हैं उन्होंने जानबूझकर यूरिया खाद की कमी बतायी है. इससे कालाबाजारी हो रही है. किसान विरोधी जो भी व्यापारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपया शोर न मचाये. सुनें. (व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह चौहान—अध्यक्ष जी, कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है. खाद की कमी कहीं भी नहीं है. मेरा निवेदन है कि इस समय खाद की कमी नहीं है. खाद की कमी नहीं है. कमी बतायी जा रही है. एक बार पुनः मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में मालवा अंचल में संपूर्ण बोनी हो चुकी है. 10-15 प्रतिशत खाद की और आवश्यकता है. नकली खाद बेचने वालों पर हमारी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है. धन्यवाद.

श्री बाला बच्चन—अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद तो दे दूं कि इस चर्चा को आपने स्वीकार किया और चर्चा करायी.

अध्यक्ष महोदय—धन्यवाद बाद में देना. कृपया बैठ जायें. आज सदन की दीर्घा में सांसद पूर्व मंत्री श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी उपस्थित हैं, सदन की ओर से उनका स्वागत है.

श्री बाला बच्चन—अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए.

अध्यक्ष महोदय—नहीं नहीं. आपके कारण ही सबको समय दिया.

श्री बाला बच्चन—यह तो गलत हो जायेगा.

अध्यक्ष महोदय—आपके कारण ही सबको समय दिया.

श्री बाला बच्चन—आपने सदस्यों को एक एक मिनट का समय दिया. आप मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए.

अध्यक्ष महोदय—आपके कारण ही सबको समय दिया. अब आप अपना समय समर्पित करिये. आप उत्तर सुन लीजिए. अब किसी को समय नहीं देंगे. माननीय नेताजी आपसे अनुरोध है कि आप हमें सहयोग करें. अधिकतर आपके दल के सदस्य ही बोले. उत्तर सुनिये.

श्री बाला बच्चन—विधानसभा का समापन होना है. 2 मिनट में बोल लूंगा.

अध्यक्ष महोदय—चलिये बोलिये.

श्री बाला बच्चन (राजपुर) - अध्यक्ष महोदय, यूरिया खाद, डीएपी और अन्य खाद की जो कमी है, उसके कारण और इससे संबंधित जो संकट उत्पन्न हुआ, उस पर आपने जो चर्चा कराई है, उसके लिए मैं हमारे दल के सभी साथियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं. माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं. मैंने उनसे सुबह भी आग्रह किया था कि माननीय कृषि मंत्री जी के पहले माननीय मुख्यमंत्री इस पर अपना वक्तव्य दें और मध्यप्रदेश में यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है और इस स्थिति से कब तक निजात पा ली जाएगी, यह मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है.

अध्यक्ष महोदय, यह खाद से जुड़े हुए जो लोग हैं और सरकार की खाद माफिया से जो मिली-भगत है, उससे यह सब सारी स्थिति बन रही है.

श्री बहादुर सिंह चौहान - सरकार की मिली-भगत नहीं है, यह गलत बात है. खाद की कालाबाजारी करने वाले लोग हो सकते हैं. सरकार के लोग नहीं हो सकते हैं. जबकि सरकार ने कार्यवाही की है.

श्री बाला बच्चन - अध्यक्ष महोदय, कृषि को लाभ का धंधा बनाने पर एक भी विधायक ने वक्तव्य नहीं दिया है. मध्यप्रदेश को स्वर्णिम बनाने की बात आपके एक भी विधायक ने पूरे 5 दिन के सत्र में नहीं बोली है. खेती किसानी से संबंधित और सभी पाईंट ऑफ व्यू से हमारे दल के विधायकों ने दमदारी से सभी चीजों को उजागर किया है और प्रदेश के मीडिया ने भी प्रदेश के खेती किसानी से संबंधित जो संकट है, खाद की कालाबाजारी को लेकर जो संकट उत्पन्न है, उसके बारे में मीडिया ने भी लिखा है तो यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं यह चाहता हूं कि सदन के सभी सदस्यों ने इस चर्चा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. यह साफ बात है कि खाद की कमी है, उससे सरकार कब तक और किस तरह से निजात पाएगी, खाद किसानों को कब तक उपलब्ध करा देगी तो कृषि मंत्री जी के पहले मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सबकी राय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर वक्तव्य आना चाहिए.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) - अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कृषकों से जुड़े मुद्दे पर आपने 139 की चर्चा को ग्राह्य किया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण चर्चा में माननीय सर्वश्री रामनिवास रावत जी, डॉ. गोविन्द सिंह जी, जितू पटवारी जी से लेकर हमारे बाला बच्चन जी सहित लगभग 20 से अधिक माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और बड़े सारगर्भित सुझाव भी दिये. जो हमारी कमियां हैं, खामियां हैं, उनको भी उजागर करने की कोशिश की है, जो हमने अच्छा भी किया है, उसको भी सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है. सभी माननीय सदस्य जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया है. मैं उनका स्वागत करता हूं, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी है और माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब से श्री शिवराज जी ने प्रदेश की जवाबदारी संभाली है. पूरे प्रदेश ही नहीं, अपितु अकेला भारतवर्ष भी नहीं, दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार की कृषि की नीति और खेती को लाभ का धंधा बनाने में हमने जो काम किया है, उसकी दुनिया में प्रशंसा हो रही है. (मेजों की थपथपाहट)..अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश ने कृषि में जो तरक्की पाई है, कृषि में विकास दर को जो ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. आज हमने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है.

श्री कमलेश्वर पटेल - कुछ किसानों के यहां पर आप विजिट करें तो पता चलेगा.

श्री गौरीशंकर बिसेन- (व्यवधान)..हम तीसरी बार कृषि कर्मण पुरस्कार की ओर जा रहे हैं और मुझे बताते हुए यह प्रसन्नता है कि कश्मीर में भी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री यदि कृषि की बात करते हैं तो उसमें हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात आती है. (मेजों की थपथपाहट)...अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने कृषकों के हित में जो फैसले किये हैं, उसका जीता-जागता उदाहरण है कि पिछले वित्तीय वर्ष में 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक हमने किसानों के खातों में डाला है और पहली बार मध्यप्रदेश में अध्यक्ष महोदय, मैं विषय से विषयांतर नहीं होना चाहता हूं, 2200 करोड़ रुपया अकेले फसल बीमा का क्लेम रबी, खरीफ वर्ष 2013 की मुख्य फसल सोयाबीन का मध्यप्रदेश के किसानों के खाते में डाला है. यह ऐतिहासिक काम हमने किया है.

श्री शंकरलाल तिवारी - लूटा दिया, लूटा दिया.

श्री गौरीशंकर बिसेन-- मैं विपक्ष के माननीय साथियों से कहना चाहता हूं,आपके जमाने में किसान की हालत क्या थी. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपया जवाब सुनें. आपने दिन भर बोला अब आप उत्तर नहीं सुनना चाहते. आप ही तो कल से बोल रहे हैं. (व्यवधान)

श्री गौरीशंकर बिसेन- आपकी सरकार ने ,जब 2003 के पहले आप सत्ता में थे तब कहा था कि हम किसानों का बिजली का बिल माफ करेंगे लेकिन नहीं किया. जब हम सत्ता में आए तो हमने किसानों का बिजली का बिल पटाया और आज भी तीन से चार हजार करोड़ रूपया प्रतिवर्ष बिजली अनुदान के रूप मे सरकार दे रही है.

(व्यवधान) हमने 12000 करोड़ रूपया दिया है जिसमें 9000 से अधिक रूपया किसानों का व्याज पटाया है और यदि हिसाब लगायें तो करीब 12000 करोड़ से अधिक पैसा किसानों को दिया है. किसानों के लिए हमारी सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है. (व्यवधान) आपको कोई आलोचना करने का अधिकार नहीं है.

श्री मुकेश नायक – अध्यक्ष जी आप मंत्री जी को निर्देश दें कि जिस विषय पर अशासकीय संकल्प आया है उस पर बोलें. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आपको चर्चा का उत्तर सुनना चाहिए. यह बात सर्वथा अनुचित है कि आप यहां चर्चा चलाएं और उसका उत्तर न सुने.

श्री गौरीशंकर बिसेन—हमारी सरकार का उद्देश्य किसान को लाभ पहुंचाने का है. खेती को लाभ का धंधा बनाने का है.

श्री मुकेश नायक—मंत्री जी मध्यप्रदेश में जो यूरिया की समस्या है आप उसके बारे में बोलें. (व्यवधान) अपना वक्तव्य उस बात तक सीमित रखें. बिजली की जहां तक बात है एक घंटे की चर्चा का समय उसके लिये निर्धारित कर दें. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- कृपया आप लोग बैठ जायें, माननीय मंत्री जी को बोलने दें.

श्री गौरीशंकर बिसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं यूरिया की बात करना चाहता हूं. हमने इस वर्ष साढ़े तेरह लाख मेट्रिक टन मांगा था, जिसके विरूद्ध हमें साढ़े बारह लाख टन 31 मार्च तक मिलना है. 11 दिसंबर तक हमें 8.09 लाख मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त हो चुका है. और प्रतिदिन पांच रैक लग रहीं हैं. जिसमें 15 हजार मेट्रिक टन यूरिया प्रतिदिन मध्यप्रदेश में आ रहा है. अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मांग और पूर्ति में सिर्फ 10 प्रतिशत का अंतर है इस दिसंबर में हम उसकी पूर्ति करेंगे. (व्यवधान) किसानों को किसी तरह से यूरिया की कमी नहीं होगी और 15000 मेट्रिक टन यूरिया प्रदेश में प्रतिदिन अनवरत आते रहेगा.

श्री मुकेश नायक—आ तो रहा है लेकिन जा कहां रहा है. किसान को मिल रहा है कि नहीं यह तो बताईये.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कृपया बैठ जायें. पूरा उत्तर सुन लें.

श्री गौरीशंकर बिसेन—अध्यक्ष महोदय, हमने सहकारिता क्षेत्र से जो 52 प्रतिशत यूरिया की सीलिंग है उसकी तुलना में 60 प्रतिशत कोआपरेटिव सेक्टर से यूरिया दिया है और 40 प्रतिशत यूरिया फ्रीसेल में दिया है. इस यूरिया की नीति में भी हम परिवर्तन करना चाहते हैं और कोआपरेटिव सेक्टर को ज्यादा यूरिया देंगे. हमने कलेक्टरों को अधिकार दिया है कि वे अपने अपने जिले में ऐसा प्रबंधन करें ताकि अधिक यूरिया सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से दिया जा सके. हमने सहकारिता क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था की है कि जिन किसानों ने पैसा नहीं पटाया है उनको नकदी में भी यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराया जाय और यह जो कमी है इसको हम बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे. (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, प्रति सप्ताह और कभी कभी सप्ताह में दो बार कृषि विभाग हमारा राजस्व विभाग, जिले के कलेक्टरों के साथ में मैं स्वयं, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं और हमने कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं पर कोई यूरिया की या फर्टीलाइजर की कालाबाजारी होती है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करें और हमने कई जगह कार्यवाही भी की है. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि 1

दिसंबर से 11 दिसंबर तक जिलों में हमने 1.7 लाख मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करवाया है और इसी माह में हम बाकी जगह पर भी यूरिया पहुँचाएंगे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ जिलों का वर्णन करना चाहता हूँ-जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, छतरपुर, रीवा, सतना, सीधी, अनुपपुर, डिंडोरी, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, विदिशा और बैतूल आदि जिलों में निजी एवं सहकारी क्षेत्र वितरण से यूरिया हमने पिछले साल से अधिक उपलब्ध कराया है आज की तारीख में.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सहकारिता क्षेत्र में 35 ऐसे जिले हैं जहां पर हमने यूरिया पिछले साल की तुलना में ज्यादा उपलब्ध कराया है. जिन 13 जिलों में यूरिया कम उपलब्ध हुआ है उनके लिए हमने और वैकल्पिक प्रबंध किए हैं, जिसका मैंने इसके पूर्व में जिक्र किया है. सरकार किसी चीज को छुपाना नहीं चाहती है, यह सरकार पारदर्शी सरकार है. हम हर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, यदि कोई कमी है तो उसको दूर करने के प्रति यह सरकार जवाबदेह है. उससे हम कहीं मुकरना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि दतिया, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, कटनी, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, होशंगाबाद, हरदा में सहकारी बैंक एवं बैंकों की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण उनको उर्वरक नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में हमने विपणन संघ के माध्यम से 20 से 40 टन खाद जिसमें 70 परसेंट यूरिया और 30 परसेंट डीएपी है, इनको क्रेडिट पर किसानों को उपलब्ध कराने के लिए और नगद पर देने की व्यवस्था की है. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन के माध्यम से आपकी सहमति से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष घोषणा करना चाहता हूँ कि मध्यप्रदेश के पूरे 51 जिलों में जहां-जहां भी किसान यूरिया के लिए, खाद के लिए जाएगा यदि उसका समय पर पैसा नहीं पटता है तो उसको नगद में भी आवश्यकता के अनुरूप खाद दी जाएगी और खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी.

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आप खाद नहीं लेते, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कॉ-ऑपरेटिव्ह सेक्टर में खाद को क्रय करने के लिए मार्कफेड को अधिकृत किया गया है. अकेले मार्कफेड के भरोसे नहीं छोड़े. 500 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी मध्यप्रदेश सरकार ने ली है और मैंने आज समीक्षा की, हमने कहा कि और जरूरत पड़ेगी तो सरकार इसकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ाएगी, और किसी तरह से भी खाद की खरीदी में दिक्कत नहीं आने देंगे और मार्केटिंग फेडरेशन पर जो वित्त का भार आता है, वह भार कृषि विभाग और मध्यप्रदेश सरकार वहन करती है, जिससे कॉ-ऑपरेटिव्ह सेक्टर मजबूत रह सके. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे माननीय किसी विधायक साथी ने गुना की बात की थी, गुना में रबी के लिए 6488.58 मेट्रिक टन यूरिया पिछले साल दिया गया था आज की तारीख में और इस वर्ष हमने सोसाइटी के माध्यम से 9585 मेट्रिक टन यूरिया दिया है जो पिछले साल की तुलना में लगभग 3000 मेट्रिक टन से अधिक है. माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यहां हमारे भिंड के माननीय विधायक जी नहीं है. कल उन्होंने चर्चा प्रारंभ करते हुए कहा था कि हमारे जिले को यूरिया कम दिया गया है जबकि पिछले साल की तुलना में हमने इस वर्ष करीब 1000 मेट्रिक टन से अधिक यूरिया भिंड को दिया है. श्योपुर का विषय आया था, श्योपुर में भी हमने पिछले साल की तुलना में इस वर्ष अधिक यूरिया दिया है. मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो समुद्र में तूफान आए थे, जिसका प्रभाव पड़ा और सितंबर में हमें जितना यूरिया मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल सका, अक्टूबर में कुछ यूरिया कम मिला, लेकिन नवंबर से रेगुलरिटी बनी हुई है और इसका मुख्य कारण है जो केन्द्र में हमारी सरकार है और अनंत कुमार जी हमारे मंत्री हैं, उनसे निरंतर, मैं समझता हूँ कि हम तारीख आपको क्या बताएं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा, जब मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी या कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता होगा जब हमारे अधिकारी या कोई ऐसा समय नहीं जाता होगा जब हम सतत् अपने जिले के अपने प्रदेश के यूरिया और फर्टीलाइजर पर बातचीत नहीं करते और मैं तो केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता

हूँ , इस विषम परिस्थिति में जब समुद्र में तूफान आ गया, हमारे बंदरगाहों में जहाज नहीं उतर सके, इसके बावजूद भी हमारे पास सिर्फ आज की स्थिति में देखा जाए तो 10 प्रतिशत यूरिया की कमी है वरन् हमने सब जगह यूरिया की पूर्ति की है. मैं एक बात कहना चाहता हूँ , विषय महत्वपूर्ण है, सदन में उठाना चाहिए लेकिन(XX), मैं इसने पूछना चाहता हूँ..

श्री उमंग सिंघार—अब कांग्रेस कहां काला बाजारी कर रही है (व्यवधान) यह कांग्रेस शब्द विलोपित करायें.

श्री बाला बच्चन—माननीय मंत्री जी खाद पर बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं (व्यवधान) मंत्री जी को खाद पर अपना वक्तव्य देने के लिए कहिये (व्यवधान)

श्री गौरीशंकर बिसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष आज की तारीख में 1552 मेट्रिक टन यूरिया पहुंचा था जब कि आज की तारीख में हमने 1502 मेट्रिक टन पहुंचा दिया है(व्यवधान)

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री(श्री कैलाश विजयवर्गीय)—माननीय अध्यक्ष महोदय,कांग्रेस कितनी सीरियस है. संसदीय परम्परा यह रहती है साधारणत: जो सदस्य चर्चा प्रारम्भ करते हैं, रामनिवास रावत जी ने चर्चा प्रारम्भ की थी, डॉ. गोविन्द सिंह ने चर्चा प्रारम्भ की थी, जितू पटवारी जी ने चर्चा प्रारम्भ की थी , तीनों ही चर्चा प्रारम्भ करने के बाद गायब है, इससे कांग्रेस की सीरियसनेस पता लगती है कि कितने सीरियस है, चर्चा तो प्रारम्भ कर दी पर सुनने के लिए यहां सदन में नहीं हैं, यह संसदीय परम्परा नहीं है और इसलिए जो मंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बिलकुल गैर जवाबदार है सिर्फ जबर्दस्ती वाहवाही लूटने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए षड़यंत्र रच रही है.

श्री कमलेश्वर पटेल—बिलकुल ऐसा नहीं है, कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं उतने ही काफी हैं.

श्री गौरीशंकर बिसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सतना का बताना चाहूंगा, पिछले वर्ष आज की तारीख में 3380 मेट्रिक टन कोआरेटिव्ह सेक्टर से यूरिया गया था जब कि आज हमने आज की तारीख में 4782 मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया है. इसी के साथ साथ अभी यहां पर खरगौन का विषय है पिछले वर्ष 10868 मेट्रिक टन यूरिया गया था, आज हमने 11152 मेट्रिक टन पहुंचाया है. खण्डवा में पिछले वर्ष 6817 मेट्रिक टन और इस वर्ष आज तक हमने 9300 मेट्रिक टन यूरिया पहुंचाया है.इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मांग और पूर्ति का अन्तर हम पाटने का प्रयास कर रहे हैं यदि मिक्सर फर्टिलाइजर या डीएपी की बात करें तो मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूँ कि डीएपी की प्रदेश में कहीं पर भी कमी नहीं है और जितनी आवश्यकता है उतनी हम पूर्ति करने की स्थिति में हैं. कुछ लोगों ने फर्टिलाइजर के रेट का विषय रखा. यूरिया पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी ज्यादा है यूरिया 286-287 रुपये के रेट में..

श्री बाला बच्चन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बिलकुल खेती किसानी से संबंधित, खाद से संबंधित वा वक्तव्य नहीं दे रहे हैं . किसानों के पक्ष में आप बात नहीं कर रहे हैं. खाद की पूर्ति आप कैसे करायेंगे लेकिन आप राजनीति की बात कर रहे हैं ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से मंत्री वाला वक्तव्य आपका नहीं है, हम आपके इस वक्तव्य से संतुष्ट नहीं है.

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्र)—नेता जी, आप बहिर्गमन की भूमिका मत बनाओ. आप पूरी बात को सुनो. आपने अगर कोई विषय उठाया है . आप गंभीर नहीं है,आप कृपा करके बहिर्गमन की भूमिका न बनाये. मंत्री जी खाद की पूर्ति हमने कैसे की है वही बोल रहे हैं.

श्री बाला बच्चन—कांग्रेस की बात कर रहे हैं. एक तो मंत्री वाला वक्तव्य आना चाहिए. आप खाद की पूर्ति कैसे करेंगे. आप खाद किसानों तक कैसे पहुंचाएंगे.

अध्यक्ष महोदय—आप बैठिये, कृपया माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लें. माननीय मंत्री जी, कितना समय लेंगे.

श्री गौरीशंकर बिसेन--- अध्यक्ष महोदय, एक-दो मिनट और लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, अब खाद की पूर्ति के लिए मुझे इनसे सबक सीखने की जरूरत है?...(व्यवधान)...

श्री कमलेश्वर पटेल-- माननीय मंत्री जी का यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है. ..(व्यवधान)...

श्री गौरीशंकर बिसेन--- अध्यक्ष महोदय, जितनी खाद की आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति करेंगे और मध्यप्रदेश के किसानों को कहीं पर भी खाद की कमी नहीं होगी मैं यह सदन में वचन देना चाहता हूं.

श्री कमलेश्वर पटेल--- अध्यक्ष महोदय, यह पत्रकार लोग जो दैनिक मीडिया में ,अखबारों में खबर छाप रहे हैं (अखबार प्रदर्शित करते हुए)यह क्या असत्य बोल रहे हैं, आप इनको जेल भेज दो....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय--- यह अखबार मत लहराइए, रख दीजिये..(व्यवधान)...

श्री गौरीशंकर बिसेन--- अध्यक्ष महोदय, हमने आज की तारीख में 2013-14 की तुलना की और हमने स्वीकार किया है कि आज की तारीख में हमारा सिर्फ 10 परसेंट यूरिया कम आया है . डीएपी और मिक्सचर खाद में कहीं पर कमी नहीं है और 10 परसेंट की पूर्ति को हम करेंगे और मैं सदन के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार में किसी तरह की कमी नहीं होगी. ..(व्यवधान)...पूरे प्रदेश में किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने का मैं इस सदन में वचन देता हूं. बहुत –बहुत धन्यवाद.

श्री बाला बच्चन-- पूरा असत्य बयान है...(व्यवधान)....

श्री मुकेश नायक-- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लें.

अध्यक्ष महोदय--- अब मंत्री का उत्तर ही आ गया ..(व्यवधान)....अब क्या रह गया.

बहिर्गमन

प्रदेश में यूरिया, डी.ए.पी. और अन्य खाद की कमी एवं कालाबाजारी पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा पर माननीय मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन

श्री मुकेश नायक--- उत्तर के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं...(व्यवधान).... अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए कि यह सरकार मध्यप्रदेश के इतिहास में ,(XX) और इस भ्रष्टाचार के नीचे किसानों के..(व्यवधान).... हित में कोई बात नहीं सुनना चाहती है इसलिए हम बहिर्गमन करते हैं.

(प्रदेश में यूरिया, डी.ए.पी. और अन्य खाद की कमी एवं कालाबाजारी पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा पर माननीय मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री के.के. श्रीवास्तव—(XX).

श्री विश्वास सारंग—कांग्रेस की हालत खरपतवार जैसी हो गई है.

अध्यक्ष महोदय-- अशासकीय संकल्प क्रमांक 1 के प्रस्तुतकर्ता सदस्य द्वारा इसे आगामी सत्र में लिये जाने का अनुरोध किया गया है तद्नुसार इसे बाद में लिया जाएगा अब अशासकीय संकल्प क्रमांक 2 प्रस्तुत किया जाएगा.

4.22 बजे **अशासकीय संकल्प**

ए.पी.एल. कार्ड धारकों को कैरोसिन उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम/नगर पंचायत स्तर पर कैरोसिन की फ्री सेल दुकानों का संचालन किया जाना.

श्री के. पी. सिंह(पिछोर)--- अध्यक्ष महोदय, सदन का यह मत है कि ए.पी.एल. कार्डधारकों को कैरोसिन उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम/नगर पंचायत स्तर पर कैरोसिन की फ्री सेल दुकानों का संचालन किया जावे.

अध्यक्ष महोदय--- संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री के.पी. सिंह--- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ महीनों से कैरोसिन की जो व्यवस्था की गई है, उसमें ए.पी.एल. कार्डों पर बांटने की व्यवस्था बंद कर दी है . पहले कैरोसिन ए.पी.एल. कार्डधारियों को मिल जाता था लेकिन अब टोटल बंद कर दिया गया है और जब हम लोग अपने गांव में भ्रमण पर जाते हैं तो ऐसे ग्रामों में जहाँ विद्युत व्यवस्था नहीं है या उनके विद्युत कनेक्शन को काट दिया गया है और वह भी इस वजह से कि उन्होंने तो बिजली का बिल जमा किया है लेकिन गांव के कुछ लोगों ने बिजली का बिल जमा नहीं किया है इस वजह से उनके पूरे गांव की सप्लाई बंद कर दी जाती है. ऐसी हालत में पूरे के पूरे गांव को रोशनी के लिए कोई भी व्यवस्था उनके पास नहीं बचती है . कैरोसिन खुले मार्केट में उपलब्ध नहीं है जिस दिन कैरोसिन को एपीएल कार्डधारकों को बंद किया गया था, उसी बात पर विचार करना चाहिए था कि जिन गांवों में विद्युत व्यवस्था नहीं है उन गांवों में लोग जलाएंगे क्या. अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जिस समय आपने कैरोसिन की व्यवस्था सारे गांव के सिर्फ बीपीएल कार्डधारियों तक सीमित की उस समय आपने यह नहीं सोचा कि बाकी गांव में उनको रोशनी का कोई और साधन है कि नहीं है. यह विडम्बना ही है कि हम एक तरफ तो उनके विद्युत कनेक्शन के अनुसार सप्लाई नहीं दे पाते , गांव की सप्लाई बंद करते हैं.वैसे भी कई गाँव इस मध्यप्रदेश में ऐसे हैं जो विद्युत विहीन हैं. मजरे-टोले में तो विद्युतीकरण का काम अभी हुआ ही नहीं है तो गाँव में जब विद्युत सप्लाई बंद है तो ऐसे में आम आदमी क्या जलाए. डीजल इतना महँगा है तो उसको जला नहीं सकते. पेट्रोल को जला नहीं सकते तो वैकल्पिक ईंधन हमारे पास है क्या. गैस गाँव तक पहुँची नहीं है जहाँ जंगल नहीं है, आसपास गाँव में लकड़ी नहीं है, तो खाना किससे बनाएँगे, तो खाना बनाने से लेकर रात को रोशनी के लिए अगर उसको जरूरत है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की है, तो मेरा संकल्प लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि कम से कम आप सब्सीडी युक्त अगर केरोसिन उपलब्ध नहीं करा सकते तो बिना सब्सीडी का केरोसिन ग्राम पंचायत की उसी दुकान पर जहाँ आप खाद्यान्न वितरित करते हैं या ग्रामीण इलाकों में जो हाट बाजार लगते

हैं उन बाजारों में पूरे रेट पर जो भी बाजार का रेट है उस मूल्य पर कम से कम केरोसिन उपलब्ध करा दें. जिससे इन ग्रामों में उनको जो जरूरत है उसकी पूर्ति की जा सके. मंत्री जी, यह मेरा संकल्प लाने का मुख्य उद्देश्य है. अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि मंत्री जी मैं समझता हूँ इस व्यथा को समझेंगे उनका जो क्षेत्र है उसमें भी कई गाँव पड़ते होंगे, मेरी समझ से साथी विधायक जितने यहाँ बैठे हैं ये भी जब दौरा करते होंगे अपने गाँव में तो आज उनके सामने यह व्यावहारिक समस्या लोग रखते होंगे कि आखिरकार हम कहाँ से केरोसिन उपलब्ध कराएँ, क्या व्यवस्था करें. यह विचित्र विडंबना पूरे प्रदेश में हो रही है. अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं यह संकल्प लाया था. मैं समझता हूँ सरकार इस मामले में संवेदनशीलता से विचार करेगी और मेरे इस संकल्प को स्वीकार करेगी और जो भी इस सरकार की अपनी व्यवस्था में जो बेहतर व्यवस्था हो सकती है. चाहे वह हाट बाजारों में फ्री सेल की दुकानें खोलें या जो खाद्यान्न की दुकानें हैं उनके माध्यम से पंचायत स्तर पर कुछ केरोसिन का तेल पूरी कीमत पर, हम नहीं कहते कि आप सब्सीडी दो, आपके पास सब्सीडी की व्यवस्था नहीं है, मत दीजिए. लेकिन कम से कम केरोसिन तो उपलब्ध हो जिस रेट में हो, तो जो जरुरतमंद है, वह वहाँ से तेल ले लेगा और जो घर शाम होते ही वह अँधेरे से घिर जाते हैं उनके घर, वहाँ वह अपनी गतिविधियाँ जो परिवार की हैं, वह कैसे संचालित करेंगे. अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ. मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी मेरी व्यथा को, पूरे मध्यप्रदेश के लोगों की व्यथा को, ठीक से समझेंगे और इस बारे में आज किसी निर्णय की इस सदन में घोषणा करेंगे. अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (कुँवर विजय शाह)-- माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले माननीय सदस्य माननीय कक्काजू को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने वह इश्यु उठाया है जो वास्तव में मध्यप्रदेश की गरीब जनता के लिए न सिर्फ जरूरी है और उसके लिए जितनी चिन्ता माननीय सदस्य ने इस सदन के माध्यम से यहाँ व्यक्त की है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मध्यप्रदेश की हमारी यह सरकार जो विशेष रूप से गरीब लोग, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति,

जनजाति, के वे लोग, उनकी भलाई के लिए यह सरकार है और आपकी भावना अनुरूप ही, क्योंकि यह समस्या थी कि भारत सरकार का जो खाद्य अधिनियम आने के बाद मध्यप्रदेश हिन्दुस्तान के उन पहले राज्यों में है जहाँ 43 लाख लोग, 43 लाख परिवार, जिनको, जो एपीएल में आते थे और उनको घासलेट नहीं मिलता, मैं आपके माध्यम से बहुत गर्व के साथ इस सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि वह 42 लाख परिवार, कक्काजू, जो पहले एपीएल में आते थे, जिनको घासलेट बंद हो चुका था, हमारी सरकार ने वह 23 केटेगरीज़ थीं, जिसमें घरों में काम करने वाली महिलाएँ, फेरी वाले लोग, वनाधिकार के पट्टे वाले, रेल्वे में कूली, ट्रक ड्रायव्हर, कंडक्टर्स, कुटीर उद्योग, भूमिहीन, बीड़ी मजदूर, बंद पड़ी मिलों के मजदूर, खेतों में काम करने वाली हमारी माँ, बहनें, ऐसे वे तमाम लोग, जो 42 लाख परिवार थे, जिनको पहले एपीएल में घासलेट नहीं मिलता था, आज मिनिमम 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर घासलेट उन्हें उपलब्ध हो रहा है.

श्री के.पी. सिंह—उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए यह संकल्प लाना पड़ा और आप कह रहे हैं उपलब्ध हो रहा है.

कुंवर विजय शाह—आप मेरी बात सुन लें और फिर कुछ रह जाये तो आप बताइये मैं जवाब देने की कोशिश करुंगा. यह वे परिवार थे जो हमारी 23 श्रेणियों के पहले एपीएल में थे और अगर इन 23 श्रेणियों को माननीय मुख्यमंत्रीजी इसमें शामिल नहीं करते तो यह परिवार निश्चित रुप से उनसे वंचित रह जाते आज मध्यप्रदेश की जनसंख्या के 75 प्रतिशत से अधिक लोग इस 23 श्रेणियों के अन्तर्गत आ रहे हैं और मध्यप्रदेश के 75 प्रतिशत से अधिक लोगों को नीला घासलेट उपलब्ध हो रहा है. भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा में जो नियम हैं उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि संबंधित परिवार के पास यदि गैस कनेक्शन नहीं हो तो ही वे इसमें शामिल होंगे. अब केवल 40 लाख परिवार ऐसे बचे हैं डेढ़ करोड़ में से यदि 40 लाख परिवार बचे हैं तो यह वह परिवार हैं जिनके पास हमारा यह मानना है कि इनके पास गैस कनेक्शन हैं यह भारत सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं लेकिन फिर भी आपने जो बात उठायी है मानवता के नाते हम उसका सम्मान

करते हैं और आपके सदन में उठाने के पहले ही हमारी सरकार ने इसकी चिन्ता की और न सिर्फ चिन्ता की बल्कि मेरे पास 21 अक्टूबर 2014 का पत्र है, व्हाइट केरोसिन का वितरण. मैं सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि व्हाइट केरोसिन की नई व्यवस्था हम लागू कर रहे हैं इसके लिए अभी कुछ ही जिले लिए हैं इनमें भोपाल, इंदौर, सीहोर, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद और सिवनी जिलों को लिया है यहां पर हम इसकी शुरुवात करेंगे. कलेक्टर को हमने स्पष्ट निर्देश दे दिये हैं कि हर दुकान पर कम से कम 200 लीटर व्हाइट केरोसिन का ड्रम उपलब्ध रहे और जिनको आवश्यकता पड़ती है उनको 5 लीटर, 10 लीटर जो भी व्यवस्था होगी उसके हिसाब से प्रदान करें. जिलों के कलेक्टरों ने ऑइल कंपनी को चिट्ठी लिखी है ऑईल कंपनियां भी नई व्यवस्था में सहयोग करने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रही हैं कि नीले घासलेट की और सफेद घासलेट की अलग-अलग व्यवस्था कैसे होगी. लेकिन यह व्यवस्था बहुत जल्दी अपने मूर्त रुप में आएगी और जैसी कि आपने चिन्ता प्रकट की है कि व्हाइट घासलेट अन्य कामों में भी उपयोग में आता है जो लोग वंचित रह गये हैं उनको भी मिले हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं छह जिलों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. जैसे-जैसे अन्य जिलों से व्हाइट केरोसिन के लिए आवेदन आयेंगे पूरी सहृदयता के साथ हम उनको अनुमति देंगे और व्हाइट केरोसिन हर दुकान पर प्रदान करने की पूरी व्यवस्था की जाएगी.

मैं आपको पुन: धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा मुद्दा जिस पर सरकार पहले से काम कर रही थी आपके ध्यानाकर्षण करने के बाद हम और तेजी से उसको मध्यप्रदेश में फैलायेंगे और लोगों को सबसीडी मुक्त घासलेट है दिलाने का यह सरकार पूरा प्रयास करेगी. मेरा माननीय सदस्य से विनम्र निवेदन है कि इस संकल्प की आवश्यकता नहीं है सरकार बहुत ज्यादा इसमें काम कर ही रही है अगर आप इसे वापिस लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी. धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय—मंत्रीजी ने निराकरण कर दिया है. क्या माननीय सदस्य संकल्प वापिस लेने के पक्ष में हैं.

श्री के.पी. सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूँ. मैं माननीय मंत्रीजी से इतना चाहूंगा कि छह जिलों की बात आपने की है आप यह व्यवस्था मध्यप्रदेश के सारे जिलों में कब तक कर पायेंगे, मैं नहीं कहता कि आप एक महीने कह दो एक अंदाज से समय बता दो कि इतने दिनों में हम यह व्यवस्था कर देंगे. मुझे यह जिद नहीं है कि यह संकल्प पास ही हो मैं व्यवस्था चाहता हूँ.

कुंवर विजय शाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चिन्ता माननीय सदस्य ने व्यक्त की है मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि व्हाइट केरोसिन की व्यवस्था इंडियन ऑइल कंपनी जो कि यहां की मेजर कंपनी है उसके पास मध्यप्रदेश में केवल दो ही जगह यह व्यवस्था है एक भोपाल में और एक जबलपुर में हमारी आज उनसे विस्तार में चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि पूरे मध्यप्रदेश में हम इसको तत्काल लागू नहीं कर पायेंगे, क्योंकि दूरियां हो रही है क्योंकि इंदौर में उनके जो डिपो हैं उसके लिये भारत सरकार से बात करना पड़ेगी , जो ग्वालियर में डिपो है वहां यहां से तो जायेगा नहीं, इसके लिये भारत सरकार से बात करके ग्वालियर में व्हाईट केरोसिन कि व्यवस्था करना पड़ेगी , इंदौर में व्हाईट केरोसिन की व्यवस्था करना पड़ेगी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां-जहां, जिन-जिन जिलों से डिमांड आयेगी वहां अतिशीघ्र व्यवस्था कर देंगे और 6 जिलों में हमने प्रायोगिक रूप से लागू भी कर दिया है। किसी जिले वाले का हमने मना नहीं किया है, हमने हर कलेक्टर को कहा है । आप जिले में घासलेट की व्यवस्था करवाना चाहतें हैं, तो हमें कलेक्टर के माध्यम आवेदन दें, हम उसकी व्यवस्था करवायेंगे।

श्री के.पी. सिंह :- आप मेरे जिले की बता दें , आपको कलेक्टर के माध्यम से चिट्ठी लिखना जरूरी है कि मेरे पत्र से काम चल जायेगा।

कुंवर विजय शाह :- माननीय सदस्य आपकी चिट्ठी का भी स्वागत है, आप पुराने अनुभवी सदस्य हैं और मंत्री भी रहे हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था रहती है। कलेक्टर का पत्र कंट्रोलर, पीएस को आता है, उसके बाद हम भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजते हैं, वहां से अनुमति

प्राप्त करते हैं तो इसलिये आपकी चिट्ठी भी होगी तो सुविधा होगी। कृपया आप संकल्प वापस ले लें।

के.पी.सिंह :- अध्यक्ष महोदय, संकल्प वापसी की तो कोई जिद वाली बात ही नहीं है, सरकार बहुमत में हैं संकल्प निरस्त हो जायेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप सिर्फ समय सीमा बता देते। देखिये कलेक्टर के.पी.सिंह के कहने पर तो पत्र नहीं लिखेंगे

अध्यक्ष महोदय :- आपकी बात आ गयी और उनकी भी बात आ गयी, अब इसमें वाद विवाद की बात नहीं है। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं आपको भी जानकारी है कि संकल्प में वाद विवाद नहीं होता।

श्री के.पी.सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं वाद विवाद नहीं कर रहा हूं । यह तो कलेक्टर के ऊपर है कि चिट्ठी लिखो तो वह लिख देंगे, अगर नहीं कहेंगे तो नहीं लिखेंगे । मैं शिवपुरी जिले के लिये अपनी और से, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं। इसी को आप मेरा पत्र समझे कि आप शिवपुरी जिले की व्यवस्था कर देंगे।

कुंवर विजय शाह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आज ही सभी जिले के कलेक्टरों को पत्र भेज दिया है, कि जहां-जहां व्हाईट केरोसिन चाहिये तत्काल सरकार को डिमांड भेजे ।

श्री के.पी.सिंह :-क्या आपने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया है ?

कुंवर विजय शाह :- कर लेंगे ।

श्री के.पी.सिंह :- मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- क्या सदन संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान करता है ?

अनुमति प्रदान की गयी .

संकल्प वापस हुआ .

(2) मौसम की मार के कारण नष्ट होने वाली फसलों के मुआवजे में अफीम की फसल के कृषकों को भी शामिल किया जाय .

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि " सदन का यह मत है कि मौसम की मार के कारण नष्ट होने वाली फसलों के मुआवजे में अफीम की फसल कृषकों को भी शामिल किया जाए.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में अफीम की खेती सिर्फ मंदसौर में होती है और मंदसौर के पास जावरा, रतलाम और नीमच में भी अफीम उत्पादक किसान होते हैं। मध्यप्रदेश में सर्वाधिक अफीम मंदसौर जिले में ही होती है। अफीम की फसल का लायसेंस भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है । भारत सरकार ही इसकी देखरेख का काम भी करती है। अध्यक्ष महोदय, अफीम की फसल से जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण होता है, अफीम की फसल से कोडीन और मार्फिन बनने के बाद दर्द निवारक दवाएं बनती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शीत लहर के प्रकोप का सबसे पहले असर अफीम के डोडे पर होता है। यह नाजुक फसल होने के कारण से और भारत सरकार का मंत्रालय दस हजारी, बीस हजारी और पचास हजारी के पट्टे देता है। मध्यप्रदेश की सरकार भी और मध्यप्रदेश का राजस्व अमला और आबकारी अमला भी अफीम का जो बायप्रोडक्ट होता है जो पोस्तादाना जो मण्डी में बिकता है और उससे मण्डी शुल्क प्राप्त होता है। आबकारी विभाग को डोडाचूरा से बड़ी राशि प्राप्त होती है। राजस्व के मामले में प्रदेश सरकार के राजस्व को भी लाभ होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कृषकों के प्रति उनकी जो संवेदनशीलता है वह जगजाहिर है चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी यहां विराजित हैं। पिछले दो वर्ष पहले पहली बार इसबगोल की फसल पानी के कारण से प्रभावित हुई है और इसबगोल की फसल को कभी भी राजस्व पुस्तिका नियम में आरबीसी में शामिल नहीं किया गया था, लेकन माननीय मुख्यमंत्री जी मंदसौर जिले के गुडलादीदा गांव में थे और तब उन्होंने इस परिस्थिति को देखा और तत्काल उन्होंने घोषणा की और इसबगोल की फसल को भी जो औषधि फसल है उसको मुआवजा कृषकों को हुए नुकसान को लेकर जोड़ दिया गया. मध्यप्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार

हो. दोनों सरकारों की चिंता होनी चाहिये कि अफीम भी खेती के माध्यम से कृषक पैदा करते हैं और यह कृषि का उत्पादन है और मध्यप्रदेश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फसल होती है. दोनों सरकारों ने और जहां तक मुझे जानकारी है अफीम की फसल को क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजे को लेकर पहली बार यहां सदन में अशासकीय संकल्प के माध्यम से चर्चा आई है. मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इस नीति को तवज्जो दी जाए. उसके ऊपर समीक्षा की जाए और अफीम की फसल से नुकसान वाले किसानों के प्रति सरकार अपनी संवेदनशीलता बताए इसलिये क्योंकि अफीम के जो कृषक हैं वह जीरो प्रतिशत पर कर्जा लेते हैं खाद लेते हैं बीज लेते हैं सोसायटी में वह खातेदार होते हैं और जब उनकी फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो भारत की सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि अफीम की फसल डेमेज हो गई है खराब हो गई है चीरा न लगावें अगले साल के लिये पट्टा आरक्षित रख लिया जाएगा. लेकिन जब तक किसान को बहुत ज्यादा लागत आ जाती है बहुत ज्यादा उसका खर्चा हो जाता है. इसलिये यह अशासकीय संकल्प किसानों के हित में लाना आवश्यक था. आज इसका प्रारंभ है लेकिन मध्यप्रदेश की सरकार और भारत की सरकार दोनों इसके लिये चिंता करें और कैसे किसानों को लाभान्वित कर सकते हैं इसके बारे में व्यवस्था भी चाहूंगा और यह संकल्प किसानों से जुड़ा हुआ है और विशेषकर मुआवजे को लेकर जुड़ा हुआ है और यह संकल्प अगर स्वीकार होगा तो मध्यप्रदेश के तीस हजार अफीम उत्पादक किसान इससे लाभान्वित होंगे और राज्य की सरकार की जिम्मेदारी इसमें बनती है और मैं चाहूंगा कि मध्यप्रदेश की सरकार और भारत सरकार राजस्व पुस्तक अधिनियम में संशोधन करते हुए एक नीति बनाते हुए इसके बारे में चिंता करे बहुत-बहुत धन्यवाद.

<u>श्री दिलीप सिंह परिहार(नीमच) –</u> माननीय अध्यक्ष महोदय, नीमच जिले में यह अफीम की फसल बहुत पैदा होती है और जिस तरह बच्चे को पालते हैं उस प्रकार इस अफीम की फसल को किसान पालता है. जब ओला पाला या अतिवृष्टि हो जाती है तो किसान को बिलखते हुए हमने

देखा है और किसान ेउस फसल को देख -देखकर रोता रहता है. जब ओला गिरता है तो डोडा फूट जाता है न तो उसमें अफीम निकलती है वह रात-दिन मेहनत करता है परिश्रम करता है और अफीम पैदा करता है. नीमच और मंदसौर जिले में इसको काला सोना बोला जाता है और किसान मेहनत करता है. रात को इसकी रखवाली करता है. अपने बच्चे को जिस तरह से नहीं पालता जैसे इसके कुंडे का ध्यान रखता है कि कोई चोर नहीं ले जाए कोई तस्कर न ले जाए. अफीम की फसल जैसे 45 प्रकार की हमारे यहां औषधि वाली फसलें होती हैं नीमच जिले में तो उसमें इस अफीम की फसल का यदि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा. माननीय मुख्यमंत्री जी ने सावन में आए थे और किसान के खेत में गये थे पानी गिरने से इसबगोल की फसल रबड़ जैसी हो गई थी और किसानों को उन्होंने मुआवजा दिया तो उनके साथ आज दुआएं हैं. आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी सदन में हैं मैं उनसे आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस फसल को भी कहीं न कहीं शामिल किया जाना चाहिये क्योंकि नीमच में 75 प्रतिशत फसल नीमच मंदसौर और चित्तौड़ जिले में होती है तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसको कहीं न कहीं शामिल किया जाए जिससे कि किसान को राहत मिलेगी. डोडा चूरा का पैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 रुपये से 100 रुपये किया था. इसलिये भी धन्यवाद देता हूं और इसमें जो पोष्टा दाना निकलता है वह भी बहुत अच्छा काम में आता है उसमें औषधि रहती है तो कहीं न कहीं इसको मुआवजे में शामिल किया जाए. आपने समय दिया धन्यवाद.

डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय(जावरा) - माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण अशासकीय संकल्प यहां प्रस्तुत हुआ है. माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों और खेती के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं. न केवल मध्यप्रदेश में वरन् पूरे देश भर के साथ-साथ विश्व भर में चर्चित हैं और जिस अफीम की फसल के बारे में चर्चा आई है इसकी विश्व भर में आवश्यकता होती है. दर्द निवारक औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है लेकिन किसानों को जो पट्टा दिया जाता है वह अफीम की औसत के आधार पर दिया जाता है अब अफीम की औसत का जो आधार बनेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मौसम अच्छा रहा तो औसत ठीक बैठ जाएगी, अगर मौसम में प्रतिकूलता रही तो उसकी औसत कम हो जाएगी, लेकिन किसान अपनी फसल को लेने के लिये उतना ही परिश्रम करता है, उतनी ही उसकी लागत लगती है, उतने ही उसके संसाधन लगते हैं, लेकिन मौसम में थोड़ी प्रतिकूलता होने पर उसकी फसल प्रभावित हो जाती है तो उसकी अत्यंत हानि होती है और यह इतना बड़ा नुकसान होता है कि उसका उस वर्ष का तो नुकसान हुआ ही, लेकिन औसत ठीक नहीं पाए जाने के कारण उसका पट्टा भी काट दिया जाता है उसको अगले वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है और जो किसान खेती को लाभ का धन्धा बनाना चाहता है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रयासरत् हैं उससे किसान वंचित रह जाता है इस हेतु इस नीति में सम्मिलित किया जाना अत्यंत आवश्यक है. आपने बोलने का समय दिया धन्यवाद.

श्री दिलीप सिंह परिहार—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा था ओले-पाले की वजह से इसलिये किसान की औसत 56 से 51 कर दी गई है.

श्री हरदीपसिंह डंग (सुवासरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अफीम के बारे में जो संकल्प रखा गया है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि अफीम की खेती में तीन बंटवारे होते हैं उसमें जो अफीम निकलती है उसको केन्द्र सरकार लेती है उसका डोडा चूरा राज्य सरकार लेती है और उसमें से जो दाना निकलता है वह किसान लेता है. जब ओलावृष्टि हुई थी न तो किसानों को केन्द्र सरकार से राहत मिली और न ही राज्य सरकार से और प्रभारी मंत्री आदरणीय जोशी जी भी वहां जिले में जब घूमे तो पूरा डोडा गिरकर के चकनाचूर हो चुका था किसानों ने इसकी बहुत आवाज उठाई उसको उसका मुआवजा नहीं मिला. जिस प्रकार से राज्य सरकार डोडा चूरा खरीदती है तो मेरा भी मानना है कि राज्य सरकार अगर मुआवजा दें और किसानों को मुआवजा देने में स्वीकृति प्रदान करेगी तो किसानों के लिये बहुत बड़ी बात होगी और उनको बहुत राहत मिलेगी धन्यवाद.

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिसोदिया जी तथा अन्य माननीय सदस्यगणों ने अच्छे सुझाव अफीम के विषय में दिए हैं वास्तव में वहां के

जनप्रतिनिधि हैं तो निश्चित रूप से किसानों की चिन्ता कर रहे हैं उसके लिये इनको धन्यवाद देता हूं. मध्यप्रदेश सरकार ने सब्जी, मसाले, ईशबगोल पर जो मांग एवं सुझाव आए हैं उसमें संशोधन किया है, क्योंकि अफीम के दिशा-निर्देश भारत सरकार से जारी होते हैं उनके दिशा-निर्देशों का हम लोग पालन कर रहे हैं और इसके बाद भी माननीय सदस्यगण जो सुझाव लाए हैं सरकार भी चाहती है कि किसान को लाभ मिले. आर.बी.सी.6 (4) के हिसाब से राशि देते हैं, लेकिन यह बहुत कम छोटा हिस्सा रहता है इससे उनकी भरपाई नहीं हो पाती है इसलिये हम पूरा प्रयास करेंगे और इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी केन्द्रीय मंत्री जी से चर्चा की है चूंकि यह भारत सरकार से जुड़ा हुआ मामला है कोई भी नियम प्रक्रिया को यदि बदलेंगे तो उनकी सहमति जरूरी है. आपने जो अच्छा सुझाव दिया है उसमें पूरा प्रयास करके मध्यप्रदेश के जो किसान हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे. इस समय माननीय सदस्य जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे सत्तापक्ष के विधायक हैं आपका अच्छा रूतबा रहता है आपका फोन ही काफी रहता है आप संकल्प लाएं हैं आपकी भावनाओं का आदर करते हुए इसमें पूरी कार्यवाही करेंगे, इसको कृषि केबिनेट में भी ले जाएंगे और भारत सरकार में भी इस बात को पूरी ताकत के साथ रखेंगे और आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे. आप इस संकल्प को माननीय अध्यक्ष महोदय, के माध्यम से वापस ले लें. आपने भावना सदन के सामने रखी है और इसका पूरा आदर करते हुए आप इसको वापस लेने का कष्ट करेंगे.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी विराजित हैं मैं उनकी कृषि से जुड़ी हुई संवेदनशीलता को अच्छी तरह से जानता हूं. न केवल ओलावृष्टि, बल्कि किसान का मुर्गा,मुर्गी,भैंस,गाय,कुकड़ा मर जाए इन सबके लिये धारा 6 (4) में राजस्व पुस्तिका में संशोधन किया है ईशबगोल की फसल वास्तव में कभी अधिकारी गण जानते ही नहीं थे कि यह फसल पहले भी नष्ट हुई थी और कभी किसानों ने यह नहीं कहा कि किसानों को मुआवजा मिल जाए, लेकिन मैं और मेरे साथी माननीय राजेन्द्र पाण्डेय जी, माननीय हरदीप सिंह

जी अफीम उत्पादक जिले से जुड़े हुए हैं. 30 हजार किसान इसमें पट्टेधारी हैं. मुझे संकल्प को वापस लेने में इसलिये भी दिक्कत नहीं है माननीय राजस्व मंत्री जी ने बहुत आश्वस्त किया है कि इसको कृषि केबिनेट में ले जाएंगे तथा भारत सरकार से भी चर्चा करेंगे. और माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां विराजित हैं लेकिन 30 हजार अभी उत्पादक पट्टे के लायसेंसधारियों के लिये आज इस बात पर सदन में चर्चा हो रही है, इस पवित्र मंदिर में चर्चा हो रही है कि इनको मुआवजा क्यों न मिले. भारत सरकार की अपनी जिम्मेदारी है वह लायसेंस देते हैं. मध्यप्रदेश की सरकार भी इसलिये इसमें जिम्मेदार है कि डोडा, चूरा और पोस्तादाना भी मध्यप्रदेश की सरकार खरीदकर के राजस्व वसूल करती है, इसलिये मेरा आग्रह रहेगा कि जब भी बने ठोस नीति बने और उसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी जो संवेदनशीलता है, उसको लेते हुए कैबिनेट में उसको ले जायें और एक कारगर नीति बने जिससे अफीम उत्पादक किसानों को मुआवजे के संबंध में और नीति की घोषणा माननीय राजस्व मंत्री जी ने कर ही दी है कि नीति बनेगी, मैं उसके लिये उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इस संकल्प को वापिस लेता हूं.

अध्यक्ष महोदय--क्या सदन संकल्प वापिस लेने की अनुमति प्रदान करता है ?

..अनुमति प्रदान की गई.

..संकल्प वापिस हुआ.

सत्र समापन अवसर पर उदबोधन

अध्यक्ष महोदय---

मध्यप्रदेश की चौदहवीं विधान सभा का यह शीतकालीन सत्र अब समाप्ति की ओर है । इस पाँच दिवसीय शीतकालीन सत्र में विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य सम्पन्न हुए ।

सदन ने वर्ष 2014-15 के प्रथम अनुपूरक अनुमान को अपनी स्वीकृति प्रदान की, वहीं विनियोग विधेयक सहित 14 शासकीय विधेयक भी पारित किये गये।

इस सत्र में कुल 1387 प्रश्न प्राप्त हुए । ध्यानाकर्षण की कुल 208 सूचनाएं प्राप्त हुईं । 24 सूचनाएं ग्राह्य हुई और 14 पर सदन में चर्चा भी हुई । 73 याचिकाएं सदन में प्रस्तुत हुईं। सदन में कई सभा समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत हुए और एक स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा के साथ ही दो अशासकीय संकल्पों और खाद बीज की अनुपलब्धता पर नियम 139 के अधीन चर्चा भी हुई ।

संसदीय लोकतंत्र में सदन जनता की आवाज को सुनने और उसका समाधान निकालने का एक प्रभावी और कारगर मंच है और इसके सुखद परिणाम भी जनता को मिलते हैं।

प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन, बजट व अन्य माध्यमों से की जाने वाली चर्चा सदैव ही परिणामदायक रहती है। सैकड़ों जनहित के मामलों का समाधान होता है। इस सत्र में हुई चर्चाओं के परिणाम भी अच्छे रहे, कई जनहित के काम हुए।

ऑन लाइन प्रश्नोत्तर की जो व्यवस्था पिछले सत्र में प्रारंभ की गई थी उस व्यवस्था ने इस बार स्थाई रूप ले लिया अर्थात् इस व्यवस्था में जो छोटी मोटी तकनीकी कमियाँ पिछली बार रह गई थीं उनका भी निराकरण इस बार हो गया और शत-प्रतिशत प्रश्नोत्तर ऑन लाइन आए और गए । देश की किसी भी विधान

सभा में पहली बार प्रारंभ इस व्यवस्था में सहयोग के लिए मैं संसदीय कार्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ । प्रदेश के मुख्य सचिव की इस मामले में रूचि भी सराहनीय रही ।

पिछले सत्र से आश्वासनों को ऑन लाइन करने का परिणाम यह रहा है कि विगत मार्च एवं जून-जुलाई सत्र में माननीय मंत्रिगणों द्वारा दिये गये समस्त आश्वासनों पर इस सत्र में **'आश्वासन समिति'** के दो प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गये हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि हेतु मैं न केवल आश्वासन समिति के सभापति एवं सदस्यों को उनके अथक परिश्रम के लिए उन्हें बधाई दूंगा वरन् विभागीय मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आम जनता के कार्यों के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता बरतते हुए आश्वासनों की पूर्ति में अपना सहयोग प्रदान किया ।

माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये प्रश्नों के पंजीयन की जानकारी माननीय सदस्यों को एस.एम.एस. (SMS) से देने की व्यवस्था पिछले सत्र से ही प्रारंभ कर दी गई थी । इस सत्र से इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाया जायेगा ।

विधान सभा का मुख्य कार्य विधान बनाने का है । इस तकनीकी और कुछ हद तक उबाऊ कार्य को रूचिपूर्ण और सरल बनाने की दृष्टि से विधान सभा की पुस्तकालय शाखा ने पहली बार यह प्रयास प्रारंभ किया कि प्रत्येक विधेयक के उपबन्धों को सरल शब्दों में माननीय सदस्यों और पत्रकारों को **'विधेयकों की संक्षेपिका'** बनाकर उपलब्ध कराया जाय। इस सत्र में सभी विधायकों और पत्रकारों को ऐसी संक्षेपिका वितरित की गई ।

इस अवसर पर मैं प्रथम बार निर्वाचित विधायकों के सदन में प्रदर्शन की प्रशंसा भी करूंगा। इस बार कुल प्राप्त प्रश्नों के 56 प्रतिशत प्रश्न प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों के थे । विगत बजट सत्र में विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने वाले 100 सदस्यों में से प्रथम बार निर्वाचित सदस्य 57 थे। इसी प्रकार इस सत्र में आए प्रथम अनुपूरक अनुमान में भाग लेने वाले 16 सदस्यों में से 9 सदस्य

प्रथम बार निर्वाचित थे । यह तथ्य नये सदस्यों का उत्साह दर्शाता है। मुझे विश्वास है कि प्रथम बार निर्वाचित सदस्यगण सचिवालय के अधिकारियों का सहयोग और सचिवालय की संदर्भ, अनुसंधान व पुस्तकालय शाखा की सेवाएं लेकर सदन की प्रत्येक कार्यवाही में अपनी दक्षता को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे और सदन का समय सार्थक चर्चा में लगे, इसमें मुझे सहयोग भी देंगे ।

माननीय सदस्यों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण बहुत उत्साह वर्धक रहा । अलग-अलग सत्रों को मिलाकर लगभग 100 माननीय सदस्यों ने कम्प्यूटर प्रशिक्षण में भाग लिया। अनेक माननीय सदस्यों ने यह प्रशिक्षण अगले सत्र में जारी रखने का आग्रह भी मुझसे किया है ।

कुछ खट्टी, कुछ मीठी यादें हर सत्र छोड़कर जाता है, कुल मिलाकर यह सत्र पूरी तरह से सफल रहा । सत्र के सुखद समापन पर मैं सदन के माननीय नेता मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस पक्ष के सचेतक, माननीय उपाध्यक्ष, बसपा विधायक दल के नेता, सभी माननीय सदस्यों, मीडिया के मित्रों, शासन तथा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और सभापति तालिका के माननीय सदस्यों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री के सहयोग का मैं पृथकत: उल्लेख करना चाहूँगा। उनकी सजगता और लगातार सदन में उनकी उपस्थिति से सदन में व्यवस्था बनाने में मुझे मदद मिली ।

मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को आने वाले क्रिसमस पर्व और नववर्ष की भी बधाई देता हूँ । अगले सत्र में हम सब ऐसे ही सुखद माहौल में पुन: समवेत होंगे, इस अपेक्षा के साथ आप सबको पुन: धन्यवाद ।

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) -- अध्यक्ष महोदय, सत्र छोटा था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था. सबसे पहले तो मैं इस बात के लिये आपका आभार प्रकट करुंगा और आपको बधाई भी देना चाहूंगा कि आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके हम सदन की कार्यवाही को कैसे प्रभावी बनायें, जनहित में और कैसे उपयोगी बनायें, आपके नेतृत्व में इसका प्रयास विधान सभा सचिवालय ने किया है ऑन लाइन प्रश्न की जो व्यवस्था आपने की है, संभवतः देश में पहली विधान सभा है मध्यप्रदेश की विधान सभा, जहां पहली बार ऑन लाइन प्रश्न पूछने की व्यवस्था की है. बाकी व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन हम सब सदस्यों ने देखा है, जो सचमुच में सकारात्मक है. अन्दर भी और बाहर भी, यह सच में अध्यक्ष जी की सजगता पर, कल्पनाशीलता पर बहुत निर्भर करता है. एक तरफ सदन की कार्यवाही भी सुचारु रुप से चले, वहीं दूसरी तरफ प्रांगण की व्यवस्थाएं भी ठीक करने का और बेहतर करने का प्रयास किया जाय, वह आपने किया है, इसके लिये हम आभारी हैं.

अध्यक्ष महोदय, जब मैं आपको देखता हूं, तो शालीनता, शिष्टता, विनम्रता, एक मानवीय गुण से भरपूर व्यक्तित्व, उसके दर्शन सदैव आपमें होते हैं और इस सत्र में भी उन गुणों का भरपूर लाभ सदन के संचालन में मिला है. आप शालीन हैं, शिष्ट हैं, विनम्र हैं, लेकिन जहां जरुरत पड़ी है, आपने दृढ़ता से भी सदन की कार्यवाही चलाई है. इतने संक्षिप्त सत्र में प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण, स्थगन पर ग्राह्यता की चर्चा के माध्यम से, 139 की जो हमारी अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा थी, उसके माध्यम से, शून्यकाल एवं अशासकीय संकल्प के माध्यम से, जनहित के प्रश्नों को माननीय सदस्यों ने चाहे वह सत्ता पक्ष के हों, चाहे प्रतिपक्ष के हों, उठाने का काम किया है और यह सब आपके कुशल नेतृत्व में संभव हुआ है और इसलिये छोटा सत्र है, अत्यन्त महत्वपूर्ण बन पाया है. मैं आपको सदन की ओर से हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और आपका आभार प्रकट

करता हूं. और यह विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में सदन की कार्यवाही ऐसी सुचारु रुप से आगे भी चलेगी. यह लोकतंत्र का मंदिर जनहित का मार्ग लगातार प्रशस्त करता रहेगा.

अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं उपाध्यक्ष महोदय का, क्योंकि वे भी जिस विद्वता के साथ और गंभीरता के साथ जब वे आसंदी पर होते हैं, तो कार्यवाही का संचालन करते हैं. उनका अनुभव, उनके संचालन में से साफ प्रकट होता है. जब वे आसंदी पर होते हैं, तो न वे पक्ष के होते हैं, न वे प्रतिपक्ष के होते हैं, पूरी तरह से निष्पक्ष रुप से कार्यवाही का सम्पादन करने का काम करते हैं. उनके कुशल नेतृत्व के लिये भी मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं. (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष, कटारे जी सदन के सत्र की कार्यवाही में नहीं रह पाये. उनकी कमी हमें महसूस हुई. मैं परसों मुम्बई गया था, वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं. मैंने उनके स्वास्थ्य की पूछताछ भी की थी और वह तेजी से पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं और जल्दी वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर फिर नेता प्रतिपक्ष के नाते अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे. मैं परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना भी करता हूं कि वे जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, प्रसन्न रहें और प्रदेश की जनता की सेवा करें. लेकिन उनकी अनुपस्थिति में हमारे युवा साथी भाई बाला बच्चन जी ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का जिस ढंग से निर्वाह किया है. चूंकि छोटा सत्र था. अवसर कम थे. लेकिन जो भी अवसर थे उनका लाभ उठाते हुए उन्होंने जनहित के प्रश्नों को उठाया है. उनके साथ प्रतिपक्ष के बाकी माननीय सदस्यों ने भी उठाया है. बहिर्गमन के पहले जब वह बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्रीजी को पहले बोलना चाहिए. यह आरोप-प्रत्यारोप का समय नहीं है क्योंकि आभार प्रकट करने की बात है. चूंकि उन्होंने एक बात कही थी. मुझे लगता है यह प्रसंग ऐसा नहीं है लेकिन मैं केवल एक पंक्ति में यह निवेदन करना चाहता हूं कि **139** की जो चर्चा हुई है उसमें किसानों की जो समस्या है, विशेषकर खाद की, उसके बारे में माननीय सदन ने, माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता प्रकट की है. माननीय मंत्रीजी ने विस्तार से उत्तर दिया है. मैं

केवल एक बात उसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि हम निरन्तर भारत सरकार के संपर्क में है. मेरा कम से कम रोज एक घंटा इसी यूरिया की आपूर्ति का क्या हुआ,काम के लिए जाता है. केन्द्र सरकार के मंत्री श्री अनंत कुमार जी लगातार सहयोग कर रहे हैं. लगातार पांच रैक रोज प्रदेश में आ रही है. इस महीने 3 लाख 70 हजार मीट्रिक टन का कोटा हमें आवंटित हुआ है. मैंने उनसे चर्चा की. हम यह कहें कि पिछले साल इतना हुआ था उससे ज्यादा हमने इस साल ला दिया, केवल इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि खपत हर साल बढ़ती है और बढ़ती हुई खपत का भी हमको आकलन करना पड़ेगा और इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया कि इससे ज्यादा की जरुरत पड़ेगी तो उन्होंने मुझे पूरी तरह आश्वस्त किया है कि 3.70 लाख के ऊपर जितनी जरुरत पड़ेगी केन्द्र सरकार यूरिया देगी. यूरिया लगातार आता रहेगा. मैं केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि कई बार ऐसा दृश्य प्रस्तुत होता है कि लोगों को लगता है कि बहुत कमी है, बहुत कमी है तो प्राप्त करने की थोड़ी जल्दी सबके मन में होती, यह मानवीय स्वभाव है, अगर 10 दिन बाद चाहिए, 20 दिन बाद चाहिए तो भी मैं आज ही लेकर रख लूं, इस तरह की एक भावना काम करती है. मैं सदन के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करता हूं कि यूरिया की कमी पूरी की जायेगी. यूरिया की कोई कमी नहीं रहेगी. जितना आवश्यक है, आयेगा इसलिए कोई मारा-मारी का या त्राहि-त्राहि का माहौल न बने यह हम सबका विपक्ष का भी और पक्ष का भी कर्त्तव्य है. ऐसी स्थिति बने जिससे किसानों को भरपूर यूरिया मिल सके और हमारी अच्छी फसल आ सके.

अध्यक्ष महोदय, श्री बाला बच्चन जी ने जो प्रश्न उठाये हैं जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया है मैं उनको बधाई भी देता हूं. मैं उनका आभार भी प्रकट करता हूं. उनके साथ-साथ संसदीय कार्यमंत्री जी ने लगातार समय देकर सदन की कार्यवाही के कुशल संचालन में हमेशा वह महत्वपूर्ण योगदान देते हैं क्योंकि बिना प्रतिपक्ष और पक्ष के सहयोग के किसी भी सदन की कार्यवाही ढंग से नहीं चल सकती, उसको सुचारु रुप से चलाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किये हैं, मैं उसके लिए उनको भी बधाई देने का काम करता हूं.

अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों का आभारी हूं. कभी कभी चर्चा में ऐसे क्षण आते हैं कि क्षणिक उत्तेजना होती है. हम अपनी बात को ज्यादा ताकत से रखने की कोशिश करते हैं और कुल मिलाकर वे अपनी अपनी भूमिका के निर्वाह की कोशिश करते हैं. जैसा अध्यक्षजी ने कहा कि मीठे ज्यादा, खट्टे अनुभव कम आये हैं लेकिन आगे लगातार कोशिश यह होगी कि खट्टे अनुभव न हो, मीठे ही मीठे अनुभव हो. मीठे में केवल सत्तापक्ष शामिल न रहे, प्रतिपक्ष को भी संतोष रहे कि विषय हम ढंग से उठा पाये उनके लिए मीठा वही होगा. सदन के नेता के नाते हम लगातार यह प्रयास करते रहेंगे. मेरी और मेरे मंत्रिपरिषद के साथियों की लगातार यह कोशिश रहेगी कि हम और बेहतर ढंग से कैसे उनके उठाये हुए सवालों का किसी भी माध्यम से हो, हम उत्तर दे पायें. अगर कहीं कोई कमी पायी जाती है तो उसको ठीक करने का हम प्रयास कर पायें.

अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के मेरे अनेक साथियों ने अनेक मुद्दे उठाये हैं. मैं पूरे सदन के प्रतिपक्ष और पक्ष को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी गंभीरता से जनहित के कार्यों में संलग्न रहेगी और आपके द्वारा जो सवाल उठाये जाते हैं, किसी भी माध्यम से, उनके समाधान का पूरी गंभीरता से हम लोग प्रयास करते रहेंगे.

अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश विधानसभा का सचिवालय. मैं मानता हूं कि देश की जितनी विधानसभाएं हैं उनके सचिवालयों में सर्वश्रेष्ठ सचिवालयों में से एक है और पूरी लगन से, पूरी मेहनत से चाहे हमारे प्रमुख सचिव श्रीमान ईसरानी जी हों. हमारी पूरी टीम यहां पर बैठी है.सारे साथी उनके सहयोगी मिलकर पूरी मेहनत से सदन के सुचारू संचालन में दिन और रात एक करके सचिवालय के सभी साथियों के साथ जो प्रयास करते हैं उसके कारण शायद हमारी विधान सभा आज देश की सर्वश्रेष्ठ विधान सभाओं में से एक है. इसलिए मैं मध्यप्रदेश की विधान सभा के सभी साथियों का भी हृदय सेआभार प्रकट करना चाहूंगा, उनको बधाई देना चाहूंगा.

हमारे पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए मित्र जो हमारी बातों को क्योंकि लोकतंत्र में जनता सूचना प्राप्त करना चाहती है. सदन में क्या हुआ सदन की कार्यवाही कैसे चली. उसमें हमारे पत्रकार मित्र चाहे वह प्रिंट मीडिया के हो या इलेक्ट्रानिक मीडिया के हों, मैं मानता हूं कि मध्यप्रदेश का प्रेस बहुत सकारात्मक है और ढंग से चीजें जनता के बीच में पहुंचे इस बात का सदैव वह प्रयास करते हैं. विधान सभा की कार्यवाही को जनता तक पहुंचाने के लिए मैं उ नका भी हृदय से आभार प्रगट करता हूं.

माननीय अध्यक्ष महोदय विधान सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन जिन साथियों की सहयोगियों की हमारे छोटे से छोटे साथियों की, वैसे मार्शल भाई हमें दिखाई देते हैं लेकिन हम सदैव यह कोशिश करते हैं कि मध्यप्रदेश में वह दिन कभी न आये जब कभी मार्शल को मैदान में आना पड़े, लेकिन अपनी ड्यूटी का निर्वाह हमारे कर्मचारी जो खड़े हुए हैं इसलिए मैं उनका भी हृदय से आभार प्रगट करताहूं.

माननीय अध्यक्ष महोदय एक बार फिर आपका आभार प्रकट करते हुए आपको बधाई और धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं.

श्री कैलाश विजयवर्गीय – अध्यक्ष महोदय आपने स्क्रीन लगाकर कलर फुल कर दिया है विधान सभा को . मुख्यमंत्री जी भी कलर फुलहो गये हैं बाकी लोग भी कलर फुल जैकेट पहनकर आ रहे हैं.

श्री बाला बच्चन (राजपुर) – माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात से सहमत हूं उसी पर मैं अपनी बात को कहना चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय आपने इस विधान सभा में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं. विधायकों को बोलने के लिए माइक से लगाकर डिस्प्ले के लिए जो स्क्रीन लगाया है वास्तव में वह तारीफे काबिल है. उसको केवल हमने ही नहीं जिसने भी देखा है उसने तारीफ की है, आपने पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन करके हमें नई व्यवस्था जो उपलब्ध कराई है वह वास्तव में तारीफे काबिल है.

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय सदन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि शायद यह अभी तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र रहा है. इसका समय बढ़ना चाहिए. मेरी अपनी जानकारी में है मैं यहां पर चौथी बार विधान सभा का सदस्य हूं इ तना छोटा शीतकालीन सत्र कभी नहीं रहा है. इसमें विधायकों को भी अपने क्षेत्र की बात रखने का पूरा अवसर नहीं मिल पाया है. मेरा आपसे आगे के लिए आग्रह रहेगा कि कम से कम सत्र आगे लंबे और बड़े हों. दूसरी चीज यह कि जो प्रश्नों के जवाब आते हैं मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं, माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं संसदीय कार्य मंत्री जी भी बैठे हैं पक्ष विपक्ष के सभी विदायक यहां पर बैठे हैं. प्रश्नों के जो जवाब आते हैं उसमें केवल विपक्ष केसाथियों ने ही नहीं, मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष के साथियों ने भी इस बात को स्वीकारा हैकि वह जैसे ही आसंदी उनका नाम पुकारती थी तो वह माइक परबोलते थे कि माननीय अध्यक्ष महोदय शासन ने मेरा उत्तर असत्य दिया है गलत दिया है तो इसमें मैंसमझता हूं कि आगे कसावट करेंगे तो हम विधायकों की रूचि सदन में बनी रहेगी. हम जब यहां सेलाबी में निकलतेहैं सभी विधायकगण की अरे यार सत्य मैं जानता हूं कि उस गांव में क्या हुआ है. लेकिन जो जवाब आता है उस पर थोड़ा नियंत्रण करवायें तो मैं समझता हूं कि वह भी सब ठीक हो जायेगा और विधायकों की रूचि भी उसमें बनी रहेगी, साथ में सत्रों को थोड़ा लंबा रखेंगे तो विधायकों की बात आती रहेगी जिससे कि इस पवित्र मंदिर के प्रति सबकी आस्था और विश्वास निष्ठा और रूचि बनी रहेगी. क्योंकि हम विधायक अपने अपने क्षेत्र में वहां के स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी हमारी बात को नहीं मानते कि सत्य यह है जो हम देख रहे हैं. हम रंगदारी से जनता को बोलकर आते है जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा है ठीक है यह बात हम मध्यप्रदेश की विधान सभा में उठायेंगे जिसके लिए आपने हमें चुनकर भेजा है हम वहां पर यह बात उठायेंगे. उसके बाद में जब मामला यहां परआता है और उसका जो जवाब ऐसा आता है तो हमें निराशा हाथ लगती है तो मैं सभी विधायकों के लिए यह बात बोल रहा हूं. बाकी जिस तरह से आपने विधान सभा चलायी है.मैं बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी की बात से सहमत हूं कि सब तरह

के दौर आते हैं, जिस तरह से आपने विधान सभा चलाई है और हम लोगों को जो आपने मोटिवेट किया है, जिसमें नये विधायकों से लेकर हम तक को और जो व्यवस्थाएं आपने दी हैं, मंत्रीगण को जो आपका निर्देश मिलना चाहिए था, वह बराबर मिला, उसको हम देख रहे थे. आपने अपना काम बखूबी से निभाया है. जब भी उपाध्यक्ष महोदय को समय-समय पर आसंदी पर बैठने का अवसर मिला है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने भी इस बात को कि विधायकों की बात मानी जाय, विधायकों के जवाब आएं और काम हो, उपाध्यक्ष महोदय ने बराबर अपनी ड्यूटी का आसंदी पर बैठकर निर्वहन किया है.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी और उपाध्यक्ष महोदय का भी मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं.

माननीय मुख्यमंत्री के बारे में भी कहना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त होते हैं, उनको कम समय मिलता है. जब भी उनको समय मिला, वे हमारे बीच में आए. हम लोगों को सुना और इस बात की उन्होंने कोशिश की है कि विधायकों को आप लोग संतुष्ट कराएं और विधायकों को सही जवाब दें. जो सरकारी योजनाएं हैं वे फले-फुले और प्रदेश तरक्की और उन्नति की ओर जाय, इस बात की ओर जो आपका ध्यान रहा है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं. बस हमारा यही आग्रह रहता है, सुबह से हम इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि इस खाद की चर्चा पर आप अपना वक्तव्य दे. लेकिन अभी आपने इस बारे में बोल दिया है और जरूर प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के नम्बर वन व्यक्ति होने के नाते आपको इसकी चिंता है. इस बात को हम लोग भी समझते हैं. हमारा दल भी समझता है. मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं.

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, जो पूरा-पूरा समय देते हैं, हमने इस बात को एप्रिशिएट किया है. हमने इस बात को माना है, देखा है. पूरे समय आप मुस्तैदी से डटे रहते हैं. विधान सभा को चलाने में जो

आपका निरंतर प्रयास रहता है तो उसका भी मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूं.

कुछ मंत्रियों के अच्छे जवाब थे. हम लोगों का मतलब, जो जनता के माध्यम से हम चुनकर आए हैं, हमें और प्रदेश की जनता को संतुष्ट कराने उनके लायक जवाब थे. कुछ मंत्रियों के नहीं थे. मैं समझता हूं कि वह आगे सब ठीक हो जाएंगे. बाकी सभी मंत्रीगण को भी मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं.

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सचिवालय का प्रमुख सचिव श्री भगवानदेव ईसरानी जी का, सचिव साहब का और उनकी पूरी टीम का, हरेक शब्दों को, हरेक हमारे वाक्यों को बोला हुआ जस का तस छापना और उसके बाद कार्यवाही के लिए उसको मुस्तैदी से आगे बढ़ाना, वाकई में तारीफे काबिल है. मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, मैं इसको भी एप्रिशिएट करता हूं. उन सबको भी मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से धन्यवाद देता हूं.

इतना ही नहीं, इस विधान सभा के सभी विधायकों ने जिस तरह अपनी-अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए, जिम्मेदारी से अपनी बात को जो रखना चाहिए कि हम लोगों को दो-दो, ढ़ाई-ढ़ाई लाख मतदाताओं ने चुनकर भेजा है, सबकी मॉनिटरिंग होती है. सबने अपने ढंग से अपनी बात को रखा है. मैंने इस बात को यहां पर देखा है कि न केवल हमारे अपने कांग्रेस दल के विधायक साथियों का ही नहीं, बल्कि जहां कहीं अगर मुस्तैदी, दमदारी और ताकत से उठाने की बात आई, एक विधायक के नाते निष्ठापूर्वक उठाने की बात आई तो सत्ता पक्ष के साथियों ने भी उस बात को उठाया है, मंत्रीगण का और सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया है. मैं पूरे सदन के सभी विधायकगण का चाहे सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, चाहे वह बीएसपी के विधायकगण हों, सभी विधायकों का मेरी तरफ से और मेरे कांग्रेस पार्टी के पूरे दल की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं. इसके अलावा जिसतरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उल्लेख किया है कि यहां पर मार्शल और इनके अलावा भी जो विधान सभा के अधिकारी कर्मचारीगण हैं उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं क्योकि कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष

रूप से वे भी विधानसभा की कार्यवाही से जुड़े रहते हैं और उनका भी कहीं न कहीं सहयोग होता है,योगदान होता है. मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैने अपने वक्तव्य में खाद वाले मुद्दे पर यह बात बोली थी कि मेरे अपने दल के विधायक साथियों ने दमदारी से खाद की कमी को, खाद से संबंधित जो बात थी उसको दमदारी से जो उठा रहे थे वे देख भी रहे थे , वह चीज आ भी रही थी इससे बढ़ कर चाहे विधान सभा की कोई सी भी कार्यवाही हो कि विधानसभा में क्या चल रहा है, विधानसभा में क्या घट रहा है पूरे प्रदेश भर में क्या हो रहा है और किस चीज की कमी है , हम सब विधायकों का, आपका हमारा, माननीय मुख्यमंत्री जी का,सभी मंत्रीगण का और सभी विधायक साथियों का ध्यान आकर्षित कराने के लिये जो हमारे मीडिया के जो प्रहरी हैं उनका भी मैं मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से मैं उनका भी शक्रिया अदा करता हूं ,उनको भी धन्यवाद देता हूं. इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं. धन्यवाद.

05.16 बजे

राष्ट्रगान

अध्यक्ष महोदय—अब राष्ट्रगान होगा.

(सदन में राष्ट्रगान जन-गण-मन का समूहगान हुआ)

सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन

अध्यक्ष महोदय—विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित.

05.17 बजे विधान विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

भोपाल,
दिनांक - 12 दिसंबर,2014

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा